2015–2016
वार्षिक रिपोर्ट

सामाजिक गतिविधियां

भूमिगत खनन

मशीनीकरण

ओपन कास्ट खनन

पवन चक्की संयंत्र

बेनिफिशिएशन प्रक्रिया

मॉयल
MOIL

मॉयल लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

इस्पात को शक्तिशाली बनाएं

दृष्टीकोण, लक्ष्य एवं उद्देश्य

मॉयल लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

लक्ष्य

हमारा लक्ष्य प्रभावी, सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण और विकास के माध्यम से अपने भागधारियों के लिए दीर्घकालीक लाभ उत्पन्न करना।

दृष्टीकोण

रणनीतिक गठबंधन और तकनीकी उन्नयन के माध्यम से भारत के मैंगनीज उद्योग बाजार में अपनी अग्रणी प्रतिष्ठा को बनाए रखना तथा वैश्विक विविधीकरण उपक्रम बनना।

रणनीतिक उद्देश्य/ प्राथमिकताएं

2030 तक अपना उत्पादन 3 एमएन एमटी बढाकर देश में मैंगनीज की मांग को पूरा करने के उद्देश्य के लिए प्रयास करना।

संबंधित उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रोंमें विभिन्न विविधीकरण विकल्पों को तलाशना तथा भागधारियोंको लाभ प्रदान करना।

कर्मचारियों के जीवन को उँचा उठाना और विकास के उत्तम अवसर उपलब्ध करना।

अपने खनन क्षेत्रों को हरा-भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाना।

विषय–सूची

कार्य–निष्पादन–एक दृष्टि में....4
अध्यक्ष का वक्तव्य....6
अनुलग्नकों के साथ मण्डल की रिपोर्ट....9
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ....70
स्वतंत्र (स्टैण्डअलोन) वार्षिक लेखों पर स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट....74

स्वतंत्र (स्टैण्डअलोन) वार्षिक लेखा

तुलन पत्र....81
लाभ–हानि लेखा....82
नकद प्रवाह विवरण....83
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ....84
लेखों पर टिप्पणियाँ....94
व्यापार खण्डों के बारे में जानकारी....102
सामाजिक सुख–सुविधाओं का विवरण....103
समेकित वार्षिक लेखों पर स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट....104

समेकित वार्षिक लेखा

तुलन पत्र....109
लाभ–हानि लेखा....110
नकद प्रवाह विवरण....111
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ....112
लेखों पर टिप्पणियाँ....123

सदस्यों को महत्वपूर्ण सूचना

कंपनियों द्वारा पेपररहित अनुपालन की अनुमति देकर कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने "कारपोरेट अधिशासन में हरित पहल" की है तथा परिपत्र जारी किए है, जिसमें यह कहा है कि वार्षिक रिपोर्ट सहित नोटिस/दस्तावेजों को ई–मेल द्वारा सदस्यों को भेजा जा सकता है। सरकार की इस हरित पहल का पूरी तरह से समर्थन करने के लिए ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना ई–मेल पता अब तक पंजीकृत नहीं किया है, उन से अनुरोध है कि अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स के संबंध में अपना ई–मेल पता पंजीकृत करें। ऐसे सदस्य जिन्होंने षेयरों को भौतिक रूप से धारण किया है उनसे अनुरोध है कि मॉयल लिमिटेड या हमारे आर. एण्ड टी. एजेन्ट (मेसर्स बिग शेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड) के पास इसका पंजीकरण करें ताकि प्रिन्टेड कॉपी के बदले ई–मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजी जा सकें। भारत सरकार की हरित पहल की दिषा में कंपनी एओसी–3 फॉर्म में संक्षिप्त वित्तीय विवरणों की मुख्य बातों को भेज रही है ।

निदेशक मंडल
(इक्विटी की दिनांक पर)

श्री जी.पी.कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

सरकारी निदेशक

श्रीमती उर्विला खाती
संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

श्री शिव शेखर शुक्ला
सचिव, खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार

स्वतंत्र निदेशक

सुश्री सुनंदा प्रसाद

डॉ. ए. के. लोमस

श्री जे. पी. डांगे

श्री जी. एस. ग्रोवर

सुश्री संगीता गैरोला

कार्यकारी निदेशक

श्री एम. पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

श्री टी. के. पटनायक
निदेशक (वाणिज्य)

सेवानिवृत्त निदेशक

श्री ए के झा

मुख्य सतर्कता अधिकारी और कार्यकारी निदेशक

श्री नितीन घायंदे
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री डि शोम
कार्यकारी निदेशक (तकनिकी)

वरिष्ठ अधिकारी

श्री रवि वर्मा
मुख्य महाप्रबंधक (उत्पादन)

श्री पि व्ही व्ही पटनायक
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं विधिवता)

श्री डि व्ही राजू
महाप्रबंधक (कार्मिक)

श्री टि के मंडल
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री सी बी अतुलकर
महाप्रबंधक (खान)

श्री पि करैया
महाप्रबंधक (खान)

कंपनी सचिव

श्री नीरज दत्त पाण्डेय

कार्य–निष्पादन – एक दृष्टि में

विवरण	2015–16	2014–15	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11
वित्तीय (करोड़ रू. में)						
शुद्ध बिक्री	628.74	823.25	1021.28	967.12	899.58	1139.97
अन्य आय	252.15	316.61	303.32	235.27	203.32	145.28
कुल आय	880.89	1139.86	1324.60	1202.39	1102.90	1285.25
सकल मुनाफा	322.73	695.65	804.51	669.82	636.54	912.66
कर पूर्व लाभ	270.26	650.57	769.33	636.78	606.63	880.15
कर पश्चात लाभ	172.98	428.01	509.56	431.72	410.77	588.06
लाभांश	84.00	142.80	126.00	92.40	84.00	117.60
अंष पूंजी	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
आरक्षित एवं अधिशेष	3285.37	3213.70	2959.33	2597.64	2273.31	1960.29
नेटवर्थ	3453.37	3381.70	3127.33	2765.64	2441.31	2128.29
उधार राषियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल खण्ड	671.88	610.72	510.07	479.91	422.58	396.46
कार्यशील पूंजी	3061.87	3030.68	2805.27	2485.50	2184.36	1892.81
नियोजित पूंजी	3372.76	3324.59	3054.14	2734.45	2398.06	2097.29
महत्वपूर्ण अनुपात						
नियोजित पूंजी पर कर पूर्व लाभ प्रतिशत	8.01	19.57	25.19	23.29	25.30	41.97
बिक्री पर कर पूर्व लाभ प्रतिशत	42.98	79.02	75.33	65.84	67.43	77.21
इक्विटी अनुपात पर कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रति शेयर पर आय (रू.) (रू. 10 के अंकित मूल्य पर)	10.30	25.48	30.33	25.70	24.45	35.00
राजकोष में योगदान (करोड़ रू. में)						
आयकर	97.81	193.83	260.87	213.84	204.01	303.43
लाभांश वितरण कर	17.31	28.55	21.87	14.99	13.76	19.53
बिक्री कर एवं वैट	13.61	20.23	26.75	23.72	21.85	28.37
रॉयल्टी एवं उपकर	30.57	35.06	39.78	36.38	33.10	43.50
उत्पाद शुल्क	5.86	7.91	7.17	7.91	6.10	5.34
म.प्र. रोड उपकर	10.91	14.12	17.81	17.17	15.59	24.52
कुल	176.07	299.70	374.99	314.01	294.41	424.69
उत्पादन						
मैंगनीज अयस्क (एमटी)	1032275	1139156	1134508	1138895	1070717	1150742
ईएमडी (एमटी)	612	950	923	786	714	805
फेरो मैंगनीज (एमटी)	6519	10045	10042	9210	8694	9081
पवन चक्की से बिजली (केडब्लूएच)	36370789	32808711	33206045	37545155	33022835	31039998

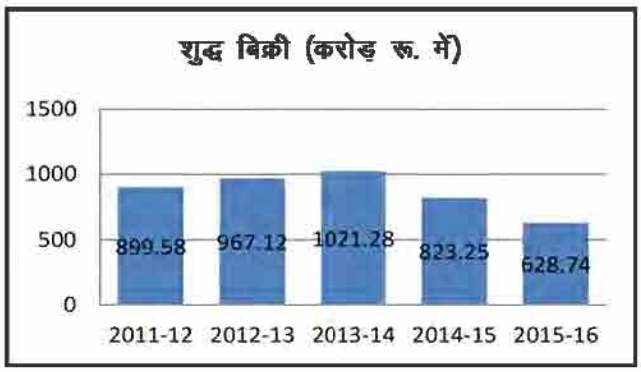
शुद्ध बिक्री (करोड़ रू. में)
1500
1000
500
0
899.58
967.12
1021.28
823.25
628.74
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

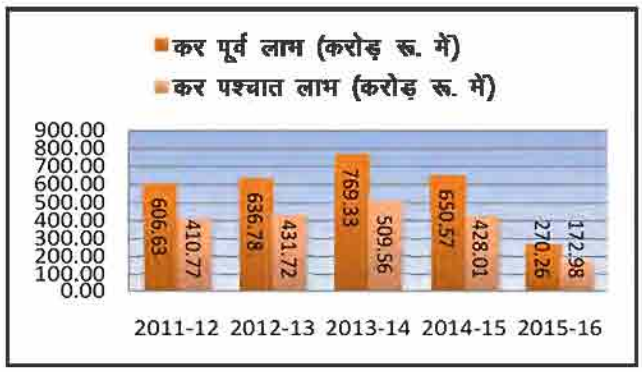
कर पूर्व लाभ (करोड़ रू. में)
कर पश्चात लाभ (करोड़ रू. में)
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
606.63
410.77
636.78
431.72
769.33
509.56
650.57
428.01
270.26
172.98
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

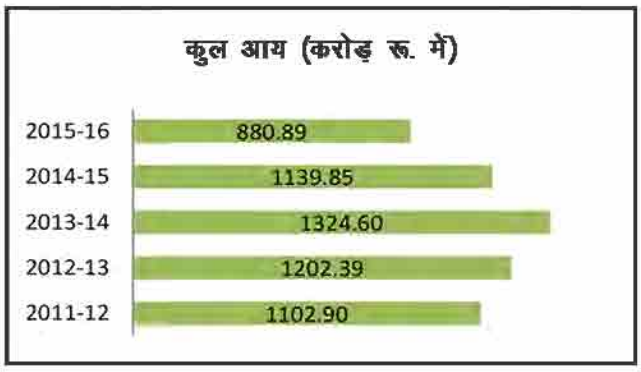
कुल आय (करोड़ रू. में)
2015-16
880.89
2014-15
1139.85
2013-14
1324.60
2012-13
1202.39
2011-12
1102.90

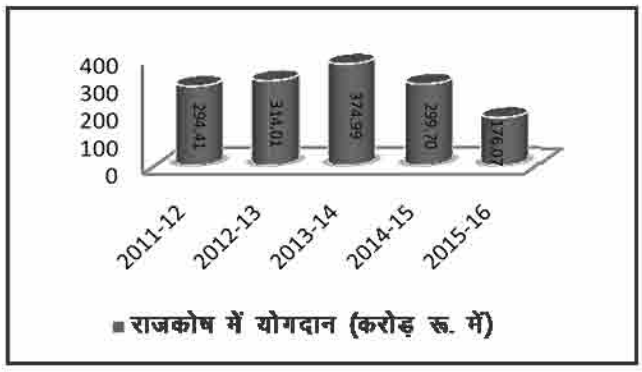
400
300
200
100
0
294.41
314.01
374.99
299.70
176.07
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
राजकोष में योगदान (करोड़ रू. में)

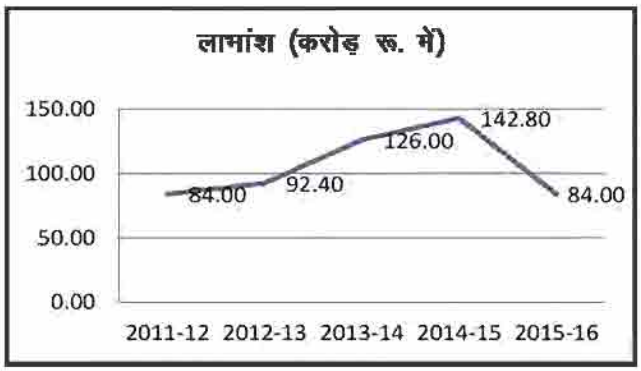
लाभांश (करोड़ रू. में)
150.00
100.00
50.00
0.00
84.00
92.40
126.00
142.80
84.00
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

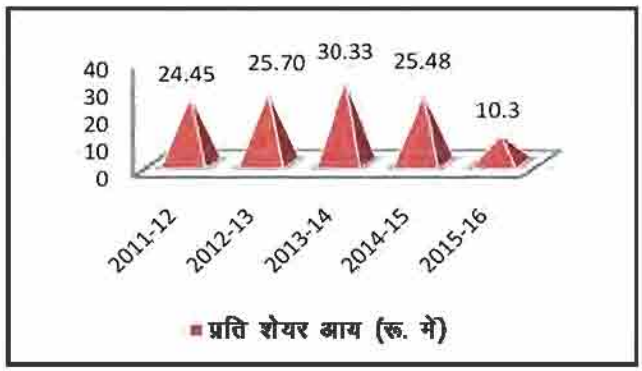
40
30
20
10
0
24.45
25.70
30.33
25.48
10.3
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
प्रति शेयर आय (रू. में)

नेटवर्थ (करोड़ रू. में)
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
2441.30
2765.64
3127.33
3381.70
3453.37
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

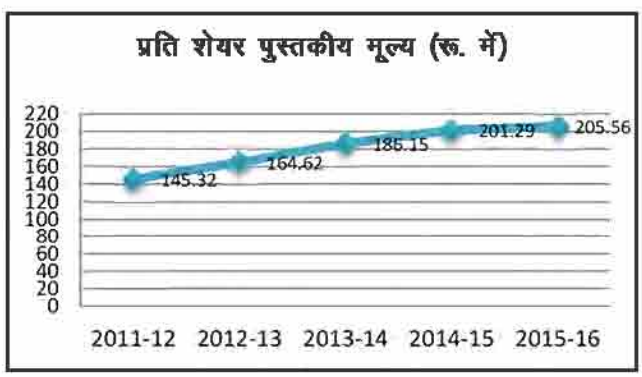
प्रति शेयर पुस्तकीय मूल्य (रू. में)
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
145.32
164.62
186.15
201.29
205.56
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

54वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा के अवसर पर आपसे संवाद करते हुए तथा वित्तीय वर्श 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गौरव एवं हर्ष की अनुभूति हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 खनन और धातु उद्योग के लिए और विशेषकर मैंगनीज अयस्क उद्योग के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। संपूर्ण इस्पात और कमोटिडी बाजार के लिए यह साल अत्यंत खराब रहा है। कमोटिडी क्षेत्र विशेषकर इस्पात में वैश्विक मंदी के कारण इस क्षेत्र का प्रदर्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वर्ष के दौरान कीमतें अपने निम्नतम स्तर पर चली गई। लगभग सभी धातु कंपनियों ने या तो वर्ष के दौरान घाटा दर्ज किया या फिर उनकी लाभप्रदता काफी नीचे चली गई।

मैंगनीज अयस्क उद्योग भी इस्पात उद्योग की मंदी से अछूता नहीं रहा और हाल के इतिहास की सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक रहा। संपूर्ण उद्योग एक बूरे दौर से गुजरा है, विशेषकर दूसरी और तीसरी तिमाही, क्योंकि संपूर्ण वर्ष भर मैंगनीज अयस्क की कीमतें दबाव में रही है। बाजार की प्रतिकूल अवस्थाओं के कारण मॉयल को वर्श के दौरान मैंगनीज अयस्क की विभिन्न श्रेणियों की कीमतों को 45 प्रतिशत तक कम करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप औसत बिक्री प्राप्तियों में लगभग रू. 8233 पीएमटी से रू. 5911 पीएमटी की कमी आयी। बाजार में इस तरह की मंदी को देखते हुए आपकी कंपनी अपनी अच्छी विपणन नीति, मूल्य निर्धारण नीति और बेहतर उत्पाद मिश्रण के साथ काफी संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन करने में सफल रही है। आपकी कंपनी 6.26 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्वि दर्ज करते हुए गत वर्ष में मैंगनीज अयस्क की 9.10 लाख टन बिक्री की तुलना में 2015–16 के दौरान मैंगनीज अयस्क की 9.67 लाख टन की बिक्री करने में सक्षम रही है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2016–17 की प्रथम तिमाही के दौरान मार्च, 2016 के मध्य में बाजार ने कुछ सुधार दर्शाया था, लेकिन बाद में फिर से मंदी की राह पर है।

आपकी कंपनी ने गत वर्ष में रू. 823.25 करोड़ के बिक्री कारोबार की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान रू. 628.74 करोड़ का बिक्री कारोबार दर्ज किया है। कंपनी ने कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः रू. 270.26 करोड़ और रू. 172.98 करोड़ दर्ज किया है, जबकि गत वर्ष क्रमशः रू. 650.57 करोड़ और रू. 428.01 करोड़ था। कंपनी ने मैंगनीज अयस्क की विभिन्न श्रेणियों का 10.32 लाख टन उत्पादन किया है जबकि गत वर्ष में यह 11.39 लाख टन था।

मॉयल कई वर्षों से एक लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लाभ में भारी कमी के बावजूद आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2015–16 के लिए 20 प्रतिशत की दर से अर्थात् रू. 2.00 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार, वर्श 2015–16 के लिए कुल लाभांश रू. 5.00 प्रति इक्विटी शेयर होता है। आपकी कंपनी ने मार्च, 2016 में शेयरधारकों को रू. 5.00 में से रू. 3.00 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश पहले ही भुगतान कर दिया है।

आपकी कंपनी सदैव निगमित अधिशासन के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इंटीग्रिटी पैक्ट का कार्यान्वयन, आचार संहिता का अंगीकरण तथा सुपरिभाशित आंतरिक नियंत्रण संरचना से कंपनी के व्यापार व्यवहार की पारदर्शिता में अतिरिक्त योगदान प्राप्त हुआ है। मॉयल में निगमित अधिशासन पर सरकारी दिशानिर्देषों तथा लिस्टिंग समझौतों का अनुपालन किया जा रहा है। हालांकि, निदेशकों के रिक्त पदों को भरना, जो कि निगमित अधिशासन की आवश्यकताओं में से एक है, उस पर सरकारी स्तर पर प्रक्रिया जारी है। निगमित अधिशासन अनुपालन पर एक रिपोर्ट को मण्डल की रिपोर्ट का एक भाग बनाया गया है। निगमित अधिशासन के विभिन्न मानदंडों के अनुपालन के लिए आपकी कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त कर रही है। मुझे यकीन है कि वर्ष 2015–16 के लिए भी कंपनी "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त करेगी।

एक अच्छे निगमित नागरिक होने के नाते मॉयल आंतरिक के साथ ही बाह्य पणधारियों तथा समाज के जीवन स्तर में विकास और सुधार के माध्यम से समाज के जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए अपना सहयोग देने में सबसे अग्रणी रहा है। आपकी कंपनी ने अपने प्रचालन क्षेत्रों और आस–पास के क्षेत्रों के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों तथा स्कूलों का निर्माण/मरम्मत, जलापूर्ति सुविधा, परिक्षेत्र विकास, खेलकूद एवं सांस्कृतिक विकास इत्यादि क्षेत्रों में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की कई गतिविधियों को अपने हाथों में लिया है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत मॉयल द्वारा पूर्ण की गई प्रमुख परियोजनाओं में चिखला में डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल को आस–पास के क्षेत्रों के लोगों से उत्कृष्ट प्रतिसाद मिल रहा है। जो स्कूल एक साल पहले 434 छात्रों की क्षमता के साथ शुरू हुई थी आज 857 छात्रों की क्षमता तक पहुँच गई है। कंपनी ने ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास गतिविधियों को भी शुरू किया है।

"मॉयल फाउंडेषन" के अंतर्गत आपकी कंपनी बीएआयएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, पुणे की एक सहयोगी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर फॉर रूरल एरिया (मित्रा) के सहयोग से अपनी खदानों के आस–पास के 21 गाँवों में बड़े पैमाने पर "सामुदायिक विकास कार्यक्रम" चला रही है, जिसमें विभिन्न गतिविधियाँ जैसे सुधारित कृषि पद्धति, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पशुधन विकास, जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, बायो–गैस की स्थापना, महिला स्वयं–सहायता समूह, सोलार लैम्प, शौचालयों का निर्माण, महिला सशक्तिकरण योजना, शिक्षा एवं कौशल विकास शामिल है। कंपनी ने वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर रू. 14.47 करोड़ की राशि व्यय की है जिसमें मॉयल फाउंडेशन को निधि का हस्तांतरण भी शामिल है।

आपकी कंपनी के पास दिनांक 31.03.2016 को 1613.611 हेक्टर भूमि क्षेत्र से अधिक संपूर्ण खनन पट्टे है जिसमें से 699.066 हेक्टर भूमि महाराष्ट्र में है और 914.545 हेक्टर भूमि मध्य प्रदेश में है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हाल के इतिहास में मॉयल को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 988.181 हेक्टर क्षेत्र से अधिक मैंगनीज अयस्क पट्टे प्राप्त हुए है। इसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में खनन पट्टों के अंतर्गत 311.593 हेक्टर, पीएल के अंतर्गत 464.98 हेक्टर तथा महाराश्ट्र राज्य में आरक्षण के अंतर्गत 211.608 हेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार ने भी बालाघाट जिले में मॉयल के पक्ष में 383.836 हेक्टर के नये क्षेत्र की सिफारिश की है, जो कंपनी की बालाघाट खदान से लगकर है। इस प्रकार, मौजूदा क्षेत्रों की तुलना में विभिन्न श्रेणियों में लगभग 88 प्रतिशत की वृद्धि है।

दुनिया की सबसे अच्छी मैंगनीज अयस्क खनन कंपनियों में से एक बनने के लिए और इस्पात उद्योग में मैंगनीज अयस्क की मांग को पूरा करने के लिए और मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में बाजार में अग्रणी बने रहने के लिए आपकी कंपनी ने अपनी मौजूदा खदानों के विकास में निवश के लिए योजना बनाई है। हाल ही में, आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने बालाघाट खदान में हाई स्पीड वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग के लिए पहले चरण में रू. 265.96 करोड़ का निवेश मंजूर किया है, जो वित्तीय वर्ष 2025 तक उत्पादन को लगभग 3 लाख टन से लगभग 6 लाख टन तक बढ़ाने में मदद करेगा। मण्डल ने गुमगाँव खदान में वित्तीय वर्ष 2024 तक उत्पादन लगभग 0.70 लाख टन से लगभग 1.40 लाख टन तक बढ़ाने के लिए हाई स्पीड वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग के लिए पहले चरण में रू. 194.92 का निवेश मंजूर किया है। वर्ष के दौरान, मॉयल ने अपनी चिखला खदान में वर्टिकल शाफ्ट के गहरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने अपनी चिखला, बालाघाट, कान्द्री और मनसर खदानों में षाफ्ट के गहरीकरण और सिंकिंग की विभिन्न परियोजनाओं को हाथों में लिया है। वह उकवा खदानों में दूसरी वर्टिकल षाफ्ट की सिंकिंग के लिए भी विचार कर रही है।

खदानों में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और गैर–पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल उर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी के मण्डल ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अपनी खदानों में 10.5 मेगावॉट सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए रू. 61.83 करोड़ का निवेश मंजूर किया है।

वर्ष 2014 से तुलना की जाये तो भारत में इस्पात का उत्पादन वर्ष 2015 के दौरान 2.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 87.29 मिलियन टन से 89.37 मिलियन टन बढ़ गया है। दूसरी ओर वर्ष 2015 के दौरान विश्व इस्पात उत्पादन में 2.97 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि थी। चीन और जापान भी वर्ष 2015 के दौरान क्रमशः 2.30 प्रतिशत और 4.99 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शा रहे थे। भारत अब विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है जिसने वर्ष 2015 में लगभग 89.37 मिलियन टन के कच्चे इस्पात का उत्पादन किया है। यह वृद्धि आगामी वर्षों में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

वर्ल्ड स्टील असोसिएशन (डब्लूएसए) के अनुसार तेल की कीमतों में कमी, सुधार की गति और इन्फ्रास्ट्रक्चर और मैनुफैक्चरिंग उत्पादन बढ़ाने की नीतियों के कारण भारत का भविष्य उज्ज्वल है। भारत में तैयार इस्पात की मांग 2016 और 2017 दोनों वर्षों में 5.4 प्रतिशत से बढ़ जाएगी जो 2017 में 88.3 एमटी तक पहुँच जाएगी। हालांकि, 2015 में 3.0 प्रतिशत संकुचन के बाद विश्व स्तर पर तैयार इस्पात की मांग 2016 में 0.8 प्रतिशत से कम होकर 1,488 एमटी तक पहुँच सकती है। 2017 में, ऐसा अनुमान है कि विश्व में इस्पात की मांग 0.4 प्रतिशत की वृद्धि पर वापस आएगी और 1,494 एमटी तक पहुँच जाएगी।

वर्तमान में, आपकी कंपनी 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के साथ देष में मैंगनीज अयस्क की सबसे बड़ी उत्पादक है, जब वर्ष 2015–16 के लिए देष के अनुमानित उत्पादन की तुलना की जाती है। हालांकि, भारत में मैंगनीज अयस्क के आयात में अनुमानतः 3.17 मिलियन टन से 2.22 मिलियन टन तक की गिरावट आयी है, लेकिन फिर भी उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क का बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है। यह मांग और आपूर्ति के बीच पर्याप्त अंतर को दर्शाता है, जो मॉयल को अपना उत्पादन, विशेष रूप से उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में वृद्धि के लिए अवसर उपलब्ध करता है।

आगे आपकी कंपनी ने लगभग 81.47 मिलियन टन के मैंगनीज अयस्क के भंडार और संसाधनों के साथ लगभग 4.09 मिलयन टन के संसाधनों को जोड़ा है। मॉयल अपनी प्रभावपूर्ण स्थिति, मध्यम से उच्च श्रेणी के अयस्क भंडार, मध्य क्षेत्र में अवस्थित खदानें, कम उत्पादन लागत एवं ग्राहकों के साथ मजबूत संबंधों के साथ भारत में इस्पात की मांग में वृद्धि को पूंजीकृत करने की अच्छी स्थिति में है।

भारत सरकार ने भी इस्पात उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआयपी) लगाने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं जिसके परिणामस्वरूप बाजार के रूख में सुधार आया है। मुझे यकीन है कि भारत सरकार की इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास नीति से देश में इस्पात की मांग को बढ़ावा मिलेगा जिसके फलस्वरूप मैंगनीज अयस्क की मांग में भी वृद्धि होगी।

मैंगनीज अयस्क उद्योग का प्रदर्शन मुख्य रूप से इस्पात उद्योग के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। चूंकि भारत ने 2030 तक इस्पात की 300 मिलियन टन क्षमता का लक्ष्य रखा है जो लगभग 10 मिलियन टन तक मैंगनीज अयस्क की घरेलू मांग उत्पन्न करेगा, जो मॉयल को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए और बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अवसर उपलब्ध करेगा। जैसा कि हम जानते है कि भारत की प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत लगभग 60 कि.ग्रा. है जबकि वैश्विक औसत खपत 214 कि.ग्रा. है। यह फिर से इस्पात उद्योग के लिए अवसर उपलब्ध करता है। इस प्रकार भारत की इस्पात मांग में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होने की संभावना है।

भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अपनी अग्रणी स्थिति को कायम रखने के लिए मॉयल अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगभग 1.1 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से 2020 तक 2.0 मिलियन टन तक और 2030 तक 2.5 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसके लिए रणनीतिक प्रबंधन योजना तैयार की गई है। इसे आगे बढ़ाने के लिए मॉयल ने पहले ही बालाघाट और गुमगॉव खदानों में हाय स्पीड शाफ्ट की सिंकिंग जैसी पहल की है और खदानों में सोलार पावर प्रोजेक्ट स्थापित करना इसका एक हिस्सा है।

मॉयल ने रू. 863,34,24,739 से अनधिक कुल प्रतिफल के लिए रू. 248 प्रति शेयर के मूल्य पर 3,48,12,196 से अनधिक इक्विटी शेयरों को अपने रू. 10 प्रति पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बायबैक ऑफर को मंजूरी दी है। बायबैक का प्रस्ताव प्रक्रिया में है और संपूर्ण प्रक्रिया अक्तूबर, 2016 के मध्य तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है।

आपकी कंपनी देष के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक है जिसे अपने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्षन के लिए जाना जाता है तथा वर्ष 2014–15 के लिए समझौता ज्ञापन पर "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की है। कंपनी को अपनी गतिविधियों के लगभग सभी क्षेत्रों में अपने अच्छे कार्यों के लिए राष्ट्रीय / क्षेत्रीय मान्यता मिल रही है। वर्श के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, क्वालिटी सर्कल पुरस्कार, क्वालिटी कन्ट्रोल सर्कल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ट्रॉफी, निगमित अधिशासन "उत्कृष्ट" रेटिंग, इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए है।

मैं भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार, सभी सरकारी विभाग, हमारे सम्मानित ग्राहक, कंपनी के बैंकर्स, आपूर्तिकर्ता और सभी मॉयलीयन्स द्वारा कंपनी के कार्य–निष्पादन में दिए गए अपरिमित योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूँ जिसके बिना कंपनी को प्रगतिषील दिशा में ले जाना संभव नहीं हुआ होता। कंपनी को नई उँचाईयों तक पहुंचाने एवं अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए मैं आगे भी सभी पणधारियों के लगातार सहयोग एवं प्रतिबद्धता की आशा करता हूँ।

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

अंशधारकों के लिए मण्डल की रिपोर्ट

प्रिय अंशधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने में मुझे बेहद प्रसन्नता महसूस हो रही है।

वित्तीय परिणाम :

वर्ष 2015–16 तथा गत वर्ष के वित्तीय परिणाम नीचे दर्शाए अनुसार है :

रूपये करोड़ में

विवरण	वर्ष 2015–16	वर्ष 2014–15
शुद्ध बिक्री	628.74	823.25
अन्य आय	252.15	316.61
कुल आय	880.89	1139.86
ब्याज, मूल्यह्रास और कर पूर्व लाभ (ईबीआईडीटीए)	322.72	695.65
मूल्यह्रास	52.47	45.08
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	270.26	650.57
घटाएं : कराधान के लिए प्रावधान	97.27	222.56
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	172.98	428.01
जनरल रिजर्व और सीएसआर रिजर्व में स्थानांतरण	75.00	250.18

प्रमुख वित्तीय अनुपात

अनुपात	वर्ष 2015–16	वर्ष 2014–15
बिक्री कारोबार का ईबीआईडीटीए (%)	51.33	84.50
शुद्ध मूल्य पर पीएटी (%)	5.01	12.66
औसत नियोजित पूंजी पर ईबीआईडीटीए (%)	9.64	21.81
प्रति शेयर आय (प्रत्यक्ष मूल्य रू. 10/– प्रति)	10.30	25.48
प्रति शेयर बही खाता मूल्य	205.56	201.29

लाभांश :

मॉयल पिछले कई वर्षों से लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी है और इस परंपरा को कायम रखते हुए वर्ष 2015–16 के दौरान 30 प्रतिशत अर्थात् प्रति इक्विटी शेयर रू. 3.00 की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान मार्च 2016 में किया गया है। वर्ष के लाभ को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 20 प्रतिशत अर्थात् प्रति इक्विटी शेयर पर रू. 2.00 की दर से अंतिम लाभांश भुगतान करने की सिफारिश की है। वर्ष 2015–16 के लिए कुल लाभांश प्रति इक्विटी शेयर रू. 5.00 निकाला गया है जो पिछले वर्ष रू. 8.50 था। इस प्रकार, वर्ष के लिए कुल लाभांश का भुगतान 5 प्रतिशत अर्थात् 84.00 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 142.80 करोड़ रूपये) होता है।

मॉयल के निदेशक अन्य अधिकारीयों के साथ 63 वी एजीएम में

वित्तीय कार्य–निष्पादन :

वर्ष 2015–16 के दौरान बाजार की प्रतिकूल अवस्था के परिणामस्वरूप आपकी कंपनी के कार्य–निष्पादन में गिरावट आयी। आपकी कंपनी ने गत वर्ष में रूपये 823.25 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 628.74 करोड़ रूपये की शुद्ध बिक्री (उत्पाद शुल्क छोड़कर) दर्ज की है। गत वर्ष के पीबीटी रू. 650.57 करोड़ की तुलना में इस वर्ष के लिए कर–पूर्व–लाभ (पीबीटी) 58.46 प्रतिशत से घटकर रूपये 270.26 करोड़ हो गया है। कंपनी ने गत वर्ष में रूपये 428.01 करोड़ की तुलना में 172.98 करोड़ कर–पश्चात–लाभ (पीएटी) अर्जित किया है।

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी ने अधिशेष निधियों को सावधि जमा योजना में नियोजित किया है तथा कुल रू. 244.06 करोड़ (गत वर्ष रू. 279.77 करोड़) का ब्याज प्राप्त किया है, जिसे अन्य आय के अंतर्गत रखा गया है। वर्ष के दौरान ब्याज दरों में गिरावट के कारण ब्याज आय में कमी हुई है।

बिक्री :

वित्तीय वर्ष 2015–16 हाल के इतिहास में इस्पात और मैंगनीज अयस्क उद्योग के लिए सबसे कठिन वर्षों में से एक रहा है। बाजार की प्रतिकूल स्थिति के कारण कंपनी ने वर्ष के दौरान मैंगनीज अयस्क की विभिन्न श्रेणियों की कीमतों को लगभग 45 प्रतिशत तक कम किया। वर्ष के दौरान औसत बिक्री प्राप्तियाँ रू. 8233 पीएमटी से रू. 5911 पीएमटी तक आ गई। कंपनी का मैंगनीज अयस्क का बिक्री राजस्व 23.72 प्रतिशत कम होकर गत वर्ष में रू. 749.55 करोड़ की तुलना में रू. 571.79 करोड़ हो गया। इसके बावजूद, अपनी विवेकपूर्ण विपणन और मूल्य निर्धारण नीति के साथ कंपनी 6.26 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए गत वर्ष में मैंगनीज अयस्क के 9.10 लाख टन की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान मैंगनीज अयस्क के 9.67 लाख टन की बिक्री करने में सफल रही है।

कंपनी के विनिर्मित उत्पादों के संबंध में अर्थात् ईएमडी, फेरो मैंगनीज, फेरो मैंगनीज स्लैग सहित, गत वर्ष के दौरान रू. 65.64 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान शुद्ध बिक्री रू. 47.83 करोड़ थी। ईएमडी की बिक्री गत वर्ष में 655 एमटी की तुलना में 714 एमटी थी, जबकि फेरो मैंगनीज की बिक्री गत वर्ष में 8587 एमटी की तुलना में 7922 एमटी थी।

उत्पादन एवं उत्पादकता :

बाजार की संपूर्ण अवस्था और विश्व स्तर पर मैंगनीज अयस्क की कीमतों में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर, 3री तिमाही से लेकर 4थी तिमाही की शुरूवात तक, आपकी कंपनी ने मैंगनीज अयस्क की निम्न श्रेणियों का उत्पादन बंद कर दिया है। आपकी कंपनी ने गत वर्ष के 11.39 लाख टन उत्पादन की तुलना में वर्ष के दौरान मैंगनीज अयस्क की विभिन्न श्रेणियों का 10.32 लाख टन उत्पादन किया है। कंपनी का प्रति मानव पाली (ओएमएस) आउटपुट 0.718 टन (गत वर्ष 0.818 टन) रहा है। गत वर्ष के 950 टन की तुलना में इस वर्ष इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) का उत्पादन 612 टन था। गत वर्ष के 10045 एमटी की तुलना में इस वर्ष फेरो मैंगनीज का उत्पादन 6519 एमटी था। फेरो मैंगनीज के उत्पादन में गिरावट आयी है जिसका कारण मुख्यतः दो–तीन माह से किए जा रहे महत्वपूर्ण नियोजित रखरखाव कार्यों के कारण उत्पादन का प्रभावित होना है, जबकि ईएमडी का उत्पादन बाजार की खराब स्थितियों के कारण कम हुआ है।

मनसर खान में वर्टिकल शाफ्ट

बंद भंडार :

गत वर्ष 31.03.2015 को रूपये 109.38 करोड़ मूल्य के 2.48 लाख टन बंद भंडार की तुलना में 31.03.2016 को रूपये 130.46 करोड़ मूल्य के 2.95 लाख टन मैंगनीज अयस्क के बंद भंडार कंपनी के पास है। कंपनी के पास पिछले वर्ष 31.03.2015 को रूपये 16.36 करोड़ मूल्य के 4001 टन फेरो मैंगनीज के बंद भंडार की तुलना में 31.03.2016 को रूपये 10.26 करोड़ मूल्य के 2598 टन फेरो मैंगनीज के बंद भंडार है। 31.03.2016 को ईएमडी का बंद भंडार 294 टन (गत वर्ष 396 टन) था जिसका मूल्य रूपये 2.18 करोड़ (गत वर्ष रूपये 3.47 करोड़) था।

पूंजी/मूल्यवर्धन / विविधीकरण परियोजनाएं :

इस्पात उद्योग में मैंगनीज अयस्क की मांग पूरी करने और हमारे देश में मैंगनीज के बाजार में अग्रणी रहने के लिए मैंगनीज अयस्क का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। भविष्य में इस्पात उद्योग में मैंगनीज अयस्क की मांग को पूरा करने के लिए और मैंगनीज उद्योग में अग्रणी बने रहने के लिए मॉयल ने अपने वर्तमान उत्पादन को बढ़ाकर लगभग 1.1 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से 2020 तक 2.0 मिलियन टन और 2030 तक 2.5 मिलियन टन तक करने की योजना बनाई है, जिसके लिए एक रणनीति प्रबंधन योजना पहले ही बनाई गई है। इस दिशा में आपकी कंपनी ने मौजूदा खदानों के विकास, देश के भीतर और बाहर नई खदानों के अधिग्रहण, खदानों के आस–पास के क्षेत्रों का अधिग्रहण, मूल्यवर्धन / विविधीकरण परियोजनाओं इत्यादि की स्थापना के लिए निवेश की योजना बनाई है।

(ए) पूंजीगत खर्च और खदान विस्तारीकरण परियोजना :

कंपनी की पूंजीगत खर्च योजनाओं में वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग/गहरीकरण परियोजना, खनन के लिए नये पट्टे/क्षेत्रों का विकास, स्थायी संपत्तियों में नियमित परिवर्धन/संशोधन/प्रतिस्थापन, टाउनशिप, अनुसंधान और विकास इत्यादि में निवेश की परिकल्पना की गई है। कुल पूंजीगत खर्च गत वर्ष में रू. 114.78 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान रू. 119.65 करोड़ का उपयोग किया गया है। मॉयल ने अपनी मौजूदा खदानों से उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न खदान विस्तारीकरण परियोजनाओं को हाथों में लिया है। कुछ परियोजनाएं पहले ही पूर्ण हो चुकी है और कुछ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में निम्नानुसार है :

(i) संपन्न प्रकल्प / कार्यान्वयन के अधीन परियोजना

मॉयल खान में एस डि एल की संचालन

(ए) चिखला खदान में वर्टिकल शाफ्ट का 109 मीटर से 169 मीटर तक गहरीकरण, जिसकी पूंजीगत लागत रू. 9.12 करोड़ है – परियोजना अक्तूबर, 2015 में पूर्ण हो गई है।

(बी) बालाघाट खदान में होल्म्स (वर्टिकल) शाफ्ट का 300 मीटर से 435 मीटर तक गहरीकरण, जिसकी पूंजीगत लागत रू. 28.30 करोड़ है – परियोजना का कार्य प्रगति पर है और नवम्बर 2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(सी) चिखला खदान में 160 मीटर गहराई की अन्य वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग, जिसकी पूंजीगत लागत रू. 48.70 करोड़ है – परियोजना का कार्य प्रगति पर है और अपनेनिर्धारित समयानुसार चल रहा है।

(डी) कांद्री खदान में वर्टिकल शाफ्ट का 185 मीटर से 245 मीटर तक गहरीकरण, जिसकी पूंजीगत लागत रू. 14.82 करोड़ है – परियोजना का कार्य प्रगति पर है और अपने निर्धारित समयानुसार चल रहा है।

(ई) मनसर खदान में 160 मीटर गहराई की अन्य वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग, जिसकी पूंजीगत लागत रू. 51.32 करोड़ है – परियोजना का कार्य प्रगति पर है और अपने निर्धारित समयानुसार चल रहा है।

(ii) आगामी / नई परियोजनाएं

(ए) उकवा खदान में रू. 77.15 करोड़ की पूंजीगत लागत से 324 मीटर गहराई की अन्य वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग।

(बी) गुमगांव खदान में रू. 194.92 करोड़ की पूंजीगत लागत से 330 मीटर की लार्ज डाय. हाई स्पीड वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग।

(सी) बालाघाट खदान में रू. 265.96 करोड़ की पूंजीगत लागत से 750 मीटर की लार्ज डाय. हाई स्पीड वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग।

(बी) देश के भीतर और बाहर खदानों का अधिग्रहण

कंपनी की रणनीतिक प्रबंधन योजना की दिशा में विदेशों के मैंगनीज अयस्क उत्पादकों के साथ खरीद समझौतों के लिए रणनीतिक गठबंधन की योजना बनाई गई है। इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित करने की दृष्टि से कंपनी की वेबसाईट पर एक ओपन एंडेड एक्स्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट (ईओआय) को रखा गया है।

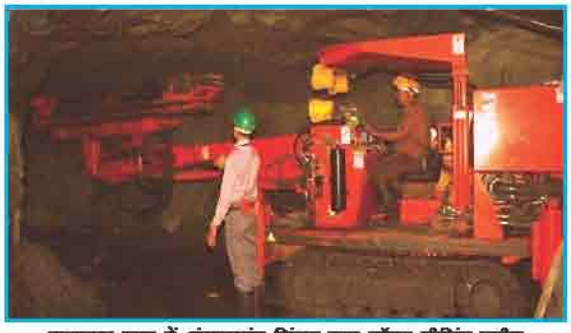

बालाघाट खान में अंडरग्राउंड सिंगल बूम क्रॉलर ड्रीलिंग मशीन

(सी) संयुक्त उद्यम कंपनियां (सेल एवं मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि. और रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.)

फेरो अलॉय संयंत्रों को स्थापित करने के लिए मॉयल के पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआयएनएल) के साथ दो अलग संयुक्त उद्यम (50:50) है। मेकॉन लि. द्वारा तैयार टीईएफआर के अनुसार यह परियोजनाएं राज्य विद्युत मण्डलों की वर्तमान बिजली दरों में व्यवहार्य नहीं हैं, इसे देखते हुए इस वर्ष के दौरान दोनों संयुक्त उद्यम कंपनियों में कोई गतिविधि नहीं हुई है। कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसार सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य बातों को समाविष्ट करते हुए एक विवरण (प्रपत्र एओसी–1) अनुलग्नक–। के रूप में संलग्न है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसार इन संयुक्त उद्यमों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों को भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

(डी) अन्वेषण कारोबार

भारत सरकार के खान मंत्रालय ने देश भर में विभिन्न खनिजों का अन्वेषण संचालित करने के लिए मॉयल को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1) के अंतर्गत अधिसूचित किया है। इससे मॉयल के लिए इन नये क्षेत्रों में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए अवसर खुल गए है। कंपनी इस पर कार्य कर रही है और आगामी वर्षों में कुछ कारोबार प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की संभावना है। राज्य सरकार के खनन विभाग के साथ एक संयुक्त उपक्रम के माध्यम से मैंगनीज अयस्क का खनन करने के प्रस्ताव के साथ निर्धारित क्षेत्रों में अन्वेषण संचालित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पहले ही प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर विचार किया जा रहा है ।

अनुसंधान एवं विकास :

मॉयल मैंगनीज अयस्क और इसके मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड और हाई कार्बन फेरो मैंगनीज अलॉय के अन्वेषण, दोहन और विपणन में कार्यरत है। पुअर रॉक मास क्वालिटी और कठिन भू–खनन अवस्थाओं के साथ संकीर्ण अयस्क भंडार में मॉयल 3 ओपनकास्ट और 7 भूमिगत खदानों को संचालित करता है। देश के सीएसआयआर–आरएण्डडी प्रयोगशाला, शैक्षणिक और अनुसंधान व विकास संस्थानों में नई तकनीक को प्रस्तुत करके खदानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कंपनी नेअनुसंधान और विकास गतिविधियों को शूरू किया है। मॉयल आर एण्ड डी परियोजनाओं के लिए विभिन्न एजेन्सियों अर्थात् सीआयएमएफआर, एनएमएल, एनजीआरआय, नीरी, आयआयटी, आयएसएम, एनआयटी, वीएनआयटी, एनआयआरएम, आयआयईएसटी के साथ संलग्न और जुड़ा है। मॉयल में आर एण्ड डी पर जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल है:–

(i) खदान का वातावरण : गुमगांव और मनसर खदान में इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, खड़गपुर द्वारा गहरे स्तरों के लिए वेंटिलेशन के पुनर्गठन का अध्ययन किया गया। इससे वेंटिलेशन पंखे को दूसरे स्थान पर लगाने से भूमिगत भागों की उत्पादकता और वेंटिलेशन में सुधार हुआ है।

(ii) खनन तकनीक : इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आयएसएम), धनबाद द्वारा मैकेनाइज स्टोपिंग प्रचालन के लिए आर एण्ड डी परियोजना तैयार की गई है और उकवा खदान में मैकेनाइज स्टोपिंग प्रचालन और सपोर्ट सिस्टम के लिए कार्यान्वित की गई है। मैकेनाइज स्टोपिंग प्रचालन से उत्पादन, सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार लाने में मदद मिली है।

(iii) खनिज संरक्षण :

(ए) नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (एनआरआयएम), केजीएफ ने चिखला खदान में आर एण्ड डी अध्ययन किया। अध्ययन से अवशोषण के लिए खननयोग्य भंडारों में वृद्धि हुई है। इन–सीटू–पिलरों में बंद मूल्यवान खनिज का अन्वेशण के लिए इस्तेमाल किया गया।

(बी) मिनरल रिजेक्ट्स के लाभकारी उपयोग के लिए मॉडर्न मिनरल प्रोसेसिंग लैबोरेटरी और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आयबीएम), नागपुर के पायलट प्लांट से उकवा खदान में काले मिनरल रिजेक्ट्स डम्प के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन किया गया।

आधुनिक पर्यावरण के अनुकूल हायड्रो स्टैटीक ड्रील मशीन

(iv) उत्पादन का विकास : इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज मेटल (इएमएम) के लिए प्रोसेस फ्लो शीट का विकास, एक मूल्य वर्धित उत्पाद जिसकी बाजार में अच्छी संभावना है। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल), जमशेदपुर ने आर एण्ड डी रिपार्ट तैयार की है और यह ज्ञात हुआ कि कंपनी के मैंगनीज अयस्क के साथ बड़ी मात्रा में अत्यंत शुद्ध ईएमएम का उत्पादन किया जा सकता है।

(v) शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोगात्मक कार्य

(ए) मॉयल भरन सामग्री के लिए रेती के विकल्प के लिए वीएनआयटी, नागपुर के साथ मिलकर संयुक्त सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास परियोजना चला रहा है।

(बी) मॉयल स्लोप मॉनिटरिंग उपकरणों (खान मंत्रालय की एस एण्ड टी योजना के अधीन) के लिए नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला के साथ स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान भी कर रहा है।

(vi) भूमिगत में कॉन्क्रिट लगाने के लिए अंतर्गत–आर एण्ड डी : प्री कास्ट आरसीसी कॉलम और सेक्शन तैयार किए गए और भूमिगत ड्रिफ्ट में स्थापित किए गए। इससे क्रॉस कट्स में कंक्रीटिंग की दर में सुधार हुआ है।

(vii) सुरक्षित ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस :

(ए) उड़ने वाले कंकड़ों और भूमि कंपन को नियंत्रित करने के लिए डोंगरी बुजुर्ग और तिरोडी खदान के लिए सीएसआयआर–सीआयएमएफआर द्वारा नियंत्रित ब्लास्टिंग अध्ययन किया गया है।

(बी) अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल (एएनएफओ) में डीजल के वैकल्पिक फ्यूल के लिए सीआयएमएफआर, धनबाद के साथ डोंगरी बुजुर्ग खदान में ब्लास्टिंग अध्ययन किया गया है।

(viii) रेती के इस्तेमाल के बदले / कम करने हेतु भरन सामग्री के विकल्प के लिए अंतर्गत–आरएण्डडी :

(ए) आरएण्डडी विभाग प्रायोगिक आधार पर जमीनी राख से उकवा खदान के भूमिगत भागों की भराई के लिए अध्ययन कर रहा है ।

(बी) उकवा खदान में हाईड्रोलिक स्टोइंग ऑपरेशन के लिए मलाजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट की मिल टेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंतर्गत आरएण्डडी अध्ययनों द्वारा रेती के बदले में मिल टेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है।

आर एण्ड डी से संबंधित गतिविधियों का अधिक विवरण **अनुलग्नक** –।। में दिया गया है।

उर्जा संरक्षण :

श्रीमती अरुणा सुंदरराजन, सचिव इस्पात और सी एम डी बालाघाट भूमिगत खदान का दौरा करते हुए

मॉयल ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर देता है। इससे मशीनरी की क्षमता, ऊर्जा घटक और उपकरणों के नियमित पर्यवेक्षण प्रदर्शन में सुधार हुआ है। हालांकि, यह संयंत्र और मशीनरी के समग्र कार्यकल्पों पर तथा अन्य कार्य अवस्थाओं पर निर्भर करता है।

ऊर्जा खपत में कमी के लिए किए गए उपाय और इस संबंध में भविष्य की योजनाएं निम्नलिखित है :–

1. 10 मेगा वाट क्षमता के सौर उर्जा प्रकल्प की स्थापना प्रस्तावित है।
2. प्रशासनिक कार्यालय में रूफ टॉप सोलार पैनल की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
3. उर्जा घटक में सुधार और बिजली की बचत के लिए बालाघाट खदान में 250 केवीआर, 11 केवी कैपेसिटर बैंक की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।
4. घरेलु बिजली खपत को कम करने के लिए तकरीबन 8500 एलईडी लैम्प्स रियायती दरों पर कर्मचारियों को प्रदान किए गए। प्रशासनिक कार्यालय में भी एलईडी लैम्प्स लगाने का प्रस्ताव है।

कंपनी की खदानों और संयंत्रों के लिए उत्पादन की प्रति टन बिजली खपत इस प्रकार है:

क्र.	विवरण	केडब्लूएच खपत पीएमटी	
		वर्ष 2015–16	वर्ष 2014–15
1.	मैंगनीज अयस्क	22.51	19.51
2.	फेरो मैंगनीज	3156.38	2815.14

रिपोर्ट में उल्लेखित कारणों के लिए वर्श के दौरान उत्पादन में कमी की वजह से मुख्यतः बिजली की केडब्लूएच खपत पीएमटी बढ़ गई है। बिजली की खपत के संबंध में अधिक विवरण अनुलग्नक–।। में दिया गया है।

पवन ऊर्जा उत्पादन :

मॉयल के 4.8 मेगावाट और 15.2 मेगावाट क्षमता के दो पवन ऊर्जा फार्म है जो इंदौर (म.प्र.) के निकट देवास जिले में क्रमशः नागदा पहाडी और रतेडी पहाडी पर स्थित है। 4.8 मेगावाट पवन फार्म से बालाघाट खदान को भी ऊर्जा दी जा रही है और खदान के साथ ही कंपनी के फेरो मैंगनीज संयंत्र में भी उपयोग की जा रही है। 15.2 मेगावाट पवन फार्म से उत्पादित ऊर्जा को मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को बिक्री किया जा रहा है। कंपनी ने पिछले वर्ष में 3.28 करोड केडब्लूएच की तुलना में 3.65 करोड केडब्लूएच बिजली उत्पन्न किया है।

खनन पट्टा और अन्वेषण

31.03.2016 को मॉयल के पास कुल 1613.611 हेक्टर खनन पट्टा क्षेत्र है, जिसमें से 699.066 हेक्टर भूमि महाराष्ट्र राज्य में तथा 914.545 हेक्टर भूमि मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है (उकवा, बालाघाट, तिरोडी और डोंगरी बुजर्ग के वन क्षेत्रों को छोडकर, जिसका अभी निष्पादन नहीं हुआ है)। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर और भंडारा जिले में मैंगनीज के प्रास्पैक्टिंग के लिए सरकार द्वारा मॉयल के पक्ष में 814.71 हेक्टर क्षेत्र आरक्षित कर रखा है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने 814.71 हेक्टर के इस आरक्षित क्षेत्र में से 597.44 हेक्टर क्षेत्र जिसमें 11 पी एल क्षेत्र आता है मैंगनीज के प्रास्पैक्टिंग के लिए अनुमति प्रदान की है और शेष क्षेत्रों की प्रक्रिया जारी है।

राष्ट्रीय भू–भौतिकीय अनुसंधान संस्थान, (एनजीआरआय), हैदराबाद द्वारा 11 पीएल क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रैविटी और मैगनेटिक पद्धति से भू–भौतिकीय सर्वेक्षण किया गया था। ग्रैविटी और मैगनेटिक सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर मॉयल द्वारा 3 पीएल क्षेत्रों के अंतर्गत कोर

ड्रिलिंग की गयी और इन क्षेत्रों में मैंगनीज अयस्क की मौजूदगी को साबित किया, इस प्रकार, 3 एमएल अप्लिकेशन में से 211.60 एचए. लीजओवर मायनिंग के लिए आवेदन किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर 132.46 एचए. के दो एमएल क्षेत्रों के अनुमोदन को सूचित किया है और एक आवेदन पर प्रक्रिया जारी है। कंपनी ने शेष पीएल क्षेत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। अनुमोदन के पश्चात कोर ड्रिलिंग के लिए शेष पीएल क्षेत्र लिए जाएंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर जिले के रामटेक तहसील के परसोडा गांव में 53.75 हेक्टर खनन पट्टा मॉयल के पक्ष में प्रदान किया है, जिसे निष्पादित और पंजीकृत कर लिया गया है।

वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने बालाघाट जिले के परसवाडा तहसील के लुगमा गांव में 48.974 हेक्टर खनन पट्टा कंपनी के पक्ष में प्रदान किया है। मॉयल ने लीज निष्पादित और पंजीकृत कर ली है।

मॉयल में अतिरिक्त संसाधनों / नये भंडारों का अन्वेषण एक निरंतर प्रक्रिया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, कोर ड्रिलिंग के अन्वेषण से 4.09 मिलियन टन (अनुमानित और अनंतिम) इन–सीटू (बेड) संसाधनों को जोड़ा गया है। इससे मॉयल के कुल इन–सीटू भंडारों और संसाधनों में 81.47 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है।

उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी)

मॉयल में ईआरपी कार्यान्वयन सूचना के आधार पर निर्णय लेने के लिए सक्षम करने की सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सहज एकीकरण की परिकल्पना करता है, जो सभी स्तरों पर दर्षनीय और पारदर्शी है। एकल संव्यवहार आधार के साथ जिसे अद्यतन साझा किया जाता है और संपूर्ण संगठन द्वारा तैयार किया जाता है, व्यावसायिक कार्यों के सभी मास्टर डेटा का मानकीकरण प्राप्त कर लिए जाने की उम्मीद है। कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति के साथ ही कोर कमेटी का गठन कर दिया गया है। मॉयल के लिए सबसे बेहतर ईआरपी उत्पाद और सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन खुली निविदा द्वारा कर लिया गया है और कार्यादेश दे दिए गए है। प्रोजेक्ट की बिजनेस ब्लू प्रिन्ट (बीबीपी) चरण पूरा हो गया है। कार्यान्वयन चरण प्रगति पर है, आवश्यक हार्डवेयर की खरीदी पूर्ण हो गई है, उपयोगकर्ताओं का प्रशिक्षण और विभिन्न मॉड्यूल का परीक्षण प्रगति पर है। इस बीच कुछ कार्यो को ईआरपी में शिफ्ट कर दिया गया है, सभी गतिविधियों के षीघ्र पूरा हो जाने की उम्मीद है और यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान शुरू हो जाने की उम्मीद है।

श्री बी. पी. सिंह (जी.ओ.जी.प्रभारी) माईन्स सेफ्टी वीक का उद्घाटन करते हुए

सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य

आपकी कंपनी खदानों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देती है तथा अत्याधुनिक खनन तकनीक एवं खनन प्रचालन में यांत्रिकीकरण का समावेश करके सुरक्षा उपकरणों के मानकों में लगातार सुधार लाकर दुर्घटनाओं में कमी लाने का सतत प्रयास भी करती है। खदानों के सुरक्षा मानकों में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये है :

- सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण देना।
- दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सुरक्षा समितियों की सभा नियमित तौर पर आयोजित की जाती है, जिसमें सतर्कतापूर्वक दुर्घटना का विश्लेषण किया जाता है।
- दुर्घटनाओं की अधिक से अधिक रोकथाम के लिए सभी स्तरों के कर्मचारियों के साथ गहन वार्तालाप किया जाता है।
- विषेश प्रशिक्षण के अलावा प्रत्येक कर्मचारी को नियमित रूप से व्यावसायिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- सुरक्षा और पर्यावरण विभाग ने निम्नलिखित विशयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए है :

ए) खदानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्थायी विकास का महत्व

बी) खदानों में आपदा प्रबंधन

सी) खदानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

- मॉयल की विभिन्न खदानों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार भी दिए गए है।
- व्यवसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में, मॉयल को बालाघाट, डोंगरी बुजुर्ग, चिखला, कान्द्री, मनसर, गुमगांव, तिरोडी और उकवा खदानो के लिए ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

- मॉयल ने अपनी सभी भूमिगत और ओपनकास्ट खदानों के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा जोखिम निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है और डीजीएमएस की आवश्यकतानुसार सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार की है।
- मॉयल ने खदानों, संयंत्रों, स्कूल, अस्पताल और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है।
- बालाघाट, उकवा और फेरो मैंगनीज संयंत्र का सुरक्षा ऑडिट भी कर लिया गया है।

पर्यावरण संरक्षण और अक्षय उर्जा

आज के युग में इकोलॉजी संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुदाय के विकास की प्रक्रिया में उसके पर्यावरण के अनुकूल रहने के साथ–साथ उस समुदाय की विशिष्ट संस्कृति के अनुकूल रहना भी जरूरी होता है। कंपनी की सभी खदानों जिसमें रेती घाट भी शामिल है, को एमओईएफ, नई दिल्ली से पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त है। आपकी कंपनी ने स्थायी विकास को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए है। कंपनी अपने पट्टा धारित क्षेत्रों एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों में पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग हैं। अब तक विभिन्न खदानों में संचयी वृक्षारोपण लगभग 18.50 लाख पौधों का हो चुका हैं। पर्यावरण अनुकूल संगठन के तौर पर मॉयल ने 20 मेगावाट क्षमता का पवन उर्जा फार्म स्थापित किया है, जिसमें से उत्पन्न 4.8 मेगावाट बिजली की खपत कंपनी में की जाती है तथा पवन उर्जा फार्म से उत्पन्न 15.2 मेगावाट बिजली एमपीपीएमसीएल को बिक्री कर दी जाती है।

सुचिता पत्रिका का विमोचन करते हुए बांए से: (श्री नितीन चावंदे,श्री संदिप तागवाळगे, श्री जी पी कुंदरगी, श्री टी. के. पटनायक और श्री. दिपांकर शोम)

मॉयल एम.पी. की खदानों में रू. 32.18 करोड की कुल लागत से 5.50 मेगावाट का सौर उर्जा प्रकल्प और महाराष्ट्र की खदानों में रू. 29.65 करोड की कुल लागत से 5.00 मेगावाट का सौर उर्जा प्रकल्प की खरीद और संस्थापना की प्रक्रिया भी जारी है।

सतर्कता

मॉयल का सतर्कता विभाग संगठन के हितों की रक्षा को दृष्टि में रखते हुए भ्रष्टाचार और कदाचार को रोकने के लिए और लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से सत्यनिष्ठा, ईमानदारी के साथ कार्य करने का माहौल उपलब्ध कराने के लिए निवारक के साथ–साथ सक्रिय सतर्कता गतिविधियों पर मुख्य रूप से जोर देता है। वर्ष 2015–16 के दौरान सतर्कता विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्न प्रकार हैं :

(i) आईएसओ 9001–2008 : सतर्कता विभाग का प्रमाणपत्र 22 मई, 2017 तक पुर्नमान्य किया गया है।

(ii) निरीक्षण : इस वर्ष के दौरान, कुल 45 सामान्य /आकस्मिक निरीक्षण और 06 फाइल समीक्षा की गई। वर्तमान प्रणाली और पारदर्शिता में सुधार के लिए सतर्कता विभाग प्रबंधन को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तद्नुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन को 6 सलाह जारी की गई।

(iii) ई–प्रशासन : स्क्रैप/अतिरिक्त वस्तुओं का निपटान, मैंगनीज अयस्क के चुनिंदा ग्रेड और फेरो मैंगनीज/स्लैग की बिक्री ई–ऑक्शन के माध्यम से की जा रही है। खरीदी और कार्य संविदाओं के लिए ई–खरीदी की जा रही है।

(iv) सतर्कता की संरचनागत बैठक : मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) और इस्पात मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंधन के साथ सतर्कता विभाग की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। 2015–16 के दौरान, 4 बैठकें आयोजित की गई। इसमें ई–गवर्नेंस, लाभ प्रौद्योगिकी, निविदा प्रबंधन, कार्य आबंटन, भर्ती नीति आदि संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

(v) प्रौद्योगिकी का लाभ : मुख्य सतर्कता आयोग के परिपत्र के संदर्भ में, नियामक, प्रवर्तन गतिविधियों के निर्वहन में और शिकायतों को निपटने में सतर्कता विभाग प्रभावपूर्ण लाभ प्रौद्योगिकी पर जोर दे रहा है। प्रौद्योगिकी लाभ के लिए मुख्य रूप से सामग्री की खरीद और सेवाओं के क्षेत्र है। इसके अलावा, ठेकेदारों का पंजीकरण, संविदा का सफल आबंटन और टेकेदारों को बिल भुगतान की स्थिति को कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाषित किया जाता है। सभी निविदा दस्तावेज, भर्ती के आवेदन और स्थिति, नोटिस और अन्य प्रारूपों को कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है।

(vi) मैनुअल का अद्यतन : विभिन्न मैनुअल जैसे खरीदी मैनुअल, कार्य और संविदा मैनुअल, कार्मिक मैनुअल इत्यादि तैयार किए गए है और व्यवहार में रखे गये है और इसे कंपनी की वेबसाइट/इंटरनेट पर पोस्ट किया गया है। सक्रिय सतर्कता के एक भाग के रूप में मैनुअल के अद्यतन का नियमित आधार पर प्रबंधन के साथ अनुसरण किया जाता है।

सतर्कता सप्ताह का उद्घाटन करते हुए श्री संदिप रामगावकर, एस. पी. (ए सी बी)

(vii) निविदा एवं अनुबंध : सीवीसी पीरपत्रों के अनुसार, निर्धारित मूल्य सीमा से अधिक के जारी निविदा/ठेकों को प्रत्येक माह नियमित रूप से वेबसाईट पर पोस्ट किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाती है और इसका पर्यवेक्षण किया जाता है।

(viii) प्रशिक्षण कार्यक्रम : 2015–16 के दौरान, सतर्कता विभाग ने तीन अलग–अलग स्थानों पर 4 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 154 कर्मचारी शामिल हुए। खरीद, सुशासन, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, सतर्कता जागरूकता और निवारक सतर्कता, आदि जैसे विशय समाविष्ट किए गये।

(ix) काम में बदलाव : 320 में से 258 अधिकारियों के 65 पदों को संवेदनशील पाया गया है और उनके पदों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उनके काम में बदलाव की आवश्यकता है। प्रबंधन द्वारा अधिकारियों का रोटेशन किया जाता है।

(x) सतर्कता क्लिअरेंस : विभिन्न प्रयोजनों के लिए कालावधि के दौरान 845 कर्मचारियों को सतर्कता क्लिअरेंस प्रदान किया गया।

(xi) प्रणाली में सुधार : शिकायत, अध्ययन, निरीक्षण, आदि के संबंध में विभिन्न जॉचों के निष्कर्ष के रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रणाली सुधार के लिए परामर्श और सुझाव दिए गए है :

1. सीसीटीवी और बायोमैट्रीक लगाना।
2. कार्य संविदाओं में प्राक्कलन और दर सूची तैयार करना
3. पूंजीगत परिसंपत्ति रजिस्टर का पुनर्गठन
4. अभिलेखो की प्रतिधारण / नष्ट करने की नीति
5. ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण
6. भर्ती और पदोन्नति से संबंधित प्रक्रिया।

(xii) वार्षिक संपत्ति विवरणी : संगठन के सभी अधिकारियों ने अपनी वार्षिक संपत्ति की विवरणी प्रस्तुत कर दी है। सीवीसी के दिशानिर्देशो के अनुसार प्रतिवर्ष इस प्रकार की विवरणी के 20 प्रतिशत की संवीक्षा की जाती है। तद्नुसार, वर्ष के दौरान अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणी की संवीक्षा की गई।

(xiii) सतर्कता जागरूकता सप्ताह : मॉयल लिमिटेड की सभी खदानों/कार्यालयों में 26 अक्तूबर, 2015 से 31 अक्तूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर, सतर्कता विभाग ने सतर्कता पत्रिका "शुचिता" के चौथे वार्षिक अंक का प्रकाशन किया, जिसका विमोचन मॉयल के सीएमडी ने किया। सप्ताह के दौरान कर्मचारियों तथा मॉयल परिसर और आस–पास के क्षेत्रों के स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न स्पर्धा, कार्यशाला, सतर्कता जागरूकता रैली, संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आगमन के साथ मॉयल ने इसके प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए है।

मॉयल ने अपने कारपोरेट कार्यालय में प्रमुख जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया है तथा अपनी सभी खदानों में जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी भी नियुक्त किए है। महाप्रबंधक (कार्मिक) को इस अधिनियम के अंतर्गत "अपीलीय प्राधिकारी" के तौर पर नियुक्त/पदनामित किया गया है। सभी जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के नाम कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in में दर्षाए गए है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) में निर्धारित किए अनुसार कंपनी और उसके कर्मचारियों के संबंध में जानकारी निर्धारित शीर्षकों में तैयार की गई है तथा इसे कंपनी के पोर्टल में डाला गया है। मॉयल निर्धारित

मॉयल कि ए वी पब्लीक स्कूल की इमारत का आंतरिक दृश्य

प्राधिकारियों को आवष्यक जानकारी एवं विवरणी प्रस्तुत करती है तथा नियमित तौर पर इसे अद्यतन करती रहती है।

इस अधिनियम का उद्देश्य एवं यथार्थ भावना के बारे में कंपनी के कर्मचारियों को जागरूक बनाने के लिए व्यापक जागरूकता उत्पन्न की गई है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर परिपत्रों को जारी करके ध्यान में लाया गया है तथा उनसे अपने रोजमर्रा के काम में पारदर्शिता लाने और सभी अभिलेखों को उचित/व्यवस्थित ढंग से रखने को कहा गया है। आगे जनता के लिए भी कंपनी अपनी वेबसाईट में नियमित अंतराल के पश्चात स्वमेव अधिक से अधिक जानकारी डालती है / अद्यतन भी करती है ताकि जनता को सूचना के अधिकार के अधीन जानकारी हासिल करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का कम से कम उपयोग करना पड़े।

बड़े पैमाने पर कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम का महत्व समझने तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डालने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 64 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 31 आवेदनों का निपटान किया गया और 33 को अस्वीकृत किया गया। अपीलीय अधिकारी के पास अपील के 8 मामले प्राप्त हुए और समय से सभी का निपटारा कर दिया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास

वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 136 प्रशिक्षण कार्यक्रम (आंतरिक और बाहरी) आयोजित किए गए। इसमें 95 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है, जिसे खदानों के व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में श्रमिकों के लिए आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान कुल 3939 प्रतिभागी थे जिन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 698 अधिकारी, 446 गैर– अधिकारी और 2795 श्रमिक शामिल थे। कुल मिलाकर रिपोर्टाधीन वर्श के दौरान 160875 दिनों का प्रशिक्षण विभिन्न विषयों पर पूरा किया गया। इसके अलावा, कंपनी ने प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण भी दिया है।

मॉयल अपने प्रशिक्षुओं को उनके अंतर्निहित कौशल को दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है और इसका प्रदर्शन करने के लिए विविध मंच उपलब्ध कराता रहा है। इस दिशा में, एक कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षुओं ने गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में मॉडल तैयार किया। मनसर प्रशिक्षण केन्द्र में 11 मार्च, 2016 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे "युवा प्रतिभा दिवस" के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में कुल 87 ट्रेड प्रशिक्षुओं ने हिस्सा लिया और रचनात्मक संकल्पना के 25 मॉडल प्रस्तुत किए गए। निर्णायकों की तकनीकी टीम द्वारा मूल्यांकन के बाद सर्वोत्कृष्ट मॉडल को पुरस्कार प्रदान किए गए।

क्षेत्र में औद्योगिक इकोसिस्टम के विकास के लिए कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने मॉयल की खदानों के परिसर में कौशल विकास पहल को सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम(एनएसडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा (संविदागत कर्मचारी सहित) । एनएसडीसी मॉयल संयंत्र / खदानों के आस–पास स्थानीय युवाओं को क्षमता निर्माण और बेहतर आजीविका कमाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

बालाघाट खान में आवासीय क्वार्टर का भूमीपूजन

श्रम कल्याण योजना, मनोरंजन और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं

मॉयल दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खदानों के कर्मचारियों के साथ–साथ इसके समीपस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवास, पीने का पानी, बिजली, अस्पताल, स्वास्थ्य शिविर, स्कूल, गृह कर्ज और गृह कर्ज पर ब्याज की सब्सिडी इत्यादि जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। ऐसी योजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है:–

- जीवनमान में सुधार लाने के लिए और कर्मचारियों की आकांशा को ध्यान में रखते हुए आवासीय क्वार्टरों का निर्माणकार्य किया है और इसे अधिकांश कर्मचारियों को आबंटित किया है।
- खदान कालोनी में रहने वाले कर्मचारियों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध की जा रही है।
- कैंप की कालोनियाँ और सड़कें अच्छी तरह से प्रकाशमान है। कर्मचारियों को रियायती दर पर उनके निवास पर बिजली प्रदान की गई है।
- सभी खदानों पर अस्पताल/डिसपेंसरी की स्थापना की गई है जिसे योग्य डॉक्टरों और विधिवत प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा चलाया जा रहा है। पुरूष और महिला कर्मचारियों के लिए अलग–अलग ओपीडी के साथ–साथ इनडोर वार्ड की व्यवस्था उपलब्ध है। आपात स्थिति के लिए सभी अस्पतालों को एम्बुलेंस वैन भी प्रदान की गई है। आवश्यकता के अनुसार मरीजों को चिकित्सा इलाज के लिए विशेष अस्पतालों में भेजा जाता है।

- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा बीमा की योजना कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है।
- कंपनी में समूह सेवानिवृत्ति नकद संचय योजना (निर्धारित अंशदान) भी शुरू है, जिसे 01.01.2007 से लागू किया गया है।
- कुछ खदानों में प्राइमरी स्कूल संचालित करने के लिए भी सहायता दी जा रही है जहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी खदानों पर स्कूल बसों की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों को समीपस्थ क्षेत्रों के हाई स्कूलों / कॉलेजों में ले जाया जा सके।
- मॉयल ने डीएवी पब्लिक स्कूल अथॉरिटी के साथ एक अनुबंध किया है, जिसके अंतर्गत चिखला खदान में 8वीं कक्षा तक एक स्कूल संचालित हो रही है। स्कूल की कुल क्षमता लगभग 857 विद्यार्थियों की है।

श्री. एम. पी. चौधरी बालाघाट खान में आवासीय क्वार्टर का भूमीपूजन करते हुए

- ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति तथा मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा लेने हेतु कर्मचारियों और श्रमिकों के बच्चों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- स्थानीय बच्चों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर योजना के अंतर्गत दो स्कूल इमारतों (उकवा और भरवेली में) को पुनर्निर्मित किया गया है और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उठाए गए कल्याणकारी कदम :

मॉयल दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार अपने रोल पर 6305 कर्मचारियों के साथ एक श्रमिक बहुल संगठन है जिसमें से 78.95 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (45.60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) से है। हमारी कंपनी दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खदानों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों के विकास में भी गहरी रूचि ले रही है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

- खदानों के निकट के गाँवों को गोद लिया गया है तथा इन गाँवों में रहने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा, सड़क की मरम्मत, समय–समय पर चिकित्सा जाँच और उपचार प्रदान किया जाता है।
- खदानों के निकट स्थित स्कूलों में वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, पुस्तकें इत्यादि प्रदान करना।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को तीन पहिया साइकिल प्रदान करना।
- महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए सिलाई मशीन उपलब्ध कराना।
- स्वंय रोजगार योजना के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं को आयोजित करना।
- आदिवासी महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए अन्य कल्याणकारी कदम उठाना जैसे सिलाई प्रशिक्षण, प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं, एड्स जागरूकता कार्यक्रम, इस तरह के अन्य कार्यक्रमों को पोस्टर, सूचना और बैनर लगाकर प्रचार करना, कुष्ठ रोग जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि ।
- निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

मॉयल सी. एम. डी. श्री जी. पी. कुंदरगी 54 वें मॉयल स्थापना दिवस का दीप प्रज्वलन करते हुए

महिला सशक्तिकरण

मॉयल में दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार कुल मानवबल 6305 था जिसमें 780 महिला कर्मचारी थे जो कुल मानवबल का 12.38 प्रतिशत है।

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए गए है। तद्नुसार 3 अधिकारियों की एक शिकायत समिति 1999 में गठित की गई थी, जिसमें एक महिला चिकित्सक का समावेश था तथा जून 2014 में इस समिति का पुर्नगठन किया गया। तब से अब तक कंपनी की किसी भी खदान से या उसके निगमित कार्यालय से कोई उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। महिला कर्मचारियों में जागृति पैदा करने के लिए दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

कंपनी की सभी खदानों पर महिला मण्डलों का कार्य प्रभावपूर्ण ढंग से चल रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा सामुदायिक गतिविधियाँ जैसे – प्रौढ शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन आदि कार्यक्रम विशेषकर दूरदराज के खदान क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लाभ हेतु आयोजित किए जा रहे है।

प्रति वर्ष 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कंपनी मातृत्व छुट्टी प्रदान करती है और परिवार नियोजन के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी भी प्रदान करती है।

अपनी सीएसआर गतिविधियों के एक भाग के रूप में खदानों पर स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया है, जिसमें दूरदराज के गाँवों की महिलाओं का समावेश किया गया है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोमबत्ती, वाशिंग पावडर, साबुन, बाँस की टोकरियाँ, सिलाई तथा विभिन्न अन्य व्यवसायिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीड़न के अंतर्गत प्राप्त मामलों की जांच के लिए कंपनी ने एक यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन किया हैं। समिति के सदस्य इस प्रकार है :–

1. श्रीमती प्रीति जोशी, अध्यक्ष (विधिक) — समिति की अध्यक्षा
2. श्रीमती (डॉ.) भारती रंगारी, प्रमुख (एम.एस.) — सचिव
3. श्री नितीन पगनिस, अध्यक्ष (पीईआर) — सदस्य
4. श्री नीरज पाण्डेय, कंपनी सचिव — सदस्य
5. श्रीमती उज्वला अम्यंकर, प्रबंधक (पीईआर) — सदस्य
6. श्रीमती आशा सिंह, पूर्व–प्रधानाचार्य — स्वतंत्र सदस्य

समिति के सदस्यों के नाम कंपनी की वेबसाइट अर्थात् **www.moil.nic.in** पर अपलोड किए गए है।

वर्ष 2015–16 में यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	प्रलंबित शिकायतों की संख्या
शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

मॉयल का 54 वां स्थापना दिवस मनाते हुए

कार्मिक

31.03.2016 को आपकी कंपनी के मानवबल की स्थिति नीचे दर्शाये अनुसार है :–

श्रेणी	कार्यपालक	गैर–कार्यपालक	पीआर कामगार	कुल
पुरूष	305	2399	2821	5525
महिला	21	115	644	780
कुल	326	2514	3465	6305

31.03.2016 को वर्गानुसार कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :–

समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल
ए	51	13	62	148	274
बी	33	7	53	92	185
सी	318	196	432	433	1379
डी	798	1391	1556	654	4399
कुल	1268	1607	2103	1327	6305
कुल प्रतिशत	20.11	25.49	33.35	21.05	100

नागरिक चार्टर एवं शिकायत निवारण यंत्रणा

ए) कर्मचारियों की शिकायत – मॉयल के पास कार्यपालक के साथ ही गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के लिए स्वयं की शिकायत निवारण कार्यप्रणाली है। कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण नियमानुसार किया जाता है।

जन शिकायत – कोई भी नागरिक अपनी शिकायत ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से दर्ज कर सकता है। जनता से प्राप्त शिकायतों का निपटारा करने के तरीके से सभी शिकायत अधिकारियों को अवगत कराया गया है। पूर्व में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर जनता से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रणाली बनाई गई है।

श्री जी. पी. कुंदरगी, श्री टी. के. पटनायक श्री नितीन चायंदे और श्री. दिपांकर शोम अंतर खान बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगीता के विजेताओं के साथ

बी) मॉयल की शिकायत निवारण यंत्रणा में प्रत्येक यूनिट/खदान के लिए एक मनोनित शिकायत अधिकारी होता है। यूनिटों में इस कार्य को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए मुख्यालय में मनोनित किया गया शिकायत अधिकारी यूनिटों के शिकायत अधिकारियों के साथ समन्वय करता है।

सी) खदानों और कारपोरेट कार्यालय के पदनामित जन शिकायत अधिकारियों द्वारा जन शिकायतों की मासिक/त्रैमासिक समीक्षा की जाती है और साठ दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर निपटान किया जाता है।

डी) यूनिटों की शिकायतों से संबंधित डाटा यूनिट के शिकायत अधिकारी द्वारा मासिक/त्रैमासिक विवरणी में मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाता है। इसका परीक्षण किया जाता है और मंत्रालय को सौप दिया जाता है।

दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि में लोक कर्मचारी शिकायतों की स्थिति

क्र.	शिकायतों का प्रकार	01.04.2015 को बकाया शिकायतें	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	31.03.2016 को लंबित मामलों की संख्या
1	जन शिकायतें	—	—	—	—
2	कर्मचारी शिकायतें	शून्य	972	965	07
	कुल	शून्य	972	965	07

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीय विकास

मॉयल में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एक नियमित प्रक्रिया है। मॉयल पिछले कई वर्षों से सीएसआर गतिविधियाँ एक कृतसंकल्प तरीके से कर रहा है। कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक सीएसआर नीति तैयार की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीएसआर के अंतर्गत कई योजनाएं हाथों में ली गई है और कार्यान्वित की जा रही है, इसमें मुख्य रूप से शामिल है :

बायो गॅस यूनीट में कंबाइंड कंपोस्टींग यूनीट लाभार्थियों मे से एक को वितरित किया गया

- शिक्षा और कौशल विकास की पहल में, मॉयल अपनी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की खदानों के समीपस्थ कई स्कूलों को सहायता प्रदान कर रहा है। स्कूलों में आस–पास के क्षेत्र के गांवों के रहवासी और ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- बोरवेल को स्थापित करके दूरदराज के क्षेत्रों में गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराना।
- जरूरतमंद ग्रामीण लोगों के लिए "लाइट टू लाइव्स" कार्यक्रम के अंतर्गत 1850 निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी और 150 बच्चों के आंख की सर्जरी की गई है।
- संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था "मॉयल फाउंडेशन" को कंपनी ने बढ़ावा दिया है। इसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए बीएआयएफ के एक सहयोगी संगठन महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर फॉर रूरल एरिया (मित्रा) के साथ एक एमओयू किया है। यह परियोजना ग्रामीण स्तर पर बेहतर जीवनशैली के लिए संसाधनों को विकसित करने का

प्रयास करती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए मॉयल खदानों के आस–पास के 21 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के नागपुर जिले के 5 गांव, भंडारा जिले के 11 गांव और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के 5 गांव शामिल है। गांव के संसाधनों के विकास के लिए एक व्यापक माइक्रो प्लान तैयार किया गया है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्र निम्नानुसार है :–

- कृषि विकास (मृदा परीक्षण, सॉयल हैल्थ कार्ड, कम्पोस्टिंग पद्धतियों को बढ़ावा, फसल विविधीकरण, धान में एसआरआय, इत्यादि)
- जल संसाधन विकास के अंतर्गत पीसीडी ढांचों का नूतनीकरण और कुओं के गहरीकरण द्वारा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना।
- पशुधन विकास (पोल्ट्री, गोट डेवलपमेंट)
- क्षमता निर्माण और महिला सशक्तिकरण तथा एसएचजी मजबूतीकरण के लिए सदस्यों को प्रशिक्षण।
- जीवनशैली कार्यक्रम जिसमें प्रमुख जोर सामुदायिक स्वास्थ्य पर है जिसके लिए नियमित स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और निःशुल्क दवाईयों के वितरण के साथ स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाते है, जिसके कारण क्षेत्र के समग्र विकास में मदद मिलती है।

श्रीमती अरुणा सुंदरराजन, सचिव इस्पात मंत्रालय भारत सरकार इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, दिल्ली में मॉयल के स्टॉल का भेंट देते हुए

- इन 21 गांवों में 100 नग बायोगैस वितरित किए गए और वर्मी कम्पोस्ट बेड्स से लिंक किए गए और किचन गार्डन का विकास किया गया।
- छात्रों में ई–लर्निंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में 21 ई–लर्निंग यूनिट उपलब्ध कराये गये है ।
- चयनित गांवों की 21 स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जैसे डेस्क और बेंच उपलब्ध कराये गये और साथ ही स्कूल लायब्रेरी के लिए पुस्तकें और खेल–कूद सामग्री उपलब्ध करायी गई । सोलार उर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी 21 गांवों में सोलार स्टडी लैंप वितरित किए गए। सभी 21 गांवों की आंगनवाड़ी में बेहतर स्वच्छता बनाये रखने के लिए वाटर फिल्टर और फ्लोर मैट उपलब्ध कराये गये।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने मॉयल खदानों के प्रचालन क्षेत्रों के आस–पास विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य जैसे गांव की सड़कों, सामुदायिक भवन का निर्माणकार्य, स्कूलों का नवीनीकरण, वृक्षारोपण के लिए सहयोग, इत्यादि को शुरू किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवष्यक वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक–।।। के रूप में संलग्न की गई है।

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 से खरीदी

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की आवश्यकता के अनुरूप और इस संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पीएसयू को एमएसई द्वारा निर्मित विनिर्दिष्ट उत्पादों और प्रदान की गई सेवाओं की कुल वार्षिक खरीदी में से न्यूनतम 20 प्रतिशत खरीदी करना आवश्यक है। आगे, 20 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमियों द्वारा संचालित एमएसई से खरीदी की जाएगी।

पीएसयू के लिए यह भी आवश्यक है कि अपने वार्षिक रिपोर्ट में उपरोक्त खरीदी के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख करें। इस संबंध में, यह उल्लेख करना है कि वर्ष 2015–16 के दौरान सामग्री की कुल खरीदी रू. 53.75 करोड़ (गत वर्ष रू. 57.62 करोड़) है, जिसमें से एमएसई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा संचालित एमएसई सहित) द्वारा सामग्री की खरीदी का कुल मूल्य रू. 17.07 करोड़ (गत वर्ष रू. 15.56 करोड़) है, जो एमएसई द्वारा निर्मित उत्पादों की कुल वार्षिक खरीदी का 31.75 प्रतिशत होता है।

इस प्रकार, कंपनी एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए उपरोक्त प्रथम पैराग्राफ में उल्लेख के अनुसार मॉयल ने एमएसएमई द्वारा निर्मित उत्पादों / प्रदान सेवाओं की अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है।

हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम में श्री जी. पी. कुंदरगी भाषण देते हुए

हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग :

मॉयल में उसकी खदानों में करीब 97 प्रतिषत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। कंपनी के तकरीबन सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड सिस्टम डाला गया है। कंपनी ने कंप्यूटरों में हिन्दी भाशा सॉफ्टवेयर का प्रावधान किया है तथा कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि मॉयल के कर्मचारी इसका अपने रोजमर्रा के कार्यों में इस्तेमाल कर सके।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए कंपनी निरंतर निबंध लेखन, टिप्पण, आलेखन, कविता और लेखों जैसी विविध हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है तथा इसे विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। कर्मचारियों को गृह मंत्रालय की "हिंदी शिक्षण योजना" के अंतर्गत पुनर्प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 312 कर्मचारियों को प्राज्ञ (उच्च स्तर) का प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है, जो कंपनी में एक सतत प्रक्रिया है।

इस्पात मंत्रालय के सहयोग से, मॉयल ने दिल्ली में "हिन्दी संगोष्ठी" का आयोजन किया था, जिसमें 26 सीपीएसई के प्रतिनिधि और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और मंत्रालय के अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर ने हिन्दी के क्षेत्र में मॉयल द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका "संकल्प" और अन्य उत्कृष्ट कार्यो के लिए सराहना की है। समिति द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मॉयल अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजता है। अन्य संस्थानों द्वारा हिन्दी में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कंपनी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती है।

पुरस्कार और सराहना :

मॉयल देश के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है जिसे निरंतर उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए जाना जाता है। आपकी कंपनी को लगभग सभी क्षेत्रों में अपने अच्छे कामों के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सम्मान प्राप्त होते आ रहे है। कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त सम्मान में से कुछ का विवरण नीचे दर्शाए अनुसार है :

- खनन क्षेत्रों के लिए दो राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण पुरस्कार, उकवा खदान के लिए प्रथम पुरस्कार तथा कान्द्री खदान के लिए दूसरा पुरस्कार, राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण दिवस 2015 को माननीय उर्जा मंत्री के हाथों प्रदान किया गया।
- 2014–15 के लिए डीपीई द्वारा कारपोरेट गवर्नेन्स की उत्कृष्ट ग्रेडिंग।
- धातुयुक्त खदान सुरक्षा सप्ताह 2015 में आयोजित प्रतियोगिता में सर्वोत्तम प्राथमिक उपचार टीम (भूमिगत) के लिए चिखला खदान ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है।
- धातुयुक्त खदान सुरक्षा सप्ताह 2015 में आयोजित प्रतियोगिता में विंडर के साथ विस्फोटक भूमिगत खदानों के लिए चिखला खदान ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है।
- धातुयुक्त खदान सुरक्षा सप्ताह 2015 में आयोजित प्रतियोगिता में विंडर के साथ भूमिगत खदानों के खदान कार्य और वैधानिक सर्वेक्षण योजना के लिए चिखला खदान ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है।
- धातुयुक्त खदान सुरक्षा सप्ताह 2015 में आयोजित प्रतियोगिता में विंडर के साथ भूमिगत खदानों में वेंटिलेशन के लिए चिखला खदान ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है।
- एमईएमसी सप्ताह 2015–16 में आयोजित प्रतियोगिता में वनीकरण के लिए चिखला खदान ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है।
- एमईएमसी सप्ताह 2015–16 में आयोजित प्रतियोगिता में खनिज प्रबंधन और उप–श्रेणी के खनिज के लिए चिखला खदान ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है।

आदरणीय मंत्री श्री पियूष गोयल जी के हाथों से पुरस्कार लेते हुए मॉयल के सी. एम. डी. श्री जी. पी. कुंदरगी

- गोल्ड अवार्ड–सीसीक्यूसी–2015 क्वालिटी सर्कल फोरम, नागपुर चैप्टर द्वारा आयोजित, तिरोडी खदान के परख क्वालिटी सर्कल ने भी नेशनल कनवेंषन ऑन क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स–एनसीक्यूसी –2015 में बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी सर्कल अवार्ड के लिए "मानिकगढ़ सीमेंट रोलिंग ट्रॉफी" प्राप्त की है।
- ईएमडी संयंत्र के अमन क्वालिटी सर्कल, डोंगरी बुजुर्ग खदान ने नेशनल कनवेंशन ऑन क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स – एनसीक्यूसी –2015 में मैरिट का अवार्ड प्राप्त किया है।

मनसर खान में निदेशकों का दौरा

निदेशक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री ए. के. झा, निदेशक (उत्पादन एवं आयोजना) ने महानंदी कोलफील्ड्स लि. (01.11.2015 से) के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभालने के लिए कंपनी छोड़ दी है। उनके कार्यकाल के दौरान उनके अमूल्य योगदान और मार्गदर्शन के लिए मंडल ने अपने हार्दिक आभार को अभिलेखित किया है।

भारत सरकार ने वर्ष के दौरान मॉयल के मंडल में सुश्री संगीता गैरोला, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी को स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है, जो 26.11.2018 को समाप्त हो जाएगा।

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा पत्र दिया है कि वें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत और सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदण्डों को पूरा करते है। स्वतंत्र निदेशक सामान्यतः तीन वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते है और सुश्री संगीता गैरोला को छोड़कर, वर्तमान के सभी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 17.11.2016 को समाप्त हो रहा है।

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम (8) (5) (iv) के साथ पठित धारा 134 (3)(क्यू) के अंतर्गत मंडल ने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) जो कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के रूप में भी पदनामित है और कंपनी सचिव का मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में चयन किया है ।

नियुक्ति, कार्य–निश्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक नीति

एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य–निष्पादन मूल्यांकन, पारिश्रमिक, इत्यादि भारत सरकार द्वारा किया/निर्धारित किया जाता है।

निदेशक मंडल और उसकी विभिन्न समितियों के पूर्णतः पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अंतर्गत कंपनी कार्य करती है। मंडल और समिति के निर्णय पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी के अधिकारियों द्वारा निष्पादित और कार्यान्वित किए जाते है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, मॉयल में सभी निदेशकों की नियुक्ति तथा नियुक्ति के नियम और शर्तों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित कंपनी के कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के पूर्व और बाद के कार्य–निष्पादन के मूल्याकंन के लिए एक अलग प्रणाली अपनाती है। अन्य सरकारी निदेषकों के कार्य–निश्पादन का मूल्यांकन केन्द्र/राज्य सरकार के उनके संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। इसे देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि कोई भी पुनः मूल्यांकन अनुत्पादक हो सकता है, कंपनी ने अपना कार्य–निष्पादन कंपनी के प्रचालन प्रदर्शन, परिणामी उपलब्धियों और लक्ष्यों के प्रति कार्यों तक सीमित रखा है। इन मापदण्डों से, बाजार की संपूर्ण अवस्था और मैंगनीज अयस्क की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद कंपनी और उसके निदेशक मंडल का कार्य–निष्पादन बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार ने भी एक यंत्रणा स्थापित की है, जिसके माध्यम से एमओयू में निर्धारित विभिन्न मानदण्डों के आधार पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कंपनी के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

अधिकारियों का पारिश्रमिक वेतन संशोधन पर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है और कंपनी के अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक उनकी यूनियन के साथ समय–समय पर किए गए वेतन समझौता अनुबंध के अनुसार निर्धारित किया जाता है। कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति, इत्यादि मंडल द्वारा अनुमोदित भर्ती और पदोन्नति नीति के अनुसार की जाती है।

जोखिम प्रबंधन नीति :

मॉयल मानता है कि किसी भी व्यवसायिक गतिविधि में जोखिम निहित होता है और जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन कंपनी की तत्काल और भावी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति एक प्रणाली को स्थापित करती है जो जोखिमों की देखरेख, भौतिक व्यापार जोखिमों के प्रबंधन में मदद करती है और कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में भी मदद करती है। इसे कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in में भी अपलोड किया गया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी कथन :

आपके निदेशक कहते है कि :

(i) वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और इसमें कोई भौतिक विचलन नहीं है।

(ii) उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है तथा उसके आधार पर निर्णयों को लिया एवं आंकलन किया है, जो कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ–हानि की सही और निष्पक्ष तस्वीर पेष करने में सक्षम थी।

(iii) उन्होंने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में यथोचित लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

गुढ़ी गाव के ग्रामस्थों के साथ वार्तालाप करते हुए श्रीमती उर्मिला खाती, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय एवं श्री जी. पी. कुंदरगी सी. एम. डी. अन्य अधिकारीयों के साथ

(iv) उन्होंने एक लाभकारी प्रतिष्ठान के आधार पर वित्तीय विवरणों को तैयार किया है।

(v) उन्होंने कंपनी द्वारा अनुपालित किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को रखा है और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और प्रभावी तरीके से संचालित हो रहे है।

(vi) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली बनाई है और इस तरह की प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी तरीके से संचालित हो रहीहै।

सांविधिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, नागपुर को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के अंतर्गत कंपनी के लेखा–परीक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार की धोकाधड़ी को रिपोर्ट नहीं किया गया है। सांविधिक लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है, जो स्वयं स्पष्ट है।

बालाघाट खान में 13.5 लेवल का उद्घाटन करते हुए सचिव, इस्पात मंत्रालय

सचिवीय लेखा परीक्षक

वर्ष 2015–16 के लिए मंडल ने मेसर्स ए. मेहता एण्ड कंपनी, इंदौर को सचिवीय लेखा–परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी रिपोर्ट संलग्न है, जो स्वतः स्पष्ट है। वर्ष के दौरान कंपनी के मंडल की संरचना के अतिरिक्त रिपोर्ट में कोई अन्य पात्रता नहीं है। हालांकि कंपनी 31 मार्च, 2016 की आवश्यकता के अनुपालन में है। एक सरकारी कंपनी होने के कारण सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। मंडल का यह मानना है कि जब कभी आवश्यकता होगी, भारत सरकार मॉयल के मण्डल में निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति करेगी।

संबंधित पार्टी गतिविधि

कंपनी ने कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी संव्यवहार नहीं किया है, जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष निर्माण कर सकता है। फिर भी, संबंधित पार्टीयों के साथ संव्यवहार के बारे में लेखा के नोट क्र. 1.2 के मद क्र. 11 में प्रकट किया गया है। अतः कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित धारा 134 (3) में निर्धारित प्रपत्र एओसी–2 में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है। कंपनी में संबंधित पार्टी संव्यवहार नीति है और इसे अपनी वेबसाइट www.moil.nic.in पर अपलोड किया गया है।

सतर्कता तंत्र

कंपनी में एक व्हीसल ब्लोअर नीति है और इसे अपनी वेबसाइट www.moil.nic.in पर अपलोड किया गया है। किसी भी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोकाधड़ी अथवा कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन की निगरानी के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में कंपनी का एक सक्षम और स्वतंत्र सतर्कता विभाग है। सभी कार्मिक अपनी शिकायतों इत्यादि

के लिए सतर्कता विभाग का उपयोग कर रहे है। सतर्कता तंत्र निदेशकों और कर्मचारियों के लिए वास्तविक कठिनाईयों को सूचित करने के लिए स्थापित किया गया हैं। सतर्कता तंत्र व्यक्तियों को अत्याचार के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, जो इस प्रकार का तंत्र इस्तेमाल करते है।

लागत अंकेक्षण

दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लागत लेखांकन अभिलेखों का अंकेक्षण करने के लिए कंपनी के लागत अंकेक्षक के रूप में मेसर्स उज्ज्वल पी. लोया एण्ड कंपनी, नागपुर को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार और इसके अंतर्गत नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया है। 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए लागत अंकेक्षण रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तिथि दिनांक 27 सितम्बर, 2016 है। निर्धारित समय–सीमा के भीतर रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए अनुसार वर्ष 2014–15 के लिए लागत अंकेक्षण रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट समय–सीमा के भीतर दाखिल की गई।

समेकित वित्तीय विवरण

आपकी कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। हालांकि, उसके रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि. और सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि. नामक दो संयुक्त उपक्रम है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसरण में विधिवत अंकेक्षित समेकित वित्तीय विवरणों को आवश्यक टिप्पणियों, अनुलग्नकों और प्रकटीकरणों के साथ संलग्न किया है, जैसा कि लागू और आवश्यक है।

अन्य प्रकटीकरण :

(i) अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी आत्मसात आदि का विवरण : कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(एम) के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी आत्मसात आदि से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक–।। के रूप में संलग्न है, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।

(ii) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय : कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान मैंगनीज अयस्क या इसके अन्य उत्पादों का कोई निर्यात नहीं किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने रू. 33.50 लाख का व्यय विदेशी मुद्रा में किया है, जबकि गत वर्ष रू. 33.40 लाख किया गया था।

केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इस्पात एवं खान मंत्रालय, बंगलूरू में मॉयल पॅविलियन में, साथ में सचिव, खान मंत्रालय श्री. बलविंदर कुमार, मॉयल सी. एम.डी. श्री जी. पी. कुंदरगी, सी. एम. डी. केआयओसीएल श्री मलय चटर्जी और सी. एम. डी. एमईसीएल श्री. गोपाल धवन

(iii) कर्मचारियों का विवरण : कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 और समय–समय पर संशोधनों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के दायरे में कोई कर्मचारी शामिल नहीं है।

(iv) जमा : समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मॉयल ने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है।

(v) ऋण, प्रत्याभूत और निवेश : अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत कोई भी ऋण, प्रत्याभूत या निवेा नहीं है।

(vii) लेखा परीक्षा समिति की संरचना : लेखा परीक्षा समिति की संरचना के बारे में विवरण निगमित अधिशासन की रिपोर्ट के खण्ड क्र. 3.1 (ए) में उल्लेखित किया गया है, जो मण्डल की इस रिपोर्ट का एक भाग है।

(viii) मंडल की बैठको की संख्या : इस संबंध में विवरण के लिए निगमित अधिशासन की रिपोर्ट के खण्ड क्र. 2.2 में दिया गया है, जो मण्डल की इस रिपोर्ट का एक भाग है।

(ix) वार्षिक विवरणी का उद्धरण : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में दिनांक 31.03.2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को वार्षिक विवरणी (प्रपत्र एमजीटी–9) का एक उद्धरण अनुलग्नक–iv में संलग्न किया गया है।

कागजों की बचत करने के लिए और सरकार की हरित पहल में योगदान देने के लिए कंपनी संक्षिप्त वित्तीय विवरण (एओसी–3) को भेजने के विकल्प का चयन कर रही है।

संदिग्ध लेखा में अंशों का विवरण :

संदिग्ध लेखा में अंशों का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	अंशधारकों की संख्या	अंशों की संख्या
दिनांक 31.03.2015 को संदिग्ध लेखा में कुल अंशधारकों की संख्या और लंबित अंशों की संख्या	14	238
वर्ष के दौरान संदिग्ध लेखा से अंशों का अंतरण करने के लिए संपर्क करने वाले अंशधारकों की संख्या	02	34
वर्ष के दौरान संदिग्ध लेखा से जिन्हें अंशों का अंतरण किया गया उन अंशधारकों की संख्या	02	34
बिना दावे के संदिग्ध लेखा को अंतरित अंश	0	0
दिनांक 31.03.2016 को संदिग्ध लेखा में कुल अंशधारको की संख्या और लंबित अंशों की संख्या	12	204

31.03.2016 को संदिग्ध लेखा में इस तरह के शेयरों पर इसके वास्तविक हकदार जब तक अपना दावा नहीं करते तब तक इन शेयरों पर मतदान का अधिकार नहीं रहेगा।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

मॉयल 20 वर्षों से अधिक समय से इस्पात मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर रहा है। समझौता ज्ञापन विभिन्न लक्ष्यों और प्रदर्शन के मानदण्डों को निर्धारित करता है, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वास्तविक उपलब्धियों पर निर्धारित किए जाते है। वर्ष 1995–96 से कंपनी लगातार उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त कर रही है। आपकी कंपनी ने एक बार फिर 20वें वर्ष में 2014–15 के लिए उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है। 2015 –16 की रेटिंग अभी तक जारी नहीं की गई है। परंपरा को कायम रखते हुए मॉयल वर्ष 2016–17 के लिए इस्पात मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।

श्रीमती अरूणा सुंदरराजन, सचिव इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार साथ में श्री जी. पी. कुंदरगी सी. एम.डी., श्री एम. पी. चौधरी एवं श्री दिपांकर सोम

निगमित अधिशासन :

कंपनी निगमित अधिषासन के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। निगमित अधिशासन पर एक भाग अलग से जोड़ा गया है और अनुलग्नक–V के रूप में संलग्न है, जो मण्डल की रिपोर्ट का एक भाग है। निगमित अधिशासन का प्रमाणपत्र भी निगमित अधिशासन की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है, जो स्वयं स्पष्ट है। वर्ष के दौरान कंपनी के मंडल की संरचना के अतिरिक्त रिपोर्ट में कोई अन्य पात्रता नहीं है। हालांकि कंपनी 31 मार्च, 2016 की आवश्यकता के अनुपालन में है। एक सरकारी कंपनी होने के कारण सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। मंडल का यह मानना है कि जब कभी आवश्यकता होगी, भारत सरकार मॉयल के मण्डल में निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति करेगी।

प्रबंधन विवेचन तथा विश्लेषण :

प्रबंधन विवेचन तथा विश्लेशण पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक– vi में प्रस्तुत की गई है।

औद्योगिक संबंध :

वर्ष 2015–16 के दौरान मॉयल में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहा। कंपनी में इस दौरान कोई भी काम बंद अथवा श्रम आंदोलन की घटना नहीं हुई। बेहतर उत्पादन और उत्पादकता की गति को बनाए रखा गया। संगठन के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए तथा शिकायतों के निवारण हेतु शीघ्र निर्णय लेने के लिए खदान स्तर और कारपोरेट स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जो संतोाजनक रूप से कार्य कर रही है।

अंशों का बायबैक :

कंपनी के निदेशक मण्डल ने दिनांक 7 जून, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में रू. 863,34,24,739 से अनधिक कुल प्रतिफल के लिए नकद में देय रू. 248 प्रति शेयर के मूल्य पर 3,48,12,196 से अनधिक इक्विटी शेयरों को (कुल इक्विटी शेयरों की संख्या के 20.72 प्रतिशत) अपने रू. 10 प्रति पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बायबैक ऑफर को सर्वसम्मति से मंजूर किया है। बायबैक कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियमन, 1998 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार है।

भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने भी शेयरों के प्रस्तावित बायबैक में हिस्सा लेने के लिए अपनी मंशा प्रस्तुत की है। कंपनी शेयरों के बायबैक को कार्यान्वित करने के लिए अगले कदम उठा रही है।

आभार ज्ञापन :

आपके निदेशक, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की राज्य सरकार, कंपनी के अंशधारकों, बैंकर्स, मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और सभी पणधारियों द्वारा दिए गए सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करते है।

कंपनी के कर्मचारी उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयासों में अपनी पूर्णतः प्रतिबद्धता के साथ लगातार कार्य कर रहे है। आपके निदेशक इस अवसर पर उन कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना करते है तथा आशा करते है कि आने वाले वर्षो में भी वे इसी उत्साह एवं समर्पण की भावना से काम करेंगे ताकि कंपनी को और अधिक उंचाइयों पर ले जाया जा सके।

निदेशक मंडल की ओर से

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

दिनांक : 27 जून, 2016
स्थान : भोपाल

निदेशकों का मॉयल के जि. देवास (मध्यप्रदेश) स्थित पवन चक्की संयंत्र का दौरा

अनुलग्नक –I

प्रपत्र संख्या एओसी. 1

सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता विवरण (कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

भाग "ए" : सहायक कंपनियाँ

(राशि रू.में)

क्र.सं.	विवरण	ब्योरा
1	सहायक कंपनी का नाम	लागू नहीं, क्योंकि कोई सहायक कंपनी नहीं है।
2	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारित कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो	
3	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्टिंग करेन्सी और एक्सचेंज रेट	
4	शेयर पूँजी	
5	रिजर्व और अधिशेष	
6	कुल संपत्तियाँ	
7	कुल देयता	
8	निवेश	
9	कारोबार	
10	कर पूर्व लाभ	
11	कर के लिए प्रावधान	
12	कर पश्चात लाभ	
13	प्रस्तावित लाभांश	
14	शेयर धारण का प्रतिशत	

मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 111107डब्लू

सी.ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्र. 108665

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

नितीन पी. काजरेकर
उपमहाप्रबंधक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : भोपाल
दिनांक : 27 जून, 2016

भाग "बी" संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यमों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

क्र. सं.	संयुक्त उद्यमों के नाम	सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	रिनमॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड
1	नवीनतम अंकेक्षित तुलन–पत्र की तारीख	31.03.2016	31.03.2016
2	समाप्त वर्ष को कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर		
	शेयरों की संख्या	1,00,000	1,00,000
	संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	रू. 10,00,000	रू. 10,00,000
	धारणाधिकार का प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
3	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
4	संयुक्त उद्यम समेकित नहीं होने का कारण	लागू नहीं, क्योंकि समेकन का विचार किया गया है ।	लागू नहीं, क्योंकि समेकन का विचार किया गया है ।
5	नवीनतम अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार शेयर धारिता की निर्धारणयोग्य नेटवर्थ	(147.97) लाख	9.69 लाख
6	वर्ष के दौरान लाभ / (हानि)	(41.74) लाख	–
7	समेकन के लिए विचार किया	(20.87) लाख	–
8	समेकन के लिए विचार नहीं किया	(20.87) लाख	–

टिप्पणी :

1. कोष्ठक में दर्षाए गए अंक हानि को दर्शाते है ।
2. उपर्युक्त उल्लेखित दोनों संयुक्त उद्यम कंपनियों ने वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है ।

मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 111107डब्लू

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

नितीन पी. काजरेकर
उपमहाप्रबंधक (वित्त)

सी.ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्र. 108665

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : भोपाल
दिनांक : 27 जून, 2016

अंशधारकों के लिए मण्डल की रिपोर्ट – अनुलग्नक– II

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत जरूरी उर्जा का संरक्षण और प्रौद्योगिकी आत्मसात के संबंध में विवरणों का प्रकटीकरण

(ए) उर्जा का संरक्षण

क्रम संख्या	विवरण	ब्योरा	
1	उर्जा के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभाव	उर्जा खपत के नियंत्रण और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने सभी खदानों और संयंत्रों के लिए मान्यताप्राप्त उर्जा अंकेक्षक द्वारा उर्जा अंकेक्षण किया। अंकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का कार्यान्वयन के लिए अध्ययन किया जा रहा है। इसका प्रभाव निर्धारित समय में पता चलेगा।	
2	उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	मण्डल ने रू. 32.18 करोड़ की कुल लागत से मध्यप्रदेश की खदानों में 5.50 मे.वॉ. सोलार पावर प्रोजेक्ट तथा रू. 29.65 करोड़ की कुल लागत से महाराष्ट्र की खदानों में 5.00 मे.वॉ. सोलार पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो इन दोनों राज्यों में खदानों और संयंत्रों में उर्जा के कैप्टिव इस्तेमाल के लिए है। खरीदी और स्थापना से संबंधित कार्य प्रक्रिया में है।	
		नागपुर के कारपोरेट कार्यालय में 48 के.वी. क्षमता के रूफ टॉप सोलार पावर सिस्टम की स्थापना के लिए कार्य–आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है ।	
		मौजूदा इनडोर लाइटों को एलईडी लाइटों से बदलने का कार्य प्रक्रिया में है ।	
3	उर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजीगत निवेश (प्रक्रिया में)	कार्य का विवरण	निवेश (लाख रू. में)
		बालाघाट, उकवा, डोंगरी बजुर्ग और तिरोडी खदान के लिए एपीएफसी पैनल की खरीदी	32.70
		बालाघाट खदान में 2X250 के वी ए आर एच टी कैपेसिटर बैंक की स्थापना	19.00
		नागपुर के कारपोरेट कार्यालय में मौजूदा इनडोर लाइटों को एलईडी लाइटों से बदलना	24.00
		कुल निवेश	75.70

(बी) प्रौद्योगिकी आत्मसात

(1) कंपनी के अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) गतिविधियों के अंतर्गत किए गए प्रयासों और इससे उत्पन्न फायदे इस प्रकार है :

क्र.सं.	क्षेत्र	उत्पन्न फायदे
1	खदान पर्यावरण	गुमगांव और मनसर खदान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर द्वारा गहरे स्तरों के लिए वेन्टीलेशन पुर्नसंगठन अध्ययन किया गया। गुमगांव खदान में एक्जास्ट फैन की जगह बदली गई। इससे भूमिगत भागों की उत्पादकता और वेन्टीलेशन में सुधार आया है।
2	खदान प्रौद्योगिकी	उकवा खदान में मायनिंग विभाग, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आयएसएम), धनबाद द्वारा मैकेनाइज्ड स्टोपिंग ऑपरेशन पर वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। उकवा खदान में स्टोपिंग ऑपरेशन के लिए यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इससे भूमिगत उत्पादन में सुधार में मदद मिलेगी।
3	धातुकार्मिक अध्ययन	बालाघाट खदान के हाय कार्बन फेरो मैंगनीज (एचसीएफईएमएन) अलॉय की उत्पाद गुणवत्ता में सुधार के लिए एचसीएफईएमएन अलॉय के डी–फॉस्फोरेशन के लिए सीएसआयआर–नैशनल मेटालर्जिकल लेबॉरेटरी (एनएमएल) में बेंच स्केल पर प्रोसेस फ्लो स्टडीज की जा रही है।
4	खनिज प्रसंस्करण	अस्वीकृत खनिज के इस्तेमाल के लिए मॉडर्न मिनरल प्रोसेसिंग लॅबारेटरी और पायलट प्लांट, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स द्वारा उकवा खदान के अस्वीकृत ब्लैक डम्प मैंगनीज का बेंच स्केल प्रसंस्करण अध्ययन किया जा रहा है।

5	खनिज संरक्षण	चिखला खदान के लिए नैषनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (एनआयआरएम), केजीएफ द्वारा मूल्यवान खनिज के संरक्षण और भूमिगत खदान के कार्यों में बेहतर सुरक्षा के लिए, भूमिगत स्टोपिंग के लिए नये स्टोप डिजाइन पैरामीटर तैयार किए जा रहे है। इनसीटू पीलर में ब्लॉक खनिज को कम करने में मदद मिलेगी।
6	खदान सुरक्षा (स्टोप डिजाइन)	बेहतर सुरक्षा और उत्पादकता के लिए मनसर खदान में एनआयआरएम द्वारा यांत्रिकीकृत सपोर्ट सिस्टम के लिए स्टोप डिजाइन किया जा रहा है।
7	खदान सुरक्षा (रॉक मैकेनिक्स उपकरण)	सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ मायनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च (सीआयएमएफआर), नागपुर के साथ सहयोग में स्ट्रैन बार की मदद से बालाघाट खदान में 12वॉ लेवल रॉक मैकेनिक्स इन्स्ट्रूमेंटेशन से नीचे 30 मीटर से 45 मीटर तक स्तर अंतराल में वृद्धि की गई है तथा भूमिगत कार्यों में सुरक्षा के लिए डाटा मॉनिटरिंग की जा रही है।
8	सतत विकास रूपरेखा (पर्यावरण)	सतत विकास रूपरेखा (एसडीएफ) के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ सायन्स एण्ड टेक्नॉलॉजी (आयआयएसटी) शिबपुर द्वारा डोंगरी बजुर्ग ओपनकास्ट खदान के लिए माइन क्लोजर प्लान का वैज्ञानिक मूल्यांकन तैयार किया जा रहा है। इससे आस–पास के गांवों में विकास के लिए मदद मिलती है।
9	भूमिगत यांत्रिकीकरण	बालाघाट खदान में ड्रिफ्ट डेवलपमेंट के लिए जम्बो ड्रिल मशीन – सिंगल बूमर इलेक्ट्रो–हायड्रोलिक ड्रिलिंग मशीन और लोड हॉल और डम्प मशीन प्रस्तुत की गई है। इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आईआईटी), खड़गपुर द्वारा वैज्ञानिक अन्वेषण किया जा रहा है। इससे बालाघाट खदान में भूमिगत हेडिंग्स के तेजी से विकास, स्टोप उत्पादकता और सुरक्षा में मदद मिलेगी।
10	गुरूत्वाकर्षण–चुंबकीय पद्धति द्वारा भू–भौतिकीय पूर्वेक्षण से खनन	नैशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एनजीआरआय), हैदराबाद द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर और भंडारा जिले के प्रॉस्पेक्टिंग लायसंस क्षेत्रों में मैंगनीज अयस्क के भंडार / संसाधनों की हाय–स्पीड खनन के लिए ग्रैविटी और मैगनेटिक पद्धति द्वारा जियो–फिजिकल प्रॉस्पेक्टिंग किया जा रहा है ।
11	अयस्क भंडार का खनन	यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी की स्वयं की कोर ड्रिलिंग मशीनों के द्वारा कोर ड्रिलिंग होल ड्रिलिंग गवेषण से अयस्क भंडार और पट्टा क्षेत्रों के आसपास गवेषण किया जाता है। इसके अलावा, गहरे अन्वेशण आउटसोर्सिंग के द्वारा किए जाते है। इस प्रक्रिया से कंपनी प्रतिवर्ष अयस्क भंडारों/संसाधनों को जोड़ रही है।
12	सीमेंट कान्क्रिट में सुरक्षा	भूमिगत ड्रिफ्ट कान्क्रिट कार्य के लिए प्री–कास्ट आरसीसी कॉलम और बीम तैयार किए गए है। इससे सुरक्षा मानकों में सुधार आया है और भूमिगत ड्रिफ्ट में कान्क्रिट सपोर्ट को स्थापित करने का समय कम हुआ है।
13	रेती की वैकल्पिक भरण सामग्री के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान	वीएनआईटी, नागपुर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना जारी है। वीएनआईटी परिसर में आगे के अध्ययन के लिए पायलट हायड्रोलिक स्टोइंग प्लांट शुरू किया गया है। यह खदानों में स्टोइंग के लिए रेती की बजाय अन्य वैकल्पिक सामग्री प्रदान करेगा।
14	अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास अध्ययन	भरण सामग्री के रूप में रेती की जगह मलाजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट की बॉटम ॲश और मिल टेलिंग का उकवा खदान में प्रायोगिक आधार पर हाइड्रोलिक स्टोइंग में इस्तेमाल किया जा रहा है।
15	एक्सआरएफ एनालाइजर	कंपनी ने खदानों एवं नागपुर स्थित निगमित कार्यालय में सफलतापूर्वक एक्सआरएफ विश्लेषक मशीन को लगा लिया है। इससे ग्राहक समाधान में सुधार हुआ है।
समग्र रूप से उपर्युक्त के परिणामस्वरूप प्रयास खनन प्रचालनों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार को दर्षाते है। इस विकास के साथ भूमिगत में रैपिड मायनिंग टेक्नॉलॉजी जैसे डेवलपमेंट हेडिंग्स में लॉन्ग होल ड्रिलिंग, एसडीएल द्वारा स्टोप्स में आरओएम की मैकेनिकल हॅण्डिंग, एलएचडी द्वारा वेस्ट हैण्डलिंग प्रस्तुत की गई है। भू–भौतिकीय पूर्वेक्षण द्वारा खनन ने नये पट्टों में कोर ड्रिलिंग के लिए नये आयाम दिये है।		
(ii)	आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	शून्य
(iii)	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च (करोड़ रू. में)	7.33

अनुलग्नक – III

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें परियोजनाओं का अवलोकन या आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों का वेबलिंक से सदंर्भ शामिल है।

मॉयल में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एक निरंतर प्रक्रिया है। मॉयल पिछले 6–7 वर्षों से एक कृतसंकल्प तरीके से सीएसआर गतिविधियों को चला रहा है। कंपनी ने एक सीएसआर नीति बनाई है जिसे निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीएसआर के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही है और कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल है :

- शिक्षा और कौशल विकास की पहल के रूप में कंपनी पांच स्कूलों को सहयोग कर रही है। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में दो स्कूल और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में तीन स्कूल। दोनों जिले भारत के पिछड़े जिलों में अधिसूचित है। स्कूल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है जो आस–पास के क्षेत्रों के गांवों के निवासी है और ज्यादातर गरीब परिवारों से आते है।
- कंपनी ने दूर–दराज क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 25 बोरवेल का निर्माण किया है।
- कंपनी का एनजीओ सूरज आय इन्स्टिट्यूट के साथ गठबंधन है और अपने लाइट टू लाइव्स कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क मोतिया बिन्दु सर्जरी की जाती है तथा जरूरतमंद ग्रामीण निर्धनों के लिए 1350 मोतियाबिन्दु शस्त्रक्रिया और 150 पीडियाट्रिक आय सर्जरी की गई है इसके साथ ही लता मंगेशकर हॉस्पिटल, नागपुर के माध्यम से 500 मोतियाबिन्दु सर्जरी भी की गई है।
- कंपनी ने मॉयल फाउंडेशन नामक एक संस्था की स्थापना की है जो संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए बीएआयएफ के एक सहयोगी संगठन महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर फॉर रूरल एरिया (मित्रा) के साथ एमओयू किया है। यह परियोजना ग्रामीण स्तर पर बेहतर जीवन शैली के लिए संसाधनों के विकास के लिए प्रयास करेगी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए मॉयल खदानों के आस–पास में 21 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 5 गांव, भंडारा जिले में 11 गांव और मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में 5 गांव शामिल है। गांव के संसाधनों के विकास के लिए एक व्यापक मायक्रो प्लान तैयार किया गया है।

  सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्र निम्नप्रकार है :

  - कृषि विकास, (मृदा परीक्षण, सॉयल हैल्थ कार्ड, कम्पोस्टिंग पद्धतियों को बढ़ावा, गन्ने की खेती, फसल विविधीकरण, धान में एसआरआय इत्यादि)
  - जल संसाधन विकास के अंतर्गत पीसीडी ढांचों के नूतनीकरण और कुओं के गहरीकरण द्वारा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने पर विशेष जोर है।
  - पशुधन विकास (पोल्ट्री और गोट विकास)
  - क्षमता निर्माण द्वारा महिला सशक्तीकरण तथा एसएचजी मजबूतीकरण के लिए एसएचजी सदस्यों को प्रशिक्षण।
  - जीवन–शैली कार्यक्रम जिसमें प्रमुख जोर सामुदायिक स्वास्थ्य पर है और जिसके लिए नियमित स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और निःशुल्क दवाईयों के वितरण के साथ स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किए गए, जिसके कारण क्षेत्र के समग्र विकास में मदद मिली है। इन 21 गांवों में 100 नग बायोगैस वितरित किए गए और वर्मी कम्पोस्ट बेड्स से लिंक किए गए और किचन गार्डन का विकास किया गया। 2016–17 में अन्य 363 बायोगैस यूनिटों का वितरण करने का प्रस्ताव है।
  - गांव की स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए छात्रों में ई–लर्निंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में 21 ई–लर्निंग यूनिट उपलब्ध कराये गये। चयनित गांवों की 21 स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जैसे डेस्क और बेंच उपलब्ध कराये गये और साथ ही स्कूल लायब्रेरी के लिए पुस्तकें और खेल–कूद सामग्री उपलब्ध करायी गई। सोलार उर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी 21 गांवों में सोलार स्टडी लैंप वितरित किए गए। सभी 21 गांवों की आंगनवाड़ी में बेहतर स्वच्छता बनाये रखने के लिए वाटर फिल्टर और फ्लोर मैट उपलब्ध कराये गये।
  - कंपनी का नागपुर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का स्थापना कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है, यह परियोजना भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।
  - मॉयल खदानों के प्रचालन क्षेत्रों के आस–पास कंपनी ने विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य जैसे गांव की सड़कों का निर्माणकार्य, सामुदायिक भवन, स्कूलों का जिर्णोद्धार, वृक्षारोपण में सहयोग इत्यादि को शुरू किया है।

  वेब लिंक : http://moil.nic.in/writereaddata/PDF/CSR_and_Sustainability_Policy_of_MOIL.pdf

2. **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना (31.03.2016 को)**

1	श्री जी. एस. ग्रोवर	स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2	सुश्री सुनंदा प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3	सुश्री संगीता गैरोला	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
4	श्री एम. पी. चौधरी	निदेशक(वित्त) – सदस्य

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ** : रू. 686.19 करोड़ (लगभग)

4. **निर्धारित सीएसआर व्यय** : रू. 13.75 करोड़ (लगभग) (अर्थात् पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत)

5. **वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर गतिविधियों का विवरण** :

(ए) वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले खर्च की कुल राशि : रू. 14.30 करोड़ (मॉयल फाउंडेशन ख्कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 4 में उल्लेख के अनुसार विशेष रूप से सीएसआर गतिविधियों को चलाने के लिए मॉयल द्वारा स्थापित एक पंजीकृत संस्था, के कॉरपस में अंशदान के लिए रू. 7.78 करोड़ सहित)

(बी) खर्च नहीं की गई राशि, यदि कोई हो : शून्य

(सी) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस तरह से राशि खर्च की गई उसका विवरण निम्न प्रकार है :

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि	परियोजना का क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले का उल्लेख करें जहाँ परियोजना या कार्यक्रम चलाया गया	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार	परियोजनाओं /या कार्यक्रमों पर खर्च की राशि : (1)परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (2) उपरी खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
ए	**ग्रामीण विकास**						
1	बहुउद्देशीय सामुदायिक सभागृह का निर्माणकार्य	ग्रामीण विकास	गांव उकवा जिला बालाघाट और गांव बालापुर जिला भंडारा	90.00	50.00	50.00	कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स के.सी. दास
2	अप्रोच टार रोड का निर्माण ाकार्य	ग्रामीण विकास	कनकी घाट, तहसील और जिला बालाघाट (म.प्र.)	130.00	117.80	117.80	कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स अलताफ अहमद
3	महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के 21 गांवों में से 6 गांव में सीमेंट कान्क्रिट रोड और नाली का निर्माणकार्य	ग्रामीण विकास	1. गांव : बालाघाट जिला (म.प्र.) में तवेझरी, भारवेली, आवलाझरी और हीरापुर 2. गांव : भंडारा जिला (महा.) में चिखला और राजापुर	174.00	146.70	146.70	कार्यान्वयन एजेंसी : बालाघाट क्षेत्र के लिए अलताफ अहमद और डोंगरी क्षेत्र के लिए मेसर्स सोयुमा इन्फ्रास्ट्रक्चर
4	नाले के उपर कलवर्ट अप्रोच का निर्माणकार्य	ग्रामीण विकास	गांव : तवेझरी, जिला बालाघाट (म.प्र.)	25.00	17.58	17.58	कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स के. सी. दास
5	65 वॉट स्ट्रीट लाइट की स्थापना	ग्रामीण विकास	गांव : डोंगरी बजुर्ग, तहसील : तुमसर, जिला : भंडारा (महा.)	18.00	14.98	14.98	कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स हिन्दुस्तान पावर
6	विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम (कृपया नोट सं. 1 का संदर्भ लें)	ग्रामीण विकास	गांव : नागपुर, भंडारा और बालाघाट के 21 गांव	2534.00	0.00	401.00	कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स बीएआयएफ/मित्रा
7	जल भंडार की सफाई	ग्रामीण विकास	गांव : कुरूमुडा, तहसील तुमसर, जिला भंडारा	12.00	11.35	11.35	कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स एम. एन. सांभरे

8	ग्रामीण विकास से संबंधित अन्य कार्य जैसे :	ग्रामीण विकास			23.41	23.41	
	1) सरकारी स्कूल में गर्ल्स टॉयलेट का निर्माणकार्य		गांव : तिरोडी, जिला बालाघाट				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स पी.एस. वारडे
	2) मूक और बधीर स्कूल में शौचालय का निर्माणकार्य		तहसील सावनेर, जिला नागपुर				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स आतिश तांबे, नागपुर
	3) बस स्टॉप शेल्टर का निर्माणकार्य		गांव : बोथवा, तहसील कटान्गी, जिला बालाघाट (म.प्र.)				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स संपत मावसकोले, तिरोडी
	4) सोलार स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करना		गांव : फेटरी, जिला नागपुर				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स विन्सेंट सोलार, जयपुर
	5) वृक्षारोपण		गांव : मनसर, जिला नागपुर				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स बांगडे
	6) डीएवी मॉयल स्कूल में संबद्ध विकास कार्य		गांव : सीतासावंगी, जिला भंडारा				मॉयल
	7) जलआपूर्ति योजना का संवर्धन		गांव : मरवेली, जिला बालाघाट				मॉयल
	कुल ग्रामीण विकास				381.82	782.82	
9	स्वास्थ्य सेवा						
	लाइट टू लाइव्स–दृष्टि–दोश और दृष्टि–हीनता में कमी लाना	स्वास्थ्य सेवा	नागपुर और भंडारा जिले के अलग–अलग गांव	57.50	50.01	176.18	कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स सूरज आय इन्स्टिट्यूट
10	अन्य स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कार्य	स्वास्थ्य सेवा			35.03	35.03	
	1) सामुदायिक नेत्र–विज्ञान परियोजना, जरूरतमंद 500 गरीब मरीजों की मोतियाबिन्दु शस्त्रक्रिया		हिंगणा और आस–पास के गांव				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स लता मंगेशकर हॉस्पिटल
	2) प्रियदर्शिनी आश्रम शाला में ब्लैंकेट की आपूर्ति		गांव : पांढुरणा, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स आर.एस. सारडा
	3) गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में सेनेटरी नैपकिन की वेंडिंग मशीन की स्थापना		भंडारा और मोहाडी				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स भारती हायजिन केयर प्रा. लि.
	4) क्लिप लेफ्ट और लेफ्ट पैलेट के लिए 25 मरीजों को प्रायोजित करना		नागपुर				कार्यान्वयन एजेंसी : रोटरी नागपुर वेस्ट सर्विस ट्रस्ट
	5) एम्बुलेंस डोनेट करना		1. पोहारादेवी, जिला वाषिम (महा.) 2. बल्लारपुर, जिला चन्द्रपुर (महा.) 3. बालाघाट (म.प्र.)				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स ऑटोमोटिव मैनुफैक्चरर प्रा. लि. नागपुर
	6) हेर्स वैन उपलब्ध करना		गडचांदूर जिला चन्द्रपुर				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स गिरनार मोटर्स, नागपुर
	कुल स्वास्थ्य सेवा				85.04	211.21	

सी	**शिक्षा / साक्षरता**						
11	डीएवी स्कूल पर व्यय (कृपया नोट 2 का संदर्भ लें)	शिक्षा / साक्षरता और खेलकूद	गांव : सीतासावंगी, जिला भंडारा (महा.)	92.00	79.11	79.11	मॉयल
12	स्वामी विवेकानन्द उच्च माध्यमिक शाला की चारदीवारी का निर्माणकार्य	शिक्षा / साक्षरता और खेलकूद	गांव : देवलापार, तहसील रामटेक, जिला नागपुर	26.00	18.00	18.00	कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स शिवा कन्स्ट्रक्शन
13	सरकारी स्कूलों में कक्षाओं का निर्माणकार्य और जिर्णोद्धार	शिक्षा / साक्षरता और खेलकूद	गांव : लोभी, तहसील तुमसर, जिला भंडारा	20.00	8.30	8.30	कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स ए. एम. भुतांगे
14	बालाघाट, उकवा और चिखला में आरएनटी स्कूल को गोद लेना (तीन स्कूल)	शिक्षा / साक्षरता और खेलकूद	बालाघाट, उकवा और चिखला	35.00	30.59	30.59	मॉयल
15	आरएनटी स्कूल में कक्षाओं का निर्माणकार्य / जिर्णोद्धार	शिक्षा / साक्षरता और खेलकूद	गांव : उकवा, जिला बालाघाट (म.प्र.)	20.00	16.33	16.33	कार्यान्वयन एजेंसी : के. सी. दास
16	शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित अन्य कार्य	शिक्षा / साक्षरता और खेलकूद					
	1) पांच स्कूलों को डेस्क बेंच (100 नग) वाटर कूलर की आपूर्ति		गांव : खापा, जिला नागपुर				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स पार्थफायब्रोटेक, नागपुर
	2) ग्रामीण खेल कुश्ती, महाराष्ट्र केसरी प्रायोजित करना		नागपुर				मॉयल
	3) पुस्तकें और कॅमरा		नागपुर				मॉयल और यूपे (एनजीओ), नागपुर
	कुल शिक्षा / साक्षरता और खेलकूद				159.73	159.73	
डी	**पीने का पानी**						
17	गांवों में बोरवेल के द्वारा पीने का पानी उपलब्ध करना	पीने का पानी	भंडारा, बालाघाट और नागपुर के पिछड़े गांव	20.00	20.00	20.00	कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स जी/एस बोरवेल्स
18	पीने के पानी की आपूर्ति से संबंधित अन्य कार्यों में षामिल है :	पीने का पानी			9.44	9.44	
	1) वाटर प्यूरीफायर की स्थापना		गांव : मोहाडी, जिला भंडारा (महा.)				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स पिरामल हैल्थ सर्विसेस
	2) गर्मी में प्याऊ की स्थापना		नागपुर				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स आतिष तांबे, नागपुर

	3) पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाना और स्थानांतरित करना		गांव : फेटरी, जिला नागपुर				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स प्रभाकर फिटिंग वर्क्स, नागपुर
	4) बोरवेल्स की ड्रिलिंग और हैण्ड पम्प की स्थापना		भंडारा और बालाघाट जिले के गांव				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स पी.आर. बोरवेल्स
	कुल पीने का पानी				29.44	29.44	
ई	**पर्यावरण संधारणीयता**						
19	वृक्षारोपण से संबंधित कार्य जिसमें शामिल है :	पर्यावरण संधारणीयता			13.36	13.36	
	1) वृक्षारोपण का रखरखाव		नागपुर				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स वाय. बांगडे, नागपुर
	2) वृक्षारोपण का रखरखाव		बालाघाट				कार्यान्वयन एजेंसी : मेसर्स एमपी स्टेट वन विकास निगम, बालाघाट
	कुल पर्यावरण संधारणीयता				13.36	13.36	
	ए से ई का जोड़				669.39		
20	मॉयल फाउंडेषन को अंषदान				778.00		
	कुल सीएसआर व्यय				1447.39		

नोट :

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित कुल परियोजना 2014–15 से 2018–19 अवधि के लिए रू. 2534.16 लाख है। वर्ष 2014–15 और 15–16 के लिए लक्ष्य रू. 1117.31 लाख (रू. 369.86 रू. 747.45 लाख) था तथा उसी अवधि के लिए संचयी व्यय रू. 401.00 लाख था। संचयी व्यय रू. 401.00 लाख में से रू. 351.00 लाख की राशि वर्ष 2014–15 में जमा मॉयल फाउंडेषन के कार्पस से संवितरित की गई।
2. डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल के लिए निर्धारित कुल परियोजना व्यय रू. 800.00 लाख था, जो वर्श 2011–12 में अनुमोदित हुआ था। परियोजना रू. 722.33 लाख के कुल व्यय के साथ पूर्ण हुई, जो इन्कम डिफिसिट स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के लिए स्कूल के संचालन हेतु 2014–15 तक परियोजना में व्यय किए गए। वर्ष के लिए स्कूल के संचालन हेतु वर्ष 2015–16 के लिए वित्तीय निर्धारण (बजट) रू. 92.00 लाख सिर्फ था। इस प्रकार वर्ष 2015–16 में खर्च की गई कुल राशि सिर्फ रू. 82.26 लाख है।

6. **निर्धारित राशि नहीं व्यय करने का कारण – लागू नहीं**

   कंपनी अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार रू. 7.78 करोड़ की राशि मॉयल फाउंडेषन को स्थानांतरित की गई और 2015–16 की जारी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल की जाएगी ।

7. **उत्तरदायित्व कथन**

   निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

जी.पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

जी.एस. ग्रोवर
अध्यक्ष–सीएसआर समिति

अनुलग्नक –IV

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

(कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसरण में)

फॉर्म नं. एमजीटी–9

1. पंजीकरण और अन्य विवरण

सीआयएन	एल99999एमएच1962जीओआय012398
पंजीकरण दिनांक	22.06.1962
कंपनी का नाम	मॉयल लिमिटेड
कंपनी की	पब्लिक कंपनी / शेयरों द्वारा सीमित
पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	1–ए, काटोल रोड, नागपुर – 440 013 टेलीफैक्स – 0712-2806182/100 ईमेल – compliance@moil.nic.in वेबसाइट – www.moil.nic.in
क्या कंपनी सूचीबद्ध है	हाँ
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता, संपर्क का विवरण, यदि कोई हो	बिगशेयर सर्विसेस प्रा. लि. ई–2 एवं 3, अंसा इंडस्ट्रीयल एस्टेट, साकी–विहार रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई – 400 072 टेलीफोन – 91-22-28470652 / 40430200 / 28470653 फैक्स – 91-22-2847 5207 ईमेल – investor@bigshareonline.com

2. कंपनी की प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियां

सभी व्यवसायिक गतिविधियां जिसका कंपनी के कुल बिक्री में 10 प्रतिशत या इससे अधिक का योगदान हो उसे दर्शाया जाएगा :

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पादन / सेवा का एनआयसी कोड	कंपनी की कुल बिक्री से प्रतिशत
1.	**मैंगनीज अयस्क**	**072**	**90.805%**

3. धारित, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण –

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआयएन / जीएलएन	धारित / सहायक / सहयोगी	शेयरधारिता का प्रतिशत	लागू धारा
1.	रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि. ग्राउंड फ्लोर, ओल्ड हैल्थ सेंटर, सेक्टर–।।, उक्कुनाग्राम, विषाखापट्टनम आ.प्र.–530031	यू27101एपी2009पीटीसी064546	सहयोगी	50	2(6)
2.	सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा.लि., रूम नं. 3बी, सीईझेड गैरेज, कम्पाउंड, इक्यूपमेंट स्क्वेअर, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, छ.ग. –490001	यू27101सीटी2008पीटीसी020786	सहयोगी	50	2(6)

4. शेयरधारिता का स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेक अप)

(i) वर्ग–वार शेयरधारिता

		वर्ष के प्रारंभ में 01.04.2015 को धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में 31.03.2016 को धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव
		डीमैट	भौतिकीय	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिकीय	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
प्रमोटर एवं प्रमोटर ग्रुप										
1. भारतीय										
(ए)	व्यक्ति/हि.अ.कु.	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(बी)	केन्द्र/राज्य सरकार	134400000	0	134400000	80.00	134400000	0	134400000	80.00	0
(सी)	कारपोरेट बॉडीज	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(डी)	वित्तीय संस्थान/बैंक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(ई)	अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)									0
उप जोड़ (ए)(1)		**134400000**	**0**	**134400000**	**80.00**	**134400000**	**0**	**134400000**	**80.00**	**0**
1. विदेशी										
(ए)	एनआरआई–व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(बी)	कारपोरेट बॉडीज	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(सी)	संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(डी)	पात्र विदेषी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
उप जोड़ (ए)(2)	अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के लिए कुल होल्डिंग	**(ए)त्र(ए)(1)(ए)(2)**	**134400000**	**0**	**134400000**	**80.00**	**134400000**	**0**	**134400000**	**80.00**	**0**
(बी) पब्लिक शेयर होल्डिंग										
1. संस्थान										
(ए)	म्युचुअल फंड/यूटीआई	234711	0	234711	0.14	672216	0	672216	0.40	0.26
(बी)	वित्तीय संस्थान/बैंक	4170732	0	4170732	2.48	4497438	0	4498438	3.38	0.90
(सी)	केन्द्र/राज्य सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(डी)	उद्यम पूँजी निधि	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(ई)	बीमा कंपनियॉं	1186234	0	1186234	0.71	1186234	0	1186234	0.71	0
(एफ)	एफआईआई	12312538	0	12312538	7.33	9158499	0	9158499	5.45	(1.88)
(जी)	विदेषी उद्यम पूँजी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(एच)	पात्र विदेषी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(आय)	अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
उप जोड़ (बी)(1)		**17904215**	**0**	**17904215**	**10.66**	**16690420**	**0**	**16690420**	**9.93**	**0.73**
बी 2. गैर–संस्थान										
(ए)	कारपोरेट बॉडीज	2773377	0	2773377	1.65	2143767	0	2143767	1.28	(0.37)
(बी)	व्यक्ति									

(प)	(रू. 1 लाख तक पूँजी)	11920729	231	11920960	7.10	12655620	401	12656021	7.53	0.43
(पप)	(रू. 1 लाख से अधिक पूँजी)	513533	0	513533	0.31	1160128	0	1160128	0.69	0.38
(सी)	पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(डी)	अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(पी)	न्यास	26944	0	26944	0.02	25612	0	25612	0.02	0
(पप)	क्लियरिंग सदस्य	36119	0	36119	0.02	74836	0	74836	0.04	0.02
(पपप)	निदेषकों के रिश्तेदार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(पअ)	कर्मचारी	76588	0	76588	0.05	71461	0	71461	0.04	(0.01)
(अ)	विदेशी नागरिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(अप)	अनिवासी भारतीय (एनआरआई)	288707	0	288707	0.17	400286	0	400286	0.24	0.07
(अपप)	ओवरसीस बॉडीज कारपोरेट	59319	0	59319	0.04	377265	0	377265	0.22	0.18
(अपपप)	संदिग्ध लेखा जिसका दावा नहीं किया गया	238	0	238	0.00	204	0	204	0.00	0.00
उप जोड़ (बी)(2)		15695554	231	15695785	9.34	16909179	401	16909580	10.07	0.73
कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग	(बी)त्र(बी)(1)(बी)(2)	33599769	231	33600000	20.00	33599599	401	33600000	20.00	0.00
कुल (ए)(बी)		167999769	231	168000000	100.00	167999599	401	168000000	100.00	0.00
(सी) कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर और डिपॉजिटरी रसीद जारी किया गया है ।										
(ए)	कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	0.0000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(प)	प्रमोटर एवं प्रमोटर ग्रुप	0.0000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(पप)	पब्लिक	0.0000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
उप जोड़ (सी)(1)		0.0000	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
कुल योग (ए)(बी)(सी)		167999769	231	168000000	100.00	167999599	401	168000000	0.00	0.00

(ii) प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग

क्र. सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के प्रारंभ में 01.04.2015 को शेयरहोल्डिंग			वर्ष के अंत में 31.03.2016 को शेयरहोल्डिंग			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में बंधक/ऋणग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में बंधक/ऋणग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में परिवर्तन का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	120235680	71.5689	0.00	120235680	71.5689	0.00	0.00
2	महाराष्ट्र के राज्यपाल	7757400	4.6175	0.00	7757400	4.6175	0.00	0.00
3	मध्य प्रदेश के राज्यपाल	6406920	3.8136	0.00	6406920	3.8136	0.00	0.00
	कुल	134400000	80.00	0.00	134400000	80.00	0.00	0.00

(iii) प्रमोटरों की शेयरहाल्डिंग में परिवर्तन

उपर्युक्त मद क्र. (ii) में उल्लेख के अनुसार प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

क्र.		वर्ष की शुरूआत में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	–	–	–	–
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों के शेयरहोल्डिंग में तारीखवार बढ़त/घटत बढ़त/घटत के कारणों का उल्लेख करें (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट)	–	–	–	–

(iv) अग्रणी 10 शेयरहोल्डरों के शेयरहोल्डिंग का तरीका (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर व एडी

क्र. सं.		वर्ष के शुरूआत (01.04.2014) में / वर्ष के अंत (31.03.2015) में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में तारीखवार बढ़त/घटत बढ़त/घटत के कारणों (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट) का उल्लेख करते हुए			वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	प्रत्येक 10 अग्रणी शेयर धारकों के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	तारीख	बढ़त / घटत	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	एमएफएस इंटरनैशनल न्यू डिस्कवरी फंड	4200697	2.50	31 मार्च, 2015	0	स्थानांतरित	4200697	2.50
		4200697	2.50	31 मार्च, 2016	0	स्थानांतरित	4200697	2.50
2.	सोमरसेट इमरजिंग मार्केट स्मॉल कैप फंड एलएलसी	2,483,288	1.48	31 मार्च, 2015	0	स्थानांतरित	2,483,288	1.48
			1.47	10 अप्रैल, 2015	(18683)	स्थानांतरित	2,464,605	1.47
			1.46	12 जून, 2015	(9040)	स्थानांतरित	2,455,565	1.46
			1.46	19 जून, 2015	(5858)	स्थानांतरित	2,449,707	1.46
			1.44	26 जून, 2015	(33377)	स्थानांतरित	2,416,330	1.44
			1.43	30 जून, 2015	(18832)	स्थानांतरित	2,397,498	1.43
			1.42	3 जुलाई, 2015	(14909)	स्थानांतरित	2,382,589	1.42
			1.41	10 जुलाई, 2015	(22034)	स्थानांतरित	2,360,555	1.41
			1.39	17 जुलाई, 2015	(30534)	स्थानांतरित	2,330,021	1.39
			1.37	24 जुलाई, 2015	(31866)	स्थानांतरित	2,298,155	1.37
			1.37	31 जुलाई, 2015	(415)	स्थानांतरित	2,297,740	1.37
			1.32	7 अगस्त, 2015	(76932)	स्थानांतरित	2,220,808	1.32
			1.32	14 अगस्त, 2015	(10025)	स्थानांतरित	2,210,783	1.32
			1.30	21 अगस्त, 2015	(25207)	स्थानांतरित	2,185,576	1.30
			1.30	24 अगस्त, 2015	(6263)	स्थानांतरित	2,179,313	1.30
			1.28	28 अगस्त, 2015	(28275)	स्थानांतरित	2,151,038	1.28
			1.28	31 अगस्त, 2015	(4697)	स्थानांतरित	2,146,341	1.28
			1.27	4 सितम्बर, 2015	(17381)	स्थानांतरित	2,128,960	1.27
			1.24	11 सितम्बर, 2015	(40851)	स्थानांतरित	2,088,109	1.24
			1.22	18 सितम्बर, 2015	(40199)	स्थानांतरित	2,047,910	1.22

			1.14	9 अक्तूबर, 2015	(138251)	स्थानांतरित	1,909,659	1.14
			1.01	16 अक्तूबर, 2015	(215114)	स्थानांतरित	1,694,545	1.01
			1.01	23 अक्तूबर, 2015	(3969)	स्थानांतरित	1,690,576	1.01
			1.00	30 अक्तूबर, 2015	(9679)	स्थानांतरित	1,680,897	1.00
			0.97	4 दिसम्बर, 2015	(47911)	स्थानांतरित	1,632,986	0.97
			0.97	11 दिसम्बर, 2015	(8968)	स्थानांतरित	1,624,018	0.97
			0.85	18 दिसम्बर, 2015	(197937)	स्थानांतरित	1,426,081	0.85
			0.85	25 दिसम्बर, 2015	(3633)	स्थानांतरित	1,422,448	0.85
			0.84	12 फरवरी, 2016	(8675)	स्थानांतरित	1,413,773	0.84
			0.82	19 फरवरी, 2016	(38501)	स्थानांतरित	1,375,272	0.82
			0.80	26 फरवरी, 2016	(27368)	स्थानांतरित	1,347,904	0.80
		1,347,904	0.80	31 मार्च, 2016	0	स्थानांतरित	1,347,904	0.80
3.	भारतीय जीवन बीमा पी एण्ड जीएस फंड	1118428	0.67	31 मार्च, 2015	0	स्थानांतरित		
				10 अप्रैल, 2015	121751	स्थानांतरित		
				12 जून, 2015	28801	स्थानांतरित		
				19 जून, 2015	455721	स्थानांतरित		
				26 जून, 2015	71693	स्थानांतरित		
				30 जून, 2015	17811	स्थानांतरित		
				3 जुलाई, 2015	7138	स्थानांतरित		
				23 अक्तूबर, 2015	10000	स्थानांतरित		
				6 नवम्बर, 2015	7914	स्थानांतरित		
				13 नवम्बर, 2015	20681	स्थानांतरित		
		1,859,938	1.11	31 मार्च, 2016	0	स्थानांतरित		
4.	डीबी इंटरनैशनल (एशिया) लि.	1,464,099	0.87	31 मार्च, 2015	0	स्थानांतरित		
				10 अप्रैल, 2015	(5518)	स्थानांतरित		
				17 अप्रैल, 2015	(19308)	स्थानांतरित		
				24 अप्रैल, 2015	(39082)	स्थानांतरित		
				1 मई, 2015	(20000)	स्थानांतरित		
				8 मई, 2015	(23380)	स्थानांतरित		
				15 मई, 2015	(6620)	स्थानांतरित		
				12 जून, 2015	(2011)	स्थानांतरित		
				17 जुलाई, 2015	16569	स्थानांतरित		
				7 अगस्त, 2015	47100	स्थानांतरित		
				14 अगस्त, 2015	52762	स्थानांतरित		
				21 अगस्त, 2015	32223	स्थानांतरित		
				24 अगस्त, 2015	(8817)	स्थानांतरित		
				28 अगस्त, 2015	(5800)	स्थानांतरित		
				31 अगस्त, 2015	(3191)	स्थानांतरित		
				4 सितम्बर, 2015	(3311)	स्थानांतरित		

				11 सितम्बर, 2015	(16787)	स्थानांतरित		
				18 सितम्बर, 2015	(10682)	स्थानांतरित		
				25 सितम्बर, 2015	(8781)	स्थानांतरित		
				30 सितम्बर, 2015	(1581)	स्थानांतरित		
				2 अक्तूबर, 2015	(1549)	स्थानांतरित		
				9 अक्तूबर, 2015	(230388)	स्थानांतरित		
				4 दिसम्बर, 2015	(29)	स्थानांतरित		
				11 दिसम्बर, 2015	(10483)	स्थानांतरित		
				8 जनवरी, 2016	(6549)	स्थानांतरित		
				22 जनवरी, 2016	(24013)	स्थानांतरित		
				29 जनवरी, 2016	(9915)	स्थानांतरित		
				5 फरवरी, 2016	(14044)	स्थानांतरित		
				12 फरवरी, 2016	(15238)	स्थानांतरित		
				19 फरवरी, 2016	(14936)	स्थानांतरित		
				26 फरवरी, 2016	(18272)	स्थानांतरित		
				4 मार्च, 2016	(21015)	स्थानांतरित		
				18 मार्च, 2016	(62396)	स्थानांतरित		
		919,290		31 मार्च, 2016	0	स्थानांतरित		
5.	युनाइटेड इंडिया इंश्युरेंस लि.	1430967	0.85	31 मार्च, 2015	0	स्थानांतरित		
		1430967	0.85	31 मार्च, 2015	0	स्थानांतरित		
6.	एपी इन्वेस्ट कैपिटलफोरनिंग	603,709	872,698	31 मार्च, 2015	0	स्थानांतरित		
			0.37	26 जून, 2015	11100	स्थानांतरित		
			0.38	30 जून, 2015	16015	स्थानांतरित		
			0.39	3 जुलाई, 2015	24877	स्थानांतरित		
			0.40	10 जुलाई, 2015	20973	स्थानांतरित		
			0.42	17 जुलाई, 2015	33697	स्थानांतरित		
			0.43	30 सितम्बर, 2015	13154	स्थानांतरित		
			0.46	9 अक्तूबर, 2015	42402	स्थानांतरित		
			0.50	16 अक्तूबर, 2015	74121	स्थानांतरित		
			0.52	25 दिसम्बर, 2015	32650	स्थानांतरित		
		872,698	0.52	31 मार्च, 2016	0	स्थानांतरित		
7.	नैशनल इंश्युरेंस कंपनी लि.	809,981	0.48	31 मार्च, 2015	0	स्थानांतरित		
		809,981		31 मार्च, 2016	0	स्थानांतरित		
		1,430,967	0.85	31 मार्च, 2015	0	स्थानांतरित		
8.	नैशनल पेंशन सर्विस एमएफएस इंस्टिट्युशनल एडवायजर, इं. द्वारा प्रबंधित	689,247	0.41	31 मार्च, 2015	0	स्थानांतरित		
				15 मई, 2015	4104	स्थानांतरित		
				19 जून, 2015	(693351)	स्थानांतरित		
				31 मार्च, 2016	0	स्थानांतरित		

9.	द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लि.	103,705	0.06	31 मार्च, 2015	0	स्थानांतरित		
				24 जुलाई, 2015	9273	स्थानांतरित		
				31 जुलाई, 2015	40586	स्थानांतरित		
				7 अगस्त, 2015	22330	स्थानांतरित		
				14 अगस्त, 2015	27876	स्थानांतरित		
				21 अगस्त, 2015	16506	स्थानांतरित		
				24 अगस्त, 2015	14119	स्थानांतरित		
				28 अगस्त, 2015	64384	स्थानांतरित		
				31 अगस्त, 2015	281	स्थानांतरित		
				4 सितम्बर, 2015	4645	स्थानांतरित		
				31 दिसम्बर, 2015	47577	स्थानांतरित		
				1 जनवरी, 2016	7860	स्थानांतरित		
				8 जनवरी, 2016	10754	स्थानांतरित		
				15 जनवरी, 2016	16493	स्थानांतरित		
				22 जनवरी, 2016	88489	स्थानांतरित		
				29 जनवरी, 2016	38606	स्थानांतरित		
				5 फरवरी, 2016	2267	स्थानांतरित		
				12 फरवरी, 2016	39207	स्थानांतरित		
				19 फरवरी, 2016	38777	स्थानांतरित		
				26 फरवरी, 2016	9970	स्थानांतरित		
		603,705	0.36	31 मार्च, 2016	0	स्थानांतरित		
10.	नैशनल वेस्टमिंस्टर्स बैंक पीएलसी, पीएफएस सोमरसेट इमरजिंग मार्केट स्मॉल कैप फंड की डिपॉजिटरी के रूप में	413736	0.25	31 मार्च, 2015	0	स्थानांतरित	413736	025
			0.24	10 अप्रैल, 2015	(3183)	स्थानांतरित	410553	0.24
			0.23	1 मई, 2015	(17397)	स्थानांतरित	393156	0.23
			0.23	8 मई, 2015	(5215)	स्थानांतरित	387941	0.23
			0.23	12 जून, 2015	(1276)	स्थानांतरित	386665	0.23
			0.23	19 जून, 2015	(827)	स्थानांतरित	385838	0.23
			0.23	26 जून, 2015	(4710)	स्थानांतरित	381128	0.23
			0.23	30 जून, 2015	(2656)	स्थानांतरित	378472	0.23
			0.22	3 जुलाई, 2015	(2103)	स्थानांतरित	376369	0.22
			0.22	10 जुलाई, 2015	(2553)	स्थानांतरित	373816	0.22
			0.22	17 जुलाई, 2015	(4352)	स्थानांतरित	369464	0.22
			0.22	24 जुलाई, 2015	(4544)	स्थानांतरित	364920	0.22
			0.22	31 जुलाई, 2015	(59)	स्थानांतरित	364861	0.22
			0.21	7 अगस्त, 2015	(4352)	स्थानांतरित	353,895	0.21

			0.21	14 अगस्त, 2015	(4544)	स्थानांतरित	352,467	0.21
			0.21	21 अगस्त, 2015	(59)	स्थानांतरित	348,874	0.21
			0.21	24 अगस्त, 2015	(10966)	स्थानांतरित	347,981	0.21
			0.20	28 अगस्त, 2015	(1428)	स्थानांतरित	343,950	0.20
			0.20	31 अगस्त, 2015	(3593)	स्थानांतरित	343,280	0.20
			0.20	4 सितम्बर, 2015	(893)	स्थानांतरित	340,803	0.20
			0.20	11 सितम्बर, 2015	(4031)	स्थानांतरित	334,980	0.20
			0.20	18 सितम्बर, 2015	(670)	स्थानांतरित	329,249	0.20
			0.18	9 अक्तूबर, 2015	(2477)	स्थानांतरित	307,623	0.18
			0.16	16 अक्तूबर, 2015	(5823)	स्थानांतरित	273,976	0.16
			0.16	23 अक्तूबर, 2015	(5731)	स्थानांतरित	273,354	0.16
			0.16	30 अक्तूबर, 2015	(21626)	स्थानांतरित	271,841	0.16
			0.16	4 दिसम्बर, 2015	(33647)	स्थानांतरित	264,223	0.16
			0.16	11 दिसम्बर, 2015	(622)	स्थानांतरित	262,798	0.16
			0.14	18 दिसम्बर, 2015	(1513)	स्थानांतरित	231,320	0.14
			0.14	25 दिसम्बर, 2015	(7618)	स्थानांतरित	230,743	0.14
			0.14	12 फरवरी, 2016	(1425)	स्थानांतरित	229,336	0.14
			0.13	19 फरवरी, 2016	(31478)	स्थानांतरित	223,089	0.13
			0.13	26 फरवरी, 2016	(577)	स्थानांतरित	218,649	0.13
		218,649	0.13	31 मार्च, 2016	0	स्थानांतरित	218,649	0.13
11.	इंग्लैंड आरई सोमरसेट के लिए चर्च कमिशनर्स	380,599		31 मार्च, 2015	0	स्थानांतरित	380,599	0.23
				12 जून, 2015	(1205)	स्थानांतरित	379,394	0.23
				19 जून, 2015	(778)	स्थानांतरित	378,616	0.23
				26 जून, 2015	(4450)	स्थानांतरित	374,166	0.22
				30 जून, 2015	(2512)	स्थानांतरित	371,654	0.22
				3 जुलाई, 2015	(1988)	स्थानांतरित	369,666	0.22
				10 जुलाई, 2015	(2413)	स्थानांतरित	367,253	0.22
				17 जुलाई, 2015	(4114)	स्थानांतरित	363,139	0.22
				24 जुलाई, 2015	(4293)	स्थानांतरित	358,846	0.21
				31 जुलाई, 2015	(55)	स्थानांतरित	358,791	0.21
				7 अगस्त, 2015	(10370)	स्थानांतरित	348,421	0.21
				14 अगस्त, 2015	(1351)	स्थानांतरित	347,070	0.21
				21 अगस्त, 2015	(3396)	स्थानांतरित	343,674	0.20
				24 अगस्त, 2015	(844)	स्थानांतरित	342,830	0.20
				28 अगस्त, 2015	(3811)	स्थानांतरित	339,019	0.20
				31 अगस्त, 2015	(633)	स्थानांतरित	338,386	0.20
				4 सितम्बर, 2015	(2342)	स्थानांतरित	336,044	0.20
				11 सितम्बर, 2015	(5509)	स्थानांतरित	330,535	0.20
				18 सितम्बर, 2015	(5421)	स्थानांतरित	325,114	0.19
				9 अक्तूबर, 2015	(21422)	स्थानांतरित	303,692	0.18

				16 अक्तूबर, 2015	(33340)	स्थानांतरित	270,352	0.16
				23 अक्तूबर, 2015	(614)	स्थानांतरित	269,738	0.16
				30 अक्तूबर, 2015	(1502)	स्थानांतरित	268,236	0.16
				4 दिसम्बर, 2015	(7516)	स्थानांतरित	260,720	0.16
				11 दिसम्बर, 2015	(1405)	स्थानांतरित	259,315	0.15
				18 दिसम्बर, 2015	(31057)	स्थानांतरित	228,258	0.14
				25 दिसम्बर, 2015	(571)	स्थानांतरित	227,687	0.14
				12 फरवरी, 2016	(1388)	स्थानांतरित	226,299	0.13
				19 फरवरी, 2016	(6160)	स्थानांतरित	220,139	0.13
				26 फरवरी, 2016	(4377)	स्थानांतरित	215,762	0.13
		215,762		31 मार्च, 2016	0	स्थानांतरित	215,762	0.13
12.	आयएफसीआय लि.	376,253	0.224	31–03–2015	0	स्थानांतरित	376253	0.22
		376,253	0.224	31–03–2015	0	स्थानांतरित	376253	0.22
13.	टाटा इंवेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	258470	0.15	31 मार्च, 2015	0	स्थानांतरित	258,470	0.15
				9 अक्तूबर, 2015	116530	स्थानांतरित	375,000	0.22
		375,000	0.22	31 मार्च, 2016	0	स्थानांतरित	375,000	0.22

(अ) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरहोल्डिंग

श्री नीरज दत्त पाण्डेय, कंपनी सचिव के अलावा कंपनी के किसी निदेशक और मुख्य प्रबंधन कार्मिक ने शेयरों को धारित नहीं किया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.			वर्ष के शुरूआत (01.04.2014) में / वर्ष के अंत (31.03.2015) में शेयरहोल्डिंग	वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में तारीखवार बढ़त/घटत बढ़त/घटत के कारणों (जैसे आबंटन/अंतरण/ बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए			वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	तारीख	बढ़त / घटत	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	श्री नीरज दत्त पाण्डेय (कंपनी सचिव)	1	0.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	0.00

v. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया/अर्जित ब्याज शामिल है, लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं है – **शून्य**

	सुरक्षित ऋण जमा छोड़कर	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के शुरूआत में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	–	–	–	–
कुल (i+ii+iii)	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव – बढ़त – घटत	–	–	–	–
शुद्ध बदलाव	–	–	–	–

वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	—	–	–	–
कुल (i+ii+iii)	–	–	–	–

(vi) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

ए) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण		निदेशक/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक के नाम			कुल राशि
		श्री जी. पी. कुंदरगी (अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक)	श्री एम. पी. चौधरी निदेशक (वित्त)	श्री ए. के. झा निदेशक (उत्पादन एवं आयोजना)	श्री टी. के पटनायक निदेशक (वाणिज्य)	
1.	सकल वेतन ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वेतन	3485534	2895768	1801383	3109680	11292365
	बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	42600	3500	7500	5300	58900
	सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में अनुलाभ	–	–	–	–	–
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन –लाभ प्रतिशत –अन्य, निर्दिष्ट करें (कार्य–निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (ए)	3528134	2899268	1808883	3114980	11351265
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग	लागू नहीं				

बी) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	स्वतंत्र निदेशकों के नाम					कुल
		डॉ. ए. के. लोमस	श्री जे. पी. डांगे	श्री जी. एस. ग्रोवर	सुश्री सुनंदा प्रसाद	सुश्री संगीता गैरोला	
	1. स्वतंत्र निदेशक – मंडल/समिति की बैठकों में उपस्थित होने का शुल्क	290000	235000	215000	290000	50000	1075000
	– कमीशन	–	–	–	–	–	–
	– अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	–	–	–	–	–	–
	कुल (1)	290000	230000	215000	290000	50000	1075000

	2. अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक – मंडल/समिति की बैठकों में उपस्थित होने का शुल्क – कमीशन – अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल (2)	–	–	–	–	–	–
	कुल (बी)त्र(12)	290000	230000	215000	290000	50000	1075000
	अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीलिंग	लागू नहीं					

सी) प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	कुल
1.	सकल वेतन ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वेतन बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में अनुलाभ	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के वेतन का विवरण उपर्युक्त अप में उल्लेख किया गया है।	1239105 7800 शून्य	निदेशक (वित्त) कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी है। (विवरण उपर्युक्त अपए में उल्लेख किया गया है)	1239105 7800 –
2.	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	स्वेट इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	कमीशन –लाभ प्रतिशत –अन्य, निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	–	1246905	–	1246905

(vii) अपराध के लिए शास्ति/दण्ड/अभिसंधान

ए. कंपनी	
शास्ति	शून्य
दण्ड	
अभिसंधान	
बी. निदेशक	
शास्ति	शून्य
दण्ड	
अभिसंधान	
सी. अन्य दोषी अधिकारी	
शास्ति	शून्य
दण्ड	
अभिसंधान	

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया शास्ति/दण्ड/अभिसंधान शुल्क का विवरण	प्राधिकारी(आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
शून्य					

अनुलग्नक – V

निगमित शासन रिपोर्ट

"निगमित शासन में कंपनी का प्रबंधन, उसका मंडल, उसके अंशधारक और अन्य पणधारियों के बीच सामूहिक संबंध शामिल होता है। निगमित शासन एक ऐसी संरचना भी प्रदान करता है जिसके माध्यम से कंपनी के लक्ष्यों को तय किया जाता है एवं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों तथा कार्य–निष्पादन का पर्यवेक्षण निर्धारित किया जाता है।"

– ऑर्गनायजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट (आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन)

मॉयल एक "लघु रत्न श्रेणी–I" की "शेड्यूल ए" कंपनी है जो कुशल, सत्यनिष्ठ, ईमानदार, जवाबदेही तथा नैतिक तरीके से व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस बात में विश्वास करती है कि निगमित शासन कानून के दायरे से भी उपर है। यह प्रबंधन की संस्कृति एवं मानसिकता से उभरता है तथा अकेले कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है।

1. निगमित शासन दर्शन :

एक अच्छा निगमित शासन कानून के अनुपालन से परे चला जाता है और इसमें कंपनी की व्यापक प्रतिबद्धता शामिल होती है। यह प्रतिबद्धता निदेशक मंडल से प्रारंभ होती है, जो सभी को दीर्घकालिक लाभ मिलने के साथ संतुलित तरीके से, सभी पणधारियों के सर्वोत्तम हित में, कंपनी की रणनीतिक एवं प्रचालन उत्कृष्टता पर ध्यान केन्द्रित करके निगमित शासन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।

निगमित शासन स्थायी मूल्य निर्माण में लगातार सुधार करने वाली एक यात्रा है तथा लक्ष्य की ओर लगातार ऊपर बढ़ते जाना है। नियामक और अनुपालन की आवश्यकता के रूप में शासन के परंपरागत दृष्टिकोण ने कंपनी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शासन अपनाने के लिए मार्ग मुहैया कराया है। लिस्टिंग विनियमन ने पंजीकृत कंपनी के लिए अनुपालन की बैंचमार्क नियमावली तथा शासन के मानकों के लिए निर्देशरेखा स्थापित की है। मॉयल, लिस्टिंग विनियमन के अनुसार निर्धारित निगमित व्यवहारों का न केवल पालन करती है बल्कि विश्व में उभरते सर्वोत्तम व्यवहारों को अपनाने का लगातार प्रयास करती है। उच्चतर मानकों को प्राप्त करना तथा रणनीतिक कार्यान्वयन और जोखिम प्रबंधन में प्रबंधनवर्ग को निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करना तथा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करना हमारा प्रयास होता है।

2. निदेशक मंडल

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत मॉयल एक सरकारी कंपनी है। मॉयल के अंतर्नियमों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। अतः मॉयल के मंडल के सभी निदेशकों को इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2016 को निदेशक मंडल में 10 निदेशक शामिल थे, जिसमें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक को मिलाकर 3 पूर्णकालिक निदेशक है, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 2 सरकारी निदेशक तथा 5 स्वतंत्र निदेशक शामिल है। मॉयल के मंडल की संरचना लिस्टिंग एग्रीमेंट कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (लिस्टिंग दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के प्रावधानों तथा निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों और विनियमों, 2015 के अनुरूप की गई है।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रमों की जानकारी का प्रकटीकरण मॉयल की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेबलिंक पर किया गया है :– http://moil.nic.in/writereaddata/pdf/TRAINING-PROGRAMMES-as-on-feb16-pdf

2.1 मॉयल के निदेशक मंडल की संरचना

31 मार्च, 2016 को निदेशक मंडल की श्रेणी के अनुसार संरचना इस प्रकार है :–

पूर्णकालिक निदेशक

1. श्री जी.पी.कुंदरगी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
2. श्री एम. पी. चौधरी, निदेशक (वित्त)
3. श्री टी. के. पटनायक, निदेशक (वाणिज्य)

प्रवर्तक नामित निदेशक

1. सुश्री उर्विला खटी, भारत सरकार के नामित निदेशक
2. श्री एस. एस. शुक्ला, मध्यप्रदेश सरकार के नामित निदेशक

स्वतंत्र निदेशक

1. सुश्री सुनंदा प्रसाद
2. डॉ. ए. के. लोमस
3. श्री जे. पी. डांगे
4. श्री जी. एस. ग्रोवर
5. सुश्री संगीता गैरोला

2.2 सभा में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, पिछली वार्षिक सर्वसाधारण सभा, अन्य निदेशक पदों की संख्या तथा समिति की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण

वर्ष 2015–16 के दौरान मण्डल की पांच (5) बैठकें दिनांक 29 मई, 2015, 23 जुलाई, 2015, 12 अगस्त, 2015, 6 नवम्बर, 2015, 9 फरवरी, 2016 को आयोजित की गई ।

निदेशक का नाम (31.03.2016 तक)	कार्यकाल के दौरान आयोजित मंडल सभाओं की संख्या	मंडल सभाओं में उपस्थित होने की संख्या	पिछली वार्षिक सर्वसाधारण सभा में उपस्थिति	अन्य निदेशक पदों की संख्या	समिति की सदस्यता /अध्यक्षता* की संख्या	
					समिति की अध्यक्षता	समिति की सदस्यता
पूर्णकालिक निदेशक						
श्री जी. पी. कुंदरगी अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	5	5	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एम. पी. चौधरी निदेषक (वित्त)	5	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री टी. के. पटनायक निदेषक (वाणिज्य)	5	5	हाँ	2	शून्य	शून्य
सरकार के नामित निदेशक						
सुश्री उर्विला खटी (भारत सरकार के नामित निदेशक)	5	5	—	4	शून्य	शून्य
श्री एस.एस. शुक्ला (मध्यप्रदेश सरकार के नामित निदेशक)	5	2	—	17	3	शून्य
स्वतंत्र निदेशक						
सुश्री सुनंदा प्रसाद	5	4	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री जी. एस. ग्रोवर	5	4	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री जे. पी. डांगे	5	4	हाँ	5	शून्य	2
डॉ. ए. के. लोमस	5	4	हाँ	3	1	1
सुश्री संगीता गैरोला (27.11.2015 से)	1	1	लागू नहीं	1	शून्य	1

* कंपनियों की लेखा–परीक्षा समिति तथा अंशधारक/निवेशक शिकायत समिति की सदस्यता/अध्यक्षता को विचार में लिया गया है।

3. समितियाँ

मंडल की समितियाँ कुछ विशिष्ट क्षेत्रो पर ध्यान केन्द्रित करती है तथा प्रत्यायोजित प्राधिकारी के साथ सूचित निर्णय लेती है। मंडल की प्रत्येक समिति अपने चार्टर के अनुसार जो उसकी संरचना, कार्यक्षेत्र, अधिकार, भूमिका को परिभाषित करता है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार और लिस्टिंग एग्रीमेंट और निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है। वर्तमान में कंपनी में निम्नलिखित मण्डल समितियां है :

3.1 मंडल की लेखा–परीक्षा समिति

लेखा–परीक्षा समिति लेखा की गुणवत्ता और सत्यनिष्ठा का पर्यवेक्षण, कंपनी की लेखा–परीक्षा एवं रिपोर्टिंग प्रणाली तथा उसके कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने में मंडल को अपनी जिम्मेदारी का वहन करने में सहायता करती है। कंपनी की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण, कंपनी के वित्तीय विवरण का अंकेक्षण, नियुक्ति, स्वतंत्रता, सांविधिक लेखा–परीक्षकों का कार्य–निष्पादन एवं पारिश्रमिक, आंतरिक लेखा–परीक्षकों का कार्य–निष्पादन तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों का पर्यवेक्षण करना समिति का उद्देश्य है।

ए) संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

वर्ष 2015–16 के दौरान लेखा समिति का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में लेखा–परीक्षा समिति में 4 सदस्य है जिनमें से 3 सदस्य स्वतंत्र निदेशक और 1 सदस्य कार्यकारी निदेशक है। लेखा–परीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 18 की आवश्यकताओं को पूरा करती है। 31.03.2016 को समिति के सदस्य निम्नलिखित है :

1. डॉ. ए. के. लोमस, अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक)
2. सुश्री सुनंदा प्रसाद, सदस्य (स्वतंत्र निदेशक)
3. श्री जे. पी. डांगे, सदस्य (स्वतंत्र निदेशक)
4. श्री टी. के. पटनायक, निदेशक (वाणिज्य)

कंपनी का सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

बी) वर्ष के दौरान सभाएं एवं उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्श के दौरान समिति की छह सभाएं दिनांक 15.05.2015, 28.05.2015, 12.08.2015, 24.09.2015, 05.11.2015 और 08.02.2016 को आयोजित की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है :

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
डॉ. ए. के. लोमस, अध्यक्ष	6	6
सुश्री सुनंदा प्रसाद	6	6
श्री जे. पी. डांगे (05.11.2015 से सदस्य)	2	2
श्री ए. के. झा (31.10.2015 तक सदस्य)	4	4
श्री टी. के. पटनायक (05.11.2015 से सदस्य)	2	2

सी) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण :

लेखा–परीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित का समावेष है :

1) वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय है इसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली एवं वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का पर्यवेक्षण करना;

2) सांविधिक लेखा–परीक्षक की नियुक्ति, पुर्ननियुक्ति तथा यदि आवश्यक हो तो प्रतिस्थापन करने अथवा हटाने तथा लेखा–परीक्षा शुल्क तय करने के लिए मंडल को सिफारिश करना; जैसा भी लागू हो

3) सांविधिक लेखा–परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा–परीक्षक को भुगतान स्वीकृत करना;

4) मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणी पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, इन विशेष संदर्भ में :

   1. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मंडल की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में समाविष्ट किए जाने वाले आवश्यक मामले;
   2. कारणों को दर्शाते हुए लेखांकन नीतियों और व्यवहारों में यदि कोई परिवर्तन करना हो;
   3. प्रबंधन द्वारा आकलन पर आधारित निर्णय के प्रयोग को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;

4. वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण समायोजन जो लेखापरीक्षा निष्कर्ष से उत्पन्न हुए;
5. वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग एवं अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
6. पार्टी से संबंधित किसी भी व्यवहारों का प्रकटीकरण; और
7. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अहर्ता, यदि कोई हो।

5) मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणी पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;

6) निधि जो इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रिफ्रेन्शियल इश्यू इत्यादि) के माध्यम से उभारी गई है उसके उपयोग/विनियोग का विवरण, पब्लिक या राइट इश्यू से आय के उपयोग की प्रक्रिया पर निगरानी रखने वाली एजेन्सी के द्वारा प्रस्तुत ऑफर डाक्युमेंट/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस तथा रिपोर्ट में दर्शाए जाने के अतिरिक्त, अन्य कारणों के प्रयोजन से इस्तेमाल की गई निधि के विवरण पर प्रबंधन के साथ समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करना तथा इन मामलों पर उचित कदम उठाने के लिए मंडल को योग्य सिफारिश करना;

7) सांविधिक एवं आंतरिक लेखा–परीक्षकों का कार्य–निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;

8) आंतरिक लेखा–परीक्षक विभाग की संरचना, कर्मचारी तथा विभाग प्रमुख की वरियता, रिपोर्टिंग संरचना की व्याप्ति तथा आंतरिक लेखा–परीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखा–परीक्षा की गतिविधि की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

9) आंतरिक लेखा–परीक्षकों और/या सांविधिक लेखा–परीक्षक के साथ किसी उल्लेखनीय जांच परिणाम पर विचारविमर्श करना तथा उस पर कार्रवाई करना;

10) संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के महत्वपूर्ण प्रकार के मामले, जो आंतरिक लेखा–परीक्षक द्वारा आंतरिक अन्वेषण के दौरान पाए गए उसकी समीक्षा करना तथा मामले की जानकारी मण्डल को देना;

11) लेखा–परीक्षा का प्रकार और उसकी व्यापकता के बारे में सांविधिक लेखा–परीक्षकों के साथ चर्चा करना साथ ही लेखा–परीक्षा के बाद सरोकार के किसी क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए वार्तालाप करना; यदि कोई हो;

12) जमाकर्ताओं, डिबेंचर–धारकों, शेयरधारकों (घोशित लाभांष का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में भारी चूक के कारणों को देखना; यदि कोई हो;

13) यदि "व्हीसल ब्लोअर" यंत्रणा मौजूद हो तो उसके कामकाज की समीक्षा करना;

14) प्रमुख वित्त अधिकारी (अर्थात् पूर्णकालिक वित्त निदेशक अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो वित्तीय कार्यों का प्रमुख हो या वित्तीय कार्यों का निर्वहन करता हो) पद के उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव एवं पार्श्वभूमि इत्यादि का आकलन करके नियुक्ति करना;

15) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;

16) संसदीय सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना; यदि कोई हो।

17) स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक और मंडल के बीच संवाद का एक खुला अवसर प्रदान करना;

18) कार्यक्षेत्र की पूर्णता सुनिश्चित करने, निरर्थक प्रयासों में कमी लाने और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग के समन्वय की स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ समीक्षा करना;

19) स्वतंत्र अंकेक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना :

ए. कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और

बी. स्वतंत्र अंकेक्षक और आंतरिक अंकेक्षक की सिफारिशों और संबंधित निष्कर्शों के साथ प्रबंधन की प्रतिक्रिया।

20) प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षक और स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना :

ए. पिछले लेखापरीक्षा सिफारिश की वर्तमान स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष।

बी. गतिविधियों के दायरे अथवा आवश्यक सूचना प्राप्त करने पर प्रतिबंधों सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान किसी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

21) लेखा–परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में उल्लेख के अनुसार या मंडल के निदेश के अनुसार अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

3.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, लिस्टिंग विनियमन और सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) की शर्तों के अनुसार समिति का गठन किया गया है।

ए) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण :

पारिश्रमिक समिति के कार्य

1. निर्धारित सीमा के भीतर एक्जीक्युटिव तथा नॉन युनियनाइज सुपरवाइजरों में वितरण के लिए वार्षिक बोनस / वेरीएबल पे पूल एवं नीति निर्धारण करना।
2. कंपनी अधिनियम, 2013, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों तथा लिस्टिंग विनियमन तथा अन्य सरकारी दिशानिर्देशों, जो भी लागू हो तथा निर्धारित हो, ऐसी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

एक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किए जाते है।

बी) 31.03.2016 को कंपनी में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश है :

1. सुश्री सुनंदा प्रसाद (स्वतंत्र निदेशक) – अध्यक्ष
2. श्री जे. पी. डांगे (स्वतंत्र निदेशक)
3. श्री जी. एस. ग्रोवर (स्वतंत्र निदेशक)
4. डॉ. ए. के. लोमस (स्वतंत्र निदेशक)

कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है।

सभी कार्यकारी निदेशक भी समिति के एक्स–ऑफिशियो सदस्य होते है ।

सी) समिति की बैठक

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 08 फरवरी, 2016 को समिति की एक सभा आयोजित की गई। सदस्यों द्वारा सभा में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	कुल आयोजित सभा	सभा में उपस्थिति
1.	सुश्री सुनंदा प्रसाद	1	1
2.	डॉ. ए. के. लोमस	1	1
3.	श्री जे. पी. डांगे	1	1
4.	श्री जी. एस. ग्रोवर	1	0

डी) पारिश्रमिक नीति

मॉयल एक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किए जाते है।

वेतन संशोधन पर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकारियों का पारिश्रमिक तथा कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्रत्येक 10 वर्शों में यूनियन के साथ उनके वेतन समझौता अनुबंध के अनुसार तय किए जाते है ।

ई) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किये गए पारिश्रमिक का विवरण

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	वेतन	अनुलाभ	भविष्य निधि और अन्य निधि	बोनस/ कमीशन	कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन	स्टॉक विकल्प*	कुल
1	श्री जी. पी. कुंदरगी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेषक	1986356	1284167	257611	–	0	लागू नहीं	3528134
2	श्री एम. पी. चौधरी, निदेषक (वित्त)	1862208	813595	223465	–	0	लागू नहीं	2899268
3	श्री ए. के. झा, निदेषक (उत्पादन एवं आयोजना) (31.10. 2015 तक)	1058925	604842	145116	–	0	लागू नहीं	2413725
4	श्री टी. के. पटनायक, निदेषक (वाणिज्य)	1852650	1002662	259668	–	0	लागू नहीं	4117642

* सभी निदेशकों की शेयर होल्डिंग शून्य है ।

मण्डल / समिति की बैठकों में उनके उपस्थित होने के संबंध में उनकी फीस/प्रतिपूर्ति के अलावा गैर–कार्यकारी निदेशकों का कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या संव्यवहार नहीं है।

कार्यकारी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा उस पद का कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्श की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेषों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है । स्वतंत्र निदेशक तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते है ।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान मंडल की प्रत्येक सभा में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क रू. 20,000/– (रूपये बीस हजार) और समिति की सभा के लिए रू. 15,000/– (रूपये पंधरह हजार) भुगतान किया गया । इसके संबंध में विस्तृत विवरण संलग्न अनुलग्नक IV प्रपत्र एमजीटी–9 में मद VI (बी) में उपलब्ध किया गया है ।

निदेशकों को भुगतान करने के लिए मानदण्ड मॉयल लिमिटेड की वेबसाईट पर रखे गए है ।

3.3 अंशधारक संबंध समिति

शेयरों का हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट नहीं मिलना, घोशित लाभांश नहीं मिलना इत्यादि के संबंध में अंशधारक तथा निवेशकों की शिकायतों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी समिति को दी गई है। समिति कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के कार्यनिष्पादन एवं सेवास्तर का मूल्यांकन भी करती है तथा निवेशकों को प्रदान किए जा रहे सेवास्तर को सुधारने के लिए लगातार मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। मंडल ने आरटीए तथा/या कंपनी सचिव को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

ए) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण :

समिति की जिम्मेदारियाँ नीचे दिए अनुसार है :

1. निवेशकों की शिकायतों का निवारण करना
2. शेयरों का आबंटन, शेयर, डिबेंचर या अन्य किसी भी प्रतिभूतियों के हस्तांतरण या पारेषण को अनुमोदन देना
3. विभाजन/समेकन/नवीनीकरण इत्यादि के मामले में डुप्लिकेट प्रमाणपत्र तथा नए प्रमाणपत्र जारी करना
4. कंपनी का घोषित लाभांश, तुलनपत्र नहीं मिलने बाबत
5. समय–समय पर संशोधित लिस्टिंग एग्रीमेंट में समाविष्ट अन्य कार्यों का निर्वहन करना
6. समय–समय पर मंडल द्वारा निर्धारित कोई अन्य विषय

बी) समिति की संरचना

दिनांक 31.03.2016 को समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेष है :

1. श्री जे. पी. डांगे, स्वतंत्र निदेशक – सभापति
2. डॉ. ए. के. लोमस, स्वंतत्र निदेशक
3. श्री एम. पी. चौधरी, निदेशक (वित्त)
4. श्री टी. के. पटनायक, निदेशक (वाणिज्य)

सी) सभा एवं उपस्थिति

वर्ष 2015–16 के दौरान अंशधारक संबंध समिति की तीन सभाएं 6 अगस्त, 2015, 05 नवम्बर, 2015 और 08 फरवरी 2016 को आयोजित की गई थी। सदस्यों द्वारा सभा की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित सभा	सभा में उपस्थिति
श्री जे. पी. डांगे, सदस्य एवं सभापति	3	3
डॉ. ए. के. लोमस, सदस्य	3	3
श्री मुकुंद पी. चौधरी, सदस्य	3	3
श्री टी. के. पटनायक, सदस्य	3	3

डी) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

कंपनी के अनुपालन अधिकारी श्री नीरज दत्त पाण्डेय, कंपनी सचिव है।

ई) निवेशकों की शिकायतों का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी एवं रजिस्ट्रार ने उन मामलों को छोड़कर जो विवाद या कानूनी बाधाओं के कारण बाधित हुए है, निवेशकों की शिकायतों को तत्परता से देखा है। शिकायतों का विवरण इस प्रकार है :

अनु. क्र.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1	01 अप्रैल, 2016 को शेष	0
2	वर्ष के दौरान प्राप्त	106
3	वर्ष के दौरान देखा गया/सुलझाया गया	105
4	अंशधारकों के समाधान तक सुलझाया नहीं गया	1
5	31 मार्च, 2016 को लंबित	1

3.4 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास नीति बनाने/समीक्षा करने, कंपनी द्वारा स्वीकृत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है, ताकि स्वीकृति की षर्तों के अनुरूप कार्यों का किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास के सभी प्रस्तावों को मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले समिति के समक्ष रखा जाएगा और यदि उपयुक्त पाया जाता है तो समिति मंडल को इसकी सिफारिश करेगी।

ए) विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

समिति के उत्तरदायित्व इस प्रकार है :–

1. कंपनी की सीएसआर और संधारणीय विकास नीति की समीक्षा करना, यदि आवश्यक हो,
2. सीएसआर और संधारणीय विकास पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन अथवा तत्समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत अनुपालन की समीक्षा करना,
3. मॉयल के मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर और संधारणीय विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और पर्यवेक्षण,

4. सीएसआर और संधारणीय विकास नीति के अंतर्गत की जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के अनुमोदन की सिफारिश करना,
5. कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों में जैसा लागू है और निर्धारित है, समय–समय पर मंडल द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मामले।

बी) समिति की संरचना

समीक्षाधीन वर्श के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग विनियमन और डीपीई दिशानिर्देशों, जो भी लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार समिति का पुनर्गठन किया गया। 31.03.2016 को समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश है :

1) श्री जी. एस. ग्रोवर (स्वतंत्र निदेशक) – सभापति
2) सुश्री सुनंदा प्रसाद (स्वतंत्र निदेशक)
3) सुश्री संगीता गैरोला (स्वतंत्र निदेशक)
4) श्री एम. पी. चौधरी, निदेशक (वित्त)

कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है।

सी) समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की चार बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 12 अगस्त, 7 अक्तूबर, और 22 दिसम्बर, 2015 को आयोजित की गई । समिति के सदस्यों और उनके द्वारा सभा की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित सभा	सभा में उपस्थिति
श्री जी. एस. ग्रोवर (सदस्य एवं सभापति)	4	4
सुश्री सुनंदा प्रसाद (सदस्य)	4	4
श्री ए. के. झा (31.10.2015 तक सदस्य)	3	3
श्री एम. पी. चौधरी (06.11.2015 से सदस्य)	1	1

3.5 जोखिम प्रबंधन समिति

लिस्टिंग विनियमन के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मण्डल ने जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। मण्डल ने जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया है तथा समिति को जोखिम प्रबंधन योजना के पर्यवेक्षण और समीक्षा को प्रत्यायोजित किया है ।

ए. विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कंपनी की जिम्मेदारियॉ निम्न प्रकार है :

(ए) जोखिम प्रबंधन और न्यूनतम प्रक्रिया के संबंध में मण्डल निदेषकों को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित करेगा।
(बी) कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन योजना की रचना, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा ।

बी. समिति की संरचना

वर्ष के दौरान श्री ए. के. झा, का निदेशक पद छोड़ने के परिणामस्वरूप समिति का पुनर्गटन किया है । दिनांक 31.03.2016 को समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल है :

(1) श्री एम. पी. चौधरी – सभापति
(2) श्री टी. के. पटनायक – सदस्य
(3) श्री सी. बी. अतुलकर – सदस्य (बोर्ड स्तर से नीचे वरिष्ठ प्रबंधन)

सी. समिति की बैठक

वित्तीय वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक दिनांक 20 अक्तूबर, 2015 को आयोजित की गई । समिति के सदस्यों और उनके द्वारा सभा की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित सभा	सभा में उपस्थिति
श्री एम. पी. चौधरी – सभापति	1	1
श्री टी. के. पटनायक – सदस्य	1	1
श्री सी. बी. अतुलकर – सदस्य	1	1

4. वार्षिक सर्वसाधारण सभा

4.1 कंपनी की पिछली तीन वार्षिक सर्वसाधारण सभाओं का विवरण नीचे दर्षाए अनुसार है :

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	विशेष प्रस्ताव
2014–15	31 अगस्त, 2015	11.30 बजे	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन जुबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जिल्हा परिषद (पूर्व–शासकीय) हायस्कूल के सामने, काटोल रोड, नागपुर – 440 013	शून्य
2013–14	30 अगस्त, 2014	11.30 बजे	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन जुबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जिल्हा परिषद (पूर्व–शासकीय) हायस्कूल के सामने, काटोल रोड, नागपुर – 440 013	शून्य
2012–13	22 अगस्त, 2013	02.30 बजे	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन जुबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जिल्हा परिषद (पूर्व–शासकीय) हायस्कूल के सामने, काटोल रोड, नागपुर – 440 013	शून्य

4.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

4.3 आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभा के साथ–साथ पिछली दो वार्षिक सर्वसाधारण सभा में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विषेश प्रस्ताव करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं है।

5. सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनी की सूचना :

मॉयल की कोई सहयोगी कंपनी नहीं है। हालांकि, सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि. और रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि. नामक दो संयुक्त उद्यम कंपनी है। दोनों कंपनी में प्रचालन शुरू नहीं है।

6. प्रकटीकरण

1. कंपनी ने संबंधित पक्ष से ऐसा कोई महत्वपूर्ण व्यवहार नहीं किया है जो कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष निर्माण कर सकता है। फिर भी पक्षों से संबंधित व्यवहार को लेखों पर टिप्पणी के मद संख्या 11 के नोट नं. 1.2 में प्रकट किया गया है। कंपनी की अपनी संबंधित पार्टी संव्यवहार नीति है और इसे अपनी वेबसाईट **www.moil.nic.in** पर अपलोड किया गया है।
2. कंपनी अधिनियम, 1956/2013 या स्टॉक एक्सचेंज या सेबी के नियम एवं विनियम या अन्य कोई सांविधिक प्राधिकारी के प्रावधानों का पालन नहीं करने का कोई मामला नहीं हुआ है। पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी मामले पर इन प्राधिकारियों ने कंपनी पर कोई आक्षेप या जुर्माना नहीं लगाया है। वर्ष के कुछ भाग के दौरान निदेशक मण्डल की संरचना से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर कारपोरेट गवर्नेन्स पर डीपीई दिशानिर्देश और लिस्टिंग एग्रीमेन्ट की आवश्यकताओं के साथ अनुपालन नहीं करने का कोई मामला नहीं है।
3. गैर–कार्यकारी निदेशक कंपनी में कोई भी शेयर या परिवर्तनीय इन्स्ट्रुमेंट्स धारण नहीं कर रहे है।
4. कंपनी के किसी कार्मिक ने लेखा–परीक्षा समिति से मिलने से इन्कार नहीं किया है।
5. **व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी** : कंपनी के पास व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी है और इसे **www.moil.nic.in** पर अपलोड किया गया है। अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीतियों के उल्लंघन के मामलों पर निगरानी रखने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में सक्षम एवं स्वतंत्र सतर्कता विभाग कंपनी में विद्यमान है। सभी कर्मियों को अपनी तक्रार, षिकायतों इत्यादि को सतर्कता विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने की सुलभता है।
6. निदेशक मंडल से संबंधित विनियम 17 से 27 में विनिर्दिश्ट निगमित शासन आवश्यकताओं के अनुपालन में अंकेक्षण समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, अंशधारक संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, सतर्कता यांत्रिकी, संबंधित पक्ष संव्यवहार, स्वतंत्र निदेशकों, निदेशकों और वरिष्ठ कार्यकारियों से संबंधित दायित्व का मॉयल लिमिटेड द्वारा अनुपालन किया गया ।
7. मॉयल लिमिटेड की वेबसाईट पर प्रकटीकरण के संबंध में विनियम 46 के उप–विनियम (2) के खण्ड (बी) से (i) में विनिर्दिष्ट निगमित शासन की आवश्यकताओं का भी अनुपालन किया गया ।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की अनिवार्य और गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं का अंगीकरण

मॉयल ने लिस्टिंग विनियमन (उपरोक्त उल्लेखित को छोडकर) में सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। लिस्टिंग विनियमन की अनुसूची 5 में निर्देशित गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाये गये/अनुपालित क्षेत्र नीचे दर्शाए अनुसार है :

1. चूंकि कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक कंपनी के पूर्णकालिक कार्मिक है, इसलिए अध्यक्ष का अलग से कार्यालय रखना आवश्यक नहीं है। आगे भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्षों के कार्यकाल हेतु की जाती है। इसलिए किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने कुल मिलाकर 5 वर्शों से अधिक की सेवा प्रदान नहीं की है।
2. स्वतंत्र निदेशक की सभा वर्ष के दौरान 22 दिसम्बर, 2015 को आयोजित की गई।
3. कंपनी अपने अन–अंकेक्षित/अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों को "मिन्स ऑफ कम्यूनिकेषन" शीर्षक के अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार–पत्रों में प्रकाशित करती है। इन अन–अंकेक्षित/अंकेक्षित वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in पर भी डाला गया है, लेकिन अलग से परिचालित नहीं किया गया है। कंपनी अपनी प्रमुख गतिविधियों, उपलब्धियों इत्यादि को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार–पत्रों तथा अपनी वेबसाइट पर भी संप्रेषित करती है।
4. कंपनी का हमेशा प्रयास रहता है कि अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।
5. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सभी निदेशकों जिसमें अध्यक्ष–सह–प्रबंधक भी शामिल है, की नियुक्ति इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
6. जब भी आवश्यक हो, अंकेक्षण समिति को आंतरिक अंकेक्षक रिपोर्ट।

7. संचार के माध्यम

7.1 कंपनी सामान्यतः अपने अन–अंकेक्षित/अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों को प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार–पत्रों (जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, और महाराष्ट्र टाइम्स, एमआयएनटी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैन्डर्ड, हितवाद), मराठी (लोकमत, नागपुर), तथा हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र (जैसे नवभारत, दैनिक भास्कर, नवराष्ट्र, लोकमत समाचार) में प्रकाशित करती है।

7.2 इन अन–अंकेक्षित/अंकेक्षित वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर भी डाला गया है।

7.3 कंपनी अपनी कार्यालयीन खबरों, मुख्य कार्यक्रमों, प्रदर्षनों, उपलब्धियों, प्रस्तुतीकरणों इत्यादि को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार–पत्र तथा अपनी वेबसाइट पर भी संप्रेषित करती है।

8. सामान्य अंशधारक जानकारी

8.1 वार्षिक सर्वसाधारण सभा

दिनांक	दिवस	समय	स्थान
30.08.2016	मंगलवार	11.30 बजे	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन जुबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जिला परिषद (पूर्व–शासकीय) हायस्कूल के सामने, काटोल रोड, नागपुर – 440 013

8.2 वित्तीय वर्ष

कंपनी ने वित्तीय वर्ष प्रणाली को अपनाया है जो प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के पहले दिन से प्रारंभ होकर मार्च माह के 31वें दिन को समाप्त होती है।

8.3 रजिस्टर बंद होने की तारीख

कंपनी ने रजिस्टर बंद नहीं किया, हालांकि अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तारीख 8 सितम्बर, 2016 है।

8.4 लाभांश भुगतान तिथि

लाभांश के घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अंशधारकों को उनका भुगतान/प्रेषण किया जाता है।

8.5 स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग

आपकी कंपनी के षेयरों को दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 को सूचीबद्ध किया गया है। एक्सचेंज और स्टॉक कोड का विवरण इस प्रकार है :

स्टॉक एक्सचेंज	शेयरों के प्रकार	स्टॉक कोड
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	इक्विटी शेयर	533286
नैषनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	इक्विटी शेयर	मॉयल –ईक्यू

वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क उपरोक्त दोनों एक्सचेंज को अदा कर दिया गया है।

बाजार मूल्य डेटा – पिछले वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रत्येक माह के दौरान उच्च एवं निम्न मूल्य

माह	एनएसई		बीएसई	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल, 2015	321.00	291.00	320.00	291.00
मई, 2015	294.00	278.00	297.00	279.00
जून, 2015	300.00	265.00	299.00	266.00
जुलाई, 2015	289.00	252.00	295.00	252.00
अगस्त, 2015	263.00	241.00	263.00	241.00
सितम्बर, 2015	257.00	235.00	257.00	238.00
अक्तूबर, 2015	251.00	228.00	251.00	229.00
नवम्बर, 2015	246.00	206.00	247.00	183.00
दिसम्बर, 2015	213.00	195.00	218.00	195.00
जनवरी, 2016	223.90	208.60	223.95	200.15
फरवरी, 2016	209.80	179.50	209.85	180.10
मार्च, 2016	235.00	186.30	234.40	185.00

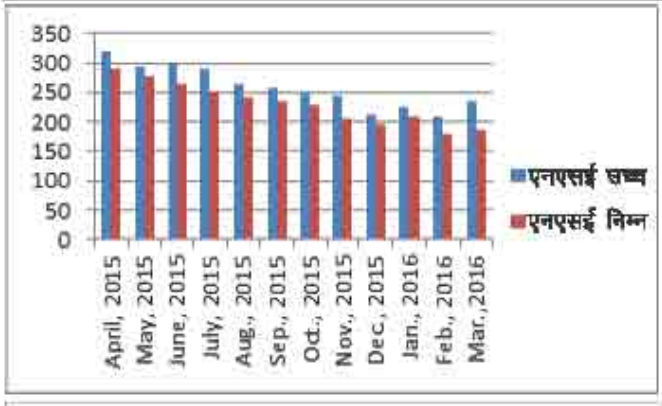

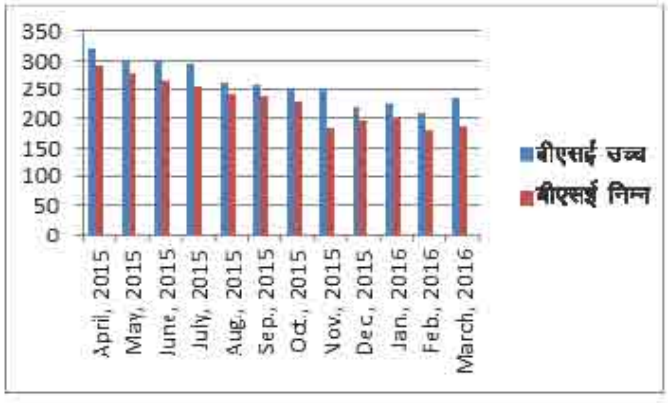

8.8 बीएसई एवं एनएसई ब्रॉड–बेस्ड सूचकांक की तुलना में निष्पादन

माह	एनएसई		बीएसई	
	एस एण्ड पी सीएनएक्स निफ्टी	मॉयल	सेन्सेक्स	मॉयल
अप्रैल, 2015	8181.50	253.50	27011.31	253.55
मई, 2015	8433.65	243.45	27828.44	243.95
जून, 2015	8368.50	246.85	27780.83	247.30
जुलाई, 2015	8532.85	232.50	28114.56	232.45

अगस्त, 2015	7971.30	208.30	26283.09	208.30
सितम्बर, 2015	7948.90	197.15	26154.83	196.85
अक्तूबर, 2015	8065.80	212.90	26656.83	213.05
नवम्बर, 2015	7935.25	198.55	26145.67	198.85
दिसम्बर, 2015	7946.35	210.10	26117.54	211.25
जनवरी, 2016	7563.55	203.70	24870.69	203.60
फरवरी, 2016	6987.05	190.05	23002.00	189.40
मार्च, 2016	7738.40	213.20	25341.86	217.40

8.7 शेयर एण्ड ट्रान्सफर अभिकर्ता का नाम व पता

पंजीयक एवं हस्तांतरण अभिकर्ता (आर.टी.ए.)

बिग शेयर सर्विसेस प्रा. लि.
ई–2 एण्ड 3, अंसा इण्डस्ट्रियल इस्टेट
साकी–विहार रोड, साकीनाका,
अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई – 400 072
टेलीफोन : 91–22–40430200
फैक्स : 91–22–28475207
ईमेल : **investor@bigshareonline.com**
वेबसाईट : www.bigshareonline.com

8.8 शेयर हस्तांतरण प्रणाली

भौतिकीय खण्ड के अंतर्गत सभी शेयर हस्तांतरण के कार्य बिग शेयर सर्विसेस प्रा. लि. के द्वारा किए जा रहे है। शेयर हस्तांतरण प्रणाली में हस्तांतरिती से हस्तांतरण विलेख के साथ शेयरों के हस्तांतरण की रसीद, इसका सत्यापन, हस्तांतरण /ट्रांसमिशन का ज्ञापन तैयार करना इत्यादि शामिल है। हस्तांतरण / ट्रांसमिशन का अनुमोदन उप–समिति / प्राधिकृत व्यक्ति (कंपनी सचिव) द्वारा किया जाता है। षेयर के हस्तांतरण/ ट्रांसमिशन की संक्षिप्त जानकारी अंशधारक संबंध समिति/ मंडल सभा में दी गई है। स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट रेगुलेशन 40(10) के अनुसरण में छमाही आधार पर निर्धारित समय के भीतर शेयर हस्तांतरण औपचारिकताओं के विधिवत अनुपालन की पुष्टि करते हुए कार्यकारी कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणपत्र स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया गया है।

8.9 मंडल और लेखा–परीक्षा समिति के लिए बैठकों का संभावित कैलेंडर

समाप्त तिमाही	सभा की संभावित तारीख
30 जून, 2016	अगस्त, 2016 के पहले सप्ताह में
30 सितम्बर, 2016	नवम्बर, 2016 के पहले सप्ताह में
31 दिसम्बर, 2016	फरवरी, 2017 के पहले सप्ताह में
31 मार्च, 2017	मई, 2017 के तीसरे सप्ताह में

उपरोक्त के अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो सभा का आयोजन किया जा सकता है।

8.10 शेयर धारणाधिकार का वितरण

ए. 31 मार्च, 2016 को आकार के अनुसार धारणाधिकार का प्रतिशत

शेयर की संख्या	शेयर धारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत	कुल शेयरों की संख्या	शेयर का प्रतिशत
1–5000	306068	98.9650	97632240	5.8114
5001–10000	1866	0.6034	13902500	0.8275
10001–20000	688	0.2225	9804060	0.5836
20001–30000	210	0.0679	5272770	0.3139
30001–40000	96	0.0310	3451950	0.2055
40001–50000	72	0.0233	3362730	0.2002
50001–100000	120	0.0388	8889600	0.5291
100001 एवं अधिक	149	0.0482	1537684150	91.5288
कुल	**309269**	**100.0000**	**1680000000**	**100.0000**

बी. 31 मार्च, 2016 को शेयर धारणाधिकार का श्रेणीवार सारांश

श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
केन्द्र/राज्य सरकार (प्रमोटर्स/प्रमोटर्स समूह)	134400000	80.00
जनता (व्यक्ति)	13816149	8.22
विदेषी संस्थागत निवेशक	9158499	5.45
वित्तीय संस्थान एवं बैंक	4498438	2.68
निगमित संस्था	2143767	1.28
इंश्योरेंस कंपनी	1186234	0.71
राष्ट्रीयकृत बैंक	837227	0.50
म्युचुअल फंड	672216	0.40
अनिवासी भारतीय	400286	0.24
विदेशी कंपनी	377265	0.22
गैर राष्ट्रीय बैंक	337806	0.20
क्लियरिंग सदस्य	74836	0.04
कर्मचारी	71461	0.04
न्यास	25612	0.01
बिना दावे का संदिग्ध लेखा	204	0.00

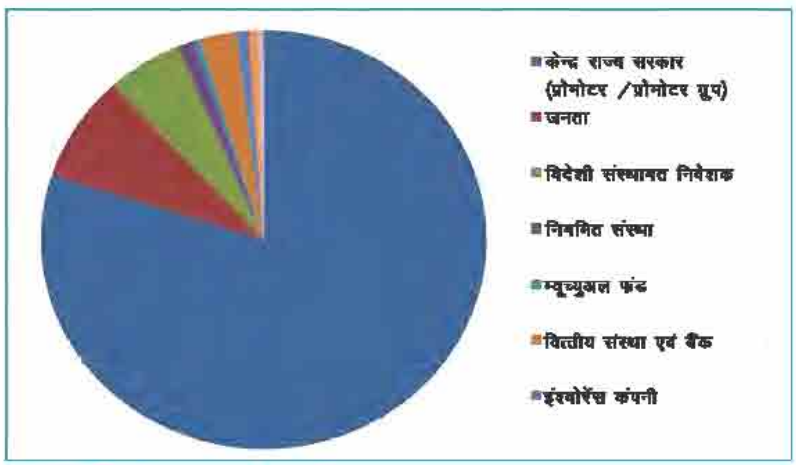

8.11 शेयर का विभौतिकीकरण एवं नकदीकरण

नैशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ कंपनी के षेयरों का विभौतिकीकरण किया जाता है।

31.03.2016 को विभौतिकीय और भौतिकीय रूप में शेयरों की संख्या

श्रेणी	शेयरों की संख्या	जारी की गई कुल पूंजी का प्रतिशत
सीडीएसएल के साथ डिमैट प्रणाली में शेयर	5642266	3.36
एनएसडीएल के साथ डिमैट प्रणाली में शेयर	162357333	96.64
भौतिकीय प्रणाली में शेयर	401	0.00
कुल	16,80,00,000	100.00

कंपनी के इक्विटी शेयर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् एनएसई और बीएसई में सक्रिय रूप से कारोबार किए इक्विटी शेयर है।

8.12 बकाया जीडीआर/एडीआर/वारन्ट या अन्य परिवर्तनीय इन्स्ट्रुमेंट, परिवर्तित तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारन्ट या परिवर्तनीय इन्स्ट्रुमेंट जारी नहीं किए गए है।

8.13 संदिग्ध खाते में अंशों का ब्यौरा :

संदिग्ध खाते में शेयरों का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	अंशधारकों की संख्या	अंश की संख्या
01.04.2015 को संदिग्ध खाते में बकाया अंश और अंशों की कुल संख्या	14	238
वर्ष के दौरान संदिग्ध खाते से शेयरों के स्थानांतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	02	34
वर्ष के दौरान संदिग्ध खाते से किए गए अंश हस्तांतरित शेयरों की संख्या	02	34
बिना दावे के संदिग्ध खाते से अंश हस्तांतरण	0	0
31.03.2016 को संदिग्ध खाते में बकाया अंष और अंशों की कुल संख्या	12	204

31.03.2016 तक संदिग्ध खाते में इन शेयरों पर मतदान अधिकार नहीं रहेगा जब तक इन शेयरों पर वास्तविक दावेदार दावा नहीं करते।

8.14 खदानों संयंत्रों और पवन उर्जा फार्म के स्थान

खदानों की सूची

अनुक्रमांक	खदान का नाम और पता
	महाराष्ट्र
1	**चिखला खदान** पो.ऑ. चिखला, तहसील तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र पिन – 441 904
2	**डोंगरी बजुर्ग खदान** पो.ऑ. डोंगरी बजुर्ग, तहसील तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र पिन – 441 907
3	**बेलडोंगरी खदान** पो.ऑ. सातुक, तहसील रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र पिन – 440 401
4	**कान्द्री खदान** पो.ऑ. कान्द्री, तहसील रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र पिन – 441 401
5	**मनसर खदान** पो.ऑ. मनसर, तहसील रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र पिन – 441 106
6	**गुमगाँव खदान** पो.ऑ. खापा, तहसील सावनेर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र पिन – 441 101
	मध्यप्रदेश
7	**बालाघाट खदान** पी.ऑ. भारवेली, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश पिन – 481 102
8	**उकवा खदान** पो.ऑ. उकवा, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश पिन – 481 105
9	**तिरोडी खदान** पो.ऑ. तिरोडी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश पिन – 481 449
10	**सीतापतोर खदान** पो.ऑ. सुकली, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश पिन – 418 449
	संयंत्र
1	फेरो मैंगनीज प्लांट 10000 (टीपीवाई) क्षमता, बालाघाट
2	इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) संयंत्र (1000टीपीवाई) क्षमता, डोंगरी बुजुर्ग

पवन उर्जा फार्म की सूची

1	नागदा हिल्स, जिला देवास, मध्यप्रदेश	क्षमता 4.8 मे.वॉ.
2	रतेडी हिल्स, जिला देवास, मध्यप्रदेश	क्षमता 15.2 मे.वॉ.

8.15 पत्रव्यवहार के लिए पता

पंजीकृत कार्यालय
कंपनी सचिव
मॉयल लिमिटेड
"मॉयल भवन",
1–ए, काटोल रोड, नागपुर – 440 013
टेलीफैक्स : 0712–2806182 / 100
ईमेल : compliance@moil.nic.in
वेबसाईठ : www.moil.nic.in

9. आचार संहिता

अपने कर्मचारियों के लिए आचरण के उत्तम मानकों को स्थापित करने के मॉयल के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में सभी मंडल सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए "कोड ऑफ बिजनेस कन्डक्ट्स एण्ड एथिक्स" बनाया गया है। उक्त संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in पर प्रस्तुत की गई है। कंपनी के सभी मंडल सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान मॉयल की "कोड ऑफ बिजनेस कन्डक्ट्स एण्ड एथिक्स" का पालन करने का अभिवचन दिया है।

घोषणा

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के भाग डी की अनुसूची 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार कंपनी के सभी मंडल सदस्य एवं वरिश्ठ प्रबंधन कार्मिक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्श के लिए "कोड ऑफ बिजनेस कन्डक्ट्स एण्ड एथिक्स" का अनुपालन करने की पुश्टि करते है।

कृते मॉयल लिमिटेड

स्थान : भोपाल
दिनांक : 27 जून, 2016

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

---

10. सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

लिस्टिंग विनियमन के नियमन 17(8) के अनुसार कंपनी के सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र निगमित शासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

11. निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

कंपनी की प्रक्रियाओं और प्रथाओं के साथ परिचित होने के लिए मंडल के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज / विवरण पुस्तिका, रिपोर्ट और आंतिरक नीतियों की जानकारी उपलब्ध की जाती है। कंपनी विभिन्न बाहरी संस्थानों / एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनार और प्रषिक्षण कार्यक्रमों में अपने निदेशकों को नामित भी करती है। मंडल में और मंडल समिति की सभा में कंपनी के कारोबार और प्रदर्षन की जानकारी, कारोबारी वातावरण, कारोबार की रणनीति और शामिल जोखिमों पर समय–समय पर प्रस्तुतीकरण किए जाते है। वर्श के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की अलग सभा में कंपनी के व्यवसायिक क्षेत्रों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी किया जाता है। प्रासंगिक वैधानिक परिवर्तनों की जानकारी निदेषकों को सूचित की जाती है। निदेशकों के लिए विभिन्न खदानों के दौरे आयोजित किए जाते है ताकि उन्हें कंपनी का संचालन समझने में सक्षमता हासिल हो। स्वतंत्र निदेषकों के लिए इस प्रकार के परिचय कार्यक्रमों की जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है और उन्हें http://moil.nic.in/writereaddata/pdf/TRAINING-PROGRAMMES-as-on-feb16-pdf के माध्यम से देखा जा सकता है।

12. लागू कानूनों के अनुपालन की समीक्षा

कंपनी में लागू सभी कानूनों के अनुपालन रिपोर्ट की समय–समय पर मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है तथा सभी लागू कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है।

13. लेखा परीक्षक का अनुपालन प्रमाणपत्र

कंपनी के लेखा परीक्षक, सीएस अमित राजकोटिया, प्रैक्टीसिंग कंपनी सचिव से यह पुष्टि करते हुए प्रमाणपत्र मिला है कि लिस्टिंग विनियमनों की अनुसूची v के अंतर्गत निर्धारित निगमित शासन की शर्तो का अनुपालन किया गया है, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणीकरण

सेवा में,
निदेशक मंडल
मॉयल लिमिटेड
नागपुर

ए) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:

1. इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण असत्य विवरण नहीं है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य का विलोप नहीं किया गया है या ऐसे विवरण शामिल नहीं है जो गुमराह कर सकते है।
2. इन विवरणों के साथ कंपनी के कार्यकलापों की सही एवं निष्पक्ष छवि प्रस्तुत होती है तथा यह मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन में है।

बी) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विष्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया गया है जो धोखाधड़ी, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने की जिम्मेदारी को स्वीकार करते है तथा हमने कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन किया है तथा हमने अंकेक्षक एवं अंकेक्षण समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की संरचना या प्रचालन में कमियों, यदि कोई हो, जिसकी हमें जानकारी हो तथा इन कमियों को सुधारने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में उनके समक्ष प्रकटीकरण किया है।

डी) हमने अंकेक्षक एवं अंकेक्षण समिति को सूचित किया है कि :

1. वर्ष 2015–16 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन;
2. वर्ष 2015–16 के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसे वित्तीय विवरणी की टिप्पणी में प्रकट किया है; तथा
3. ऐसे धोखाधड़ी के मामले जिसकी हमें जानकारी हुई है तथा उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका है।

एम.पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 मई, 2016.

अनुलग्नक–VI
प्रबंधकीय विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट वर्ष 2015–16

प्रस्तावना

प्रबंधकीय विवेचन तथा विश्लेशण रिपोर्ट (एमडीएआर) का उद्देष्य कंपनी के कारोबारी माहौल में विकास एवं पिछली रिपोर्ट की तुलना में कंपनी का कार्य–निष्पादन तथा भावी दृश्टिकोण को विशद करना है। एमडीएआर मंडल की रिपोर्ट का एक भाग है। किसी भी कंपनी का कार्य–निष्पादन विभिन्न घटकों से जुड़ा होता है जिसमें माँग, पूर्ति, जलवायु स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, सरकारी नियमों तथा नीतियों, कराधान एवं प्राकृतिक आपदा षामिल है, जो कंपनी के नियंत्रण कक्षा से बाहर है तथा जो कंपनी के प्रचालन में उल्लेखनीय अंतर ला सकते है। इसे मद्देनजर रखते हुए अनुमान, दृष्टिकोण, अपेक्षा, आंकलन इत्यादि के संबंध में इस रिपोर्ट में दिए गए कुछ कथन वास्तविकता से अलग हो सकते है।

ए) औद्योगिक संरचना और बाजार परिदृश्य

एक बड़ी जनसंख्या के साथ भारत एक विकासषील अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास के संचालकों को अधिक लोगों को रोजगार देने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए नये इंफ्रास्ट्रक्चर, नये और बड़े षहर, मषीनरी और उत्पादन में निरंतर निवेशों की आवश्यकता है।

भारत का इस्पात उत्पादन वर्ष 2014 की तुलना में 2015 के दौरान 2.38 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करते हुए 87.29 मिलियन टन से बढ़कर 89.37 मिलियन टन हो गया है। दूसरी ओर, विश्व इस्पात उत्पादन में 2015 के दौरान 2.97 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई है। चीन और जापान ने भी वर्ष 2015 के दौरान क्रमशः 2.30 प्रतिषत और 4.99 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्षाई है।

भारत अब विश्व में 3रा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है और वर्ष 2015 में लगभग 89.37 मिलियन टन कच्चा इस्पात उत्पादन किया है और आगामी वर्षों में यह वृद्धि बढ़ने की उम्मीद है।

मैंगनीज अयस्क उद्योग का निश्पादन सीधे इस्पात उद्योग के निश्पादन से जुड़ा होता है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्लूएसए) के अनुसार जनसंख्या में अपेक्षित वृद्धि, इस्पात के लिए नये अनुप्रयोगों और अधिक परिश्कृत इस्पात अनुप्रयोगों को देखते हुए विश्व इस्पात बाजार में अगले 50 वर्षों में लगभग 700 से 1000 मिलियन टन के बीच वृद्धि की क्षमता है। यह उस बाजार के बराबर है जो आज के बाजार के 60 प्रतिषत से बड़ा बाजार है।

अध्ययन के अनुसार, आगामी वर्षों में इस्पात उद्योग में दोहरे अंक की बढ़त होने की संभावना है जो निश्चित तौर पर मैंगनीज अयस्क की मांग उत्पन्न करेगी।

(बी) अवसर और चुनौतियां

अवसर

- सरकार घरेलु और विदेशी दोनों स्त्रोतों से भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेषों को आकर्षिक करने के लिए और मंडल के निवेश मंशाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है ताकि घरेलु मांग को पूरा करने के लिए वांछित कच्चे इस्पात के क्षमता स्तर तक पहुँचा जा सके और उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट और आवष्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- भारत ने 2030 तक इस्पात का 300 एमटी क्षमता लक्ष्य रखा है, जो मैंगनीज अयस्क की मांग निर्मित करेगा।
- भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज अयस्क उत्पादक होने के नाते मॉयल देश के उत्पादन का लगभग 54 प्रतिषत के लिए उत्तरदायी है। मैंगनीज अयस्क के भंडार और संसाधनों के लगभग 81.47 मिलियन टन के साथ कंपनी अपनी प्रभावपूर्ण स्थिति, मध्यम से उच्च श्रेणी के अयस्क, मध्य अवस्थित खदानों और मजबूत ग्राहक संबंधों के साथ भारत की इस्पात मांग वृद्धि को पूंजीकृत करने की अच्छी स्थिति में है।
- इस्पात उत्पादन में सिलिको मैंगनीज के लगातार उपयोग के कारण निम्न/मध्यम श्रेणी के अयस्कों के लिए बाजार की अच्छी संभावना है।
- सशक्त वित्तीय स्थिति, अर्थात् बड़े नकदी भंडार मॉयल को बड़ी निवेष योजनाओं के अवसर उपलब्ध करते है। मॉयल ने पहले ही अपनी मौजूदा खदानों के विकास के लिए बड़े निवेशों की योजना बनाई है जो मैंगनीज अयस्क की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाएगी।
- केन्द्र सरकार ने नागपुर और भंडारा जिले में 814.71 हेक्टर भूमि का आरक्षण किया हुआ है। आवश्यक मंजूरी मिलने और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद यह मैंगनीज अयस्क की मांग को पूरा करने और भारत की इस्पात मांग में वृद्धि को

पूंजीकृत करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर उपलब्ध कर सकता है। राज्य सरकार ने पहले ही 597.44 हेक्टर के लिए प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस प्रदान कर दिया है। इन क्षेत्रों में कम से कम तीन नई खदानों का षुरू होना संभावित है।

- भारत सरकार के खान मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ मॉयल को देष भर में विभिन्न खनिजों के अन्वेषण को संचालित करने के लिए अधिसूचित किया है। यह मॉयल को अन्वेषण के क्षेत्र में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए अवसर प्रदान करता है।
- मैंगनीज अयस्क के उत्खनन में व्यापक अनुभव के साथ कंपनी अन्य खनिज क्षेत्र में विस्तार की योजना बना सकती है।

मॉयल की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता

- उच्च / मध्यम श्रेणी के मैंगनीज अयस्क के बड़े भंडारों के साथ देष में मात्रा के लिहाज से मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- मॉयल के पास देश में उच्च / मध्यम श्रेणी के मैंगनीज अयस्क के कुल प्रदर्शित भंडारों की अधिकतम धारण क्षमता है।
- उच्च शुद्ध संपत्ति और शून्य ऋणग्रस्तता के साथ सशक्त वित्तीय क्षमता है।
- अच्छी कार्य संस्कृति और औद्योगिक संबंधों के साथ योग्यताप्राप्त तकनीकी रूप से कुषल मानवबल की उपलब्धता है।
- कंपनी के भंडार भारत के मध्यवर्ती मैंगनीज पट्टों में है जो सामान्य और नियमित आकार में है।
- कंपनी को सुप्रचालन का लाभ प्राप्त है क्योंकि उसकी सभी खदान राज्य/राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी तरह जुड़ी हुई है। उसकी अधिकांश खदानें दक्षिण–पूर्व–मध्य रेलवे के नेटवर्क में स्थित है तथा उसे रेलवे साइडिंग की सुविधा प्राप्त है।
- मॉयल लगातार एक सक्षम और पर्यावरण अनुकूल खनन कंपनी बनी हुई है।

आशंका

- मैंगनीज अयस्क का आयात आज भी कंपनी के लाभ मार्जिन के लिए एक जोखिम और चुनौती बना हुआ है।
- मैंगनीज अयस्क के अंतर्राश्ट्रीय मूल्य में कमी के फलस्वरूप इसकी घरेलु कीमतों में गिरावट आ सकती है जो भारत में मैंगनीज अयस्क की घरेलु कीमत पर दबाव डाल सकता है।
- मॉयल का मुख्य उत्पादन भूमिगत खदानों से आता है, जहां ओपन कास्ट खदानों की तुलना में उत्पादन लागत ज्यादा होती है और लगातार बढ़ रही है। भूमिगत खदानों की माइनिंग लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि लाभ मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
- विनियामक मंजूरी मिलने में किसी भी प्रकार का विलंब भी कंपनी के दीर्घकालिक विकास पर प्रभाव डाल सकता है।
- खदानों, विशेषकर भूमिगत खदानों के विकास के लिए हाथों में ली गई परियोजनाओं को निर्धारित समय एवं लागत पर पूरा करने की चुनौती सदैव बनी रहती है तथा इसमें किसी भी तरह की कमी से कार्यनिष्पादन लक्ष्य प्रभावित हो सकता है।
- इस्पात उद्योग की चक्रीय प्रकृति होने के कारण यह हाल के इतिहास में सबसे खराब समय से गुजरा है। चूंकि मैंगनीज अयस्क की मांग इस्पात क्षेत्र के विकास से आगे जाती है, इस क्षेत्र पर उसका निर्भर रहना कंपनी के कार्यनिष्पादन को प्रभावित कर सकता है।
- अंतर्राश्ट्रीय स्तर पर मैंगनीज अयस्क की उच्च उपलब्धता वस्तुसूची इसके कारोबार को प्रभावित कर सकती है।

कमजोरी

- खनन कंपनी होने के कारण मॉयल अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा पर्यावरण के व्यापक विनियमों के अधीन है। नियामक मानकों के निरंतर विकास तथा समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी को अनुपालन लागत में वृद्धि तथा अप्रत्याशित पर्यावरण सुधार व्यय करना पड़ता है।
- नये खदान पट्टों के प्राप्त होने में विलंब के कारण नई खदानों को षुरू करने में देरी होकर कंपनी की निवेश योजना प्रभावित होती है।
- कंपनी मुख्यतः एकल उत्पाद कंपनी है, जिसके कारण मैंगनीज अयस्क उद्योग में किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव का धक्का कंपनी की लाभप्रदता पर पड़ सकता हैं।
- मॉयल की खदानें काफी पुरानी है तथा उसे पूरी तरह से यंत्रीकृत करना बहुत मुश्किल है।
- अयस्क भंडार काफी गहराई में जाने के कारण उत्पादन लागत में भी वृद्धि होती है।

(सी) संभावना

मैंगनीज एवं फेरो अलॉय उत्पादों की मांग सीधे तौर पर इस्पात उद्योग की संभावनाओं एवं समग्र अर्थव्यवस्था के विकास पर निर्भर होती है। विश्व का 95 प्रतिशत से अधिक मैंगनीज अयस्क का उत्पादन वि–गंधकीकरण एवं इस्पात को मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके पहले इस्पात उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण मैंगनीज अयस्क एवं फेरो अलॉय की मांग में भारी वृद्धि हुई है। हालांकि, पिछले दो–तीन वर्षों के दौरान इस परिदृष्य में बदलाव आया है।

वर्ल्ड स्टील असोसिएषन (डब्लूएसए) के अनुसार तेल की कीमतों में कमी, सुधार की गति तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर और मैनुफैक्चरिंग उत्पादन बढ़ाने की नीतियों के कारण भारत का भविष्य उज्ज्वल है। भारत में तैयार इस्पात की मांग 2016 और 2017 दोनों वर्षों में 5.4 प्रतिशत से बढ़ जाएगी जो 2017 में 88.3 एमटी तक पहुॅच जाएगी। हालांकि, 2015 में 0.3 प्रतिषत संकुचन के बाद विश्व स्तर पर तैयार इस्पात की मांग 2016 में 0.8 प्रतिषत से कम होकर 1,488 एमटी तक पहुॅच सकती है। 2017 में, ऐसा अनुमान है कि विश्व में इस्पात की मांग 0.4 प्रतिषत की वृद्धि पर वापस आएगी और 1,494 एमटी तक पहुॅच जाएगी।

देष में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के साथ इस्पात की माँग में वृद्धि अपेक्षित है, जो बदले में देश में मैंगनीज अयस्क उद्योग के लिए बड़े अवसर भी उपलब्ध करेगी। मैंगनीज का इस्तेमाल इस्पात अलॉय में मजबूती, कठोरता, टिकाऊपन और संक्षारण प्रतिरोधता जैसे कई अनुकूल विशेषताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः मैंगनीज अयस्क उद्योग का विकास इस्पात उद्योग के विकास के साथ भली–भाँति संतुलित होता है।

भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अपनी अग्रणी स्थिति को कायम रखने के लिए मॉयल ने अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगभग 1.1 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से 2020 तक 2.0 मिलियन टन तक और 2030 तक 2.5 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए योजना बनाई है, जिसके लिए रणनीतिक प्रबंधन योजना कंपनी द्वारा पहले ही तैयार कर ली गई है। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी अपनी मौजूदा खदानों के विकास और यांत्रिकीकरण पर घ्यान दे रही है और नये पट्टों को भी जोड़ रही है ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

देश में प्रति व्यक्ति इस्पात का उपयोग अब भी लगभग 60 किलो है, जो विश्व के औसत प्रति व्यक्ति इस्पात उपयोग लगभग 214 किलो की तुलना में बहुत कम है। वास्तव में, अधिकांश विकसित देशों में यह 300 किलो से अधिक है। यह देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, परिणामस्वरूप मैंगनीज अयस्क की माँग को बढ़ाता है।

मैंगनीज आधारित अलॉय के निर्यात से जुड़ी इस्पात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैंगनीज अयस्क की घरेलु आवश्यकताओं में काफी वृद्धि हुई है। जिसने भारत को मैंगनीज अयस्क का शुद्ध आयातक बना दिया है। वर्ष 2015–16 के दौरान देश में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन लगभग 1.97 (अनुमानित) मिलियन टन रहा है। भारत में उच्च श्रेणी मैंगनीज अयस्क की उपलब्धता में कमी के कारण निर्माता मैंगनीज अयस्क का नियमित रूप से आयात कर रहे है। वर्श 2014–15 में 3.17 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान आयात लगभग 2.22 मिलियन टन रहा है। यह मॉयल को अपना उत्पादन बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

(डी) जोखिम और चिंता

मैंगनीज अयस्क उद्योग सीधे तौर पर इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है जिसकी चक्रीय प्रकृति है तथा मैंगनीज अयस्क की मांग पर असर डालती है। इस्पात बाजार की मांग में कमी और कम लागत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अधिक मात्रा में आपूर्ति से भारतीय इस्पात उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। मॉयल एक श्रमिक बहुल संगठन है। यद्यपि, कंपनी में औद्योगिक संबंध उत्कृष्ट है लेकिन श्रमिकों से जुड़े जोखिम हमेशा उत्पादन के निश्पादन में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते है।

भूमि और खदान के अधिग्रहण के लिए नियामक मंजूरी के अतिरिक्त, मांग परिदृश्य अगले कुछ वर्षों के लिए अनिश्चित सा लग रहा है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी सुधार की स्थिति में है। भारत में, मुद्रास्फीति, हालांकि कम हो गई है लेकिन अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है और विकास के लिए नकारात्मक पहलू है। आपूर्ति पक्ष के उपायों में सुधार और उत्पादकता में सुधार पर ध्यान देने की जरूरत है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मैंगनीज अयस्क की अधिक आपूर्ति हमेषा चिंता का मुख्य विषय बना रहेगा तथा यदि अधिक आपूर्ति जारी रहती है तो यह आगे भी घरेलू मैंगनीज की कीमतों को कमजोर करना जारी रख सकता है।

ई) खण्ड के अनुसार अथवा उत्पाद के अनुसार निष्पादन

बिक्री निष्पादन

बाजार की खराब हालत के परिणामस्वरूप मैंगनीज अयस्क की सभी श्रेणियों और साथ ही फैरो मैंगनीज की कीमतों में अभूतपूर्व कमी हुई है। वर्ष 2015–16 के दौरान मैंगनीज अयस्क की शुद्ध बिक्री पिछले वर्ष के रू. 749.55 करोड़ की तुलना में 23.72 प्रतिशत से कम होकर रू. 571.79 करोड़ हो गई है। बाजार की प्रतिकूल अवस्था के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनी ने अपनी विवेकपूर्ण

विपणन और मूल्य निर्धारण नीति के साथ अपनी बिक्री को बढ़ाया है और लगभग 6.26 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करते हुए पिछले वर्ष 9.10 लाख टन की तुलना में वर्ष 2015–16 में 9.67 लाख टन के मैंगनीज अयस्क की बिक्री की है। आगे, कंपनी ने अच्छी बिक्री के लिए उच्च श्रेणी (फेरो ग्रेड) के मैंगनीज अयस्क की बिक्री पर ध्यान दिया है। कंपनी ने फेरो ग्रेड मैंगनीज अयस्क की बिक्री में 23.74 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है और पिछले वर्ष के दौरान 472859 लाख टन की तुलना में वर्श 2015–16 के दौरान 585141 लाख टन की बिक्री की है। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री की मात्रा 6.28 प्रतिषत से बढ़ी है, कंपनी ने बाजार में दबाव की अवस्था के कारण अपने बिक्री टर्नओवर में 24.49 प्रतिशत से गिरावट भी दर्ज की है।

बाजार की संपूर्ण अवस्था ने ईएमडी और फेरो मैंगनीज की बिक्री को भी प्रभावित किया है। कंपनी के निर्मित उत्पादों के बारे में अर्थात् ईएमडी, फेरो मैंगनीज और फेरो मैंगनीज स्लैग की शुद्ध बिक्री पिछले वर्ष के दौरान रू.65.64 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान रू. 47.83 करोड़ थी। पिछले वर्ष में 655 टन की तुलना में इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) की बिक्री 714 टन रही, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 8587 टन बिक्री की तुलना में फेरो मैंगनीज की बिक्री 7922 टन रही।

उत्पादन

पिछले वर्ष के दौरान 11.39 लाख टन की तुलना में वर्तमान वर्श में कंपनी ने विभिन्न श्रेणियों के मैंगनीज अयस्क का 10.32 लाख टन उत्पादन किया है। इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय ऑक्साइड (ईएमडी) का उत्पादन 612 टन (गत वर्ष 950 टन) हुआ जबकि पिछले वर्ष के 10045 टन फेरो मैंगनीज के उत्पादन की तुलना में इस वर्श 6519 टन फेरो मैंगनीज का उत्पादन दर्ज किया है। गत वर्ष के 13358 टन उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 9203 टन फेरो मैंगनीज स्लैग का उत्पादन किया है। विण्ड टबाईन जनरेटर द्वारा पिछले वर्ष के 328.08 लाख (केडब्लूएच) यूनिट की तुलना में इस वर्ष 365.45 लाख (केडब्लूएच) यूनिट का निर्माण किया गया।

एफ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उसकी यथेष्ठता

मॉयल ने सभी आवष्यक आंतरिक नियंत्रणों को रखा है और वह पर्याप्त है।

जी) प्रचालनिक कार्य–निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर परिचर्चा

देश में मैंगनीज अयस्क बाजार का प्रदर्शन पिछले वर्श की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान खराब रहा है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के वर्ष 2014–15 के उच्चस्तर और निम्नस्तर प्रदर्शन में गिरावट हुई है। वर्ष के दौरान वित्तीय और भौतिकीय प्रदर्शन का विवरण निम्न प्रकार है:

वित्तीय निष्पादन

रूपये करोड़ में

विवरण	2015–16	2014–15
शुद्ध बिक्री	628.74	823.25
अन्य आय	252.15	316.61
कुल आय	880.89	1139.86
कुल व्यय (असाधारण मदों सहित)	558.17	444.21
सकल मुनाफा	322.72	695.65
मूल्यह्रास	52.47	45.08
वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ	270.26	650.57
आयकर प्रावधान	97.27	222.56
वर्ष के लिए कर पष्चात लाभ	172.98	428.01
लाभ–हानि लेखा में प्रारंभिक लाभ	9.73	5.20
लाभांश और लाभांष कर	101.31	171.35
सामान्य निधि और सीएसआर निधि को स्थानांतरण	75.00	250.18
शेष लाभ अग्रेनीत	6.58	9.73

कंपनी के कुल राजस्व में 22.72 प्रतिषत की कमी आयी है जो कि पिछले वर्ष के रू. 1139.86 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान रू. 880.89 करोड़ रहा। बाजार में दबाव की अवस्था के कारण, कंपनी ने पिछले वर्ष रू. 823.25 करोड़ कारोबार की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान रू. 628.74 करोड़ का कारोबार करके 23.63 प्रतिशत निम्न कारोबार दर्ज किया है। पिछले वर्ष की

तुलना में वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ (पीबीटी) रू. 270.26 करोड़ रहा, जो कि 58.46 प्रतिशत कम हो गया है, जबकि पिछले वर्ष का 428.01 करोड़ रूपये कर पश्चात लाभ (पीएटी) 59.59 प्रतिशत से घटकर रू. 172.98 करोड़ हो गया है। वर्ष के दौरान कंपनी की ईबीआयडीटीए मार्जिन 84.50 प्रतिशत से घटकर 51.33 प्रतिशत हो गई। कंपनी की ब्याज आय पिछले वर्ष रू. 279.77 करोड़ से वर्ष 2015–16 में 12.76 प्रतिशत से घटकर रू. 244.06 करोड़ हो गई।

प्रचालनिक निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2015–16 माइनिंग और धातु उद्योग के लिए और विशेषकर मैगनीज अयस्क उद्योग के लिए बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। समग्र बाजार अवस्था, माँग और आपूर्ति पर विचार करते हुए वर्ष के दौरान कंपनी का निष्पादन काफी संतोषजनक रहा है।

उत्पादन समीक्षा

कंपनी ने पिछले वर्ष में 11.39 लाख टन की तुलना में विभिन्न श्रेणियों के मैंगनीज अयस्क का 10.32 लाख टन उत्पादन किया है। इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) का उत्पादन 612 टन (पिछले वर्ष 950 टन) था, जबकि, पिछले वर्ष 10045 टन की तुलना में 6519 टन फैरो मैंगनीज का उत्पादन किया। फेरो मैंगनीज के उत्पादन में कमी आयी है जो मुख्यतः पिछले दो–तीन माह से किए जा रहे बड़े रखरखाव कार्यों के कारण उत्पादन प्रभावित होने की वजह से हुई है, जबकि ईएमडी के उत्पादन में गिरावट बाजार की खराब अवस्था के कारण हुई है। कंपनी ने पिछले वर्ष के 162076 टन फाइन्स के उत्पादन की तुलना में वर्ष के दौरान 126544 टन फाइन्स का उत्पादन किया है। निम्न श्रेणियों में कम बिक्री प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए बिक्री प्राप्तियों में सुधार लाने के लिए निम्न श्रेणियों का उत्पादन कम कर दिया गया है। कंपनी की उत्पादकता प्रति मानवपाली आउटपुट 0.718 टन (पिछले वर्ष 0.818 टन) है।

एच) नियोजित श्रम बल की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध की दिशा में भौतिकीय विकास

मॉयल के कर्मचारी कंपनी के प्रति बहुत ही समर्पित और निश्ठावान है। कर्मचारी हर समय कंपनी के साथ रहे है। प्रबंधन अपने कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुख–सुविधाएं देना सुनिश्चित करता है, जिसमें जरूरत के मुताबिक सभी स्तरों पर आवश्यक प्रशिक्षण भी शामिल है।

यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वर्श के दौरान औद्योगिक सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहे है। समस्या, यदि कोई हो, तो उचित मंच पर चर्चा करके सुलझा दी गई। इस सम्बन्ध में कामगार यूनियनों के कर्मचारी प्रतिनिधियों का सहयोग और सहकार्य प्रशंसनीय है।

विकास पथ पर चलते हुए, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर और भंडारा जिले में मैंगनीज अयस्क के प्रॉस्पेक्टिंग के लिए मॉयल के पक्ष में सरकार द्वारा 814.71 हेक्टर भूमि क्षेत्र आरक्षित किया है। 814.71 हेक्टर क्षेत्र में से, महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने 597.44 हेक्टर 11 पीएल क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए मैंगनीज अयस्क के प्रॉस्पेक्टिंग के लिए प्रदान किया है, और शेष क्षेत्रों के लिए प्रक्रिया जारी है। इन क्षेत्रों में कम से कम तीन नई खदानों को शुरू करने की संभावना है।

मंडल की रिपोर्ट में दिए विवरण के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने मॉयल के पक्ष में नागपुर जिले के रामटेक तहसील, परसोडा गांव में 53.75 हेक्टर भूमि पर खनन पट्टे प्रदान किए है, जिसे निष्पादित और पंजीकृत कर लिया गया है। आगे, मध्य प्रदेश सरकार ने कंपनी के पक्ष में बालाघाट जिले (मध्य प्रदेष) के परसवाडा तहसील में लुगमा गांव में 48.974 हेक्टर भूमि पर खनन पट्टे प्रदान किए है, जिसे कंपनी द्वारा निष्पादित और पंजीकृत कर लिया गया है। कंपनी आगे भी नये लीज क्षेत्रों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

भारत सरकार, खान मंत्रालय ने देश भर में विभिन्न खनिजों के अन्वेषण को संचालित करने के लिए मॉयल को अधिसूचित किया है। यह मॉयल को अपने कारोबार का विस्तार करने का अवसर उपलब्ध करता है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मॉयल ने अन्वेषण हेतु एमओयू के लिए पहले ही मध्य प्रदेश सरकार से संपर्क किया है।

इन सभी विकास को देखते हुए कंपनी को आगामी दिनों में विशिष्ट कौशल और ज्ञान के साथ लोगों की आवश्यकता होगी। निर्धारित ज्ञान और कौशल के लोगों को प्राप्त करने के लिए मॉयल को अपने मौजूदा मानवबल को प्रशिक्षित/पुर्नप्रशिक्षित करना होगा और भविश्य में नई नियुक्तियां करनी होगी।

31 मार्च 2016 को कुल कर्मचारी 6305 नियुक्त थे।

आय) पर्यावरण सुरक्षा एवं संवर्धन, प्रौद्योगिकी संवर्धन, अक्षय उर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

इस संबंध में सुसंगत जानकारी मण्डल रिपोर्ट में प्रकट की गई है।

जे) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

मॉयल सक्रिय रूप से विभिन्न सीएसआर गतिविधियों में शामिल है। विस्तृत जानकारी मंडल रिपार्ट में प्रकट की गई है।

अमित के. राजकोटिया
एम.कॉम., एल.एल.बी., डीएफएम, एफसीएस
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी

102, श्री लक्ष्मी अपार्टमेंट, श्रीधर आर्ट्स के उपर, झण्डा चौक, धरमपेठ,
नागपुर 440 010 ई–मेल : amitraj123@rediffmail.com
मोबाईल : 9823122521, (ऑ.) 2545670 (नि.) 2731292

निगमित अधिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य
मॉयल लिमिटेड,
नागपुर

भारत सरकार, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित अधिशासन पर दिशानिर्देश और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के साथ उपर्युक्त कंपनी द्वारा किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 और सिक्यूरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवष्यकताएं) विनियम, 2015 में निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड द्वारा निगमित अधिषासन की शर्तों के अनुपालन की मैंने जांच की है।

निगमित अधिशासन की शर्तों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जांच का दायरा, डीपीई के दिशानिर्देशों और उपर्युक्त खण्ड में निर्धारित निगमित अधिशासन की शर्तों तथा सिक्यूरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन की सुनिश्चितता के लिए कंपनी द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित था। यह अंकेक्षण नहीं है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणी पर प्रकट की गई कोई राय है।

मेरी राय में तथा मेरी अधिकतम जानकारी और निदेशकों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी द्वारा उपर्युक्त उल्लेखित डीपीई दिशानिर्देशों और लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 में निर्धारित निगमित अधिशासन की शर्तों तथा सिक्यूरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का अनुपालन किया गया है, दिनांक 27 नवम्बर, 2015 तक बोर्ड की संरचना से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर। हालांकि दिनांक 31 मार्च, 2016 तक कंपनी ने इस आवश्यकता का अनुपालन कर लिया है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में कोई आश्वासन नहीं है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता का कोई आश्वासन है जिससे प्रबंधन द्वारा कंपनी का व्यवहार संचालित किया जाता है।

नागपुर
दिनांक : 16.05.2016

हस्ता./–

सीएस अमित के. राजकोटिया
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
एफसीएस–5561सीपी नं. 5162

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अधीन मॉयल लिमिटेड, नागपुर के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड, नागपुर के वित्तीय विवरणों को बनाने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक अंकेक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणी पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित, अंकेक्षण मानकों के अनुकूल स्वतंत्र लेखा–परीक्षण पर आधारित है। यह कहा जाता है कि दिनांक 24 मई, 2016 की उनकी अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह उनके द्वारा किया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के अनुसार मॉयल लिमिटेड, नागपुर के 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष की वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक अंकेक्षण किया है। यह अनुपूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्य संबंधी दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से किया गया तथा यह सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की प्राथमिक जाँच तथा कुछ चुनिंदा लेखा अभिलेखों की जाँच तक सीमित था।

मेरे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया जो सांविधिक अंकेक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या अनुपूरक जोड़ने का कारण बन सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–।।।
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 जुलाई, 2016

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के अधीन मॉयल लिमिटेड, नागपुर के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड, नागपुर के समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक अंकेक्षक, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित, अंकेक्षण मानकों के अनुकूल स्वतंत्र लेखा–परीक्षण पर आधारित है। यह कहा जाता है कि दिनांक 27 जून, 2016 की उनकी अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ए) के अनुसार मॉयल लिमिटेड, नागपुर के 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण किया है। हमने मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण किया है लेकिन समतिथि को समाप्त वर्श के लिए सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि. और रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि. के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण नहीं किया है। यह अनुपूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्य संबंधी दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की प्राथमिक जाँच तथा कुछ चुनिंदा लेखा अभिलेखों की जाँच तक सीमित था।

मेरे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया जो सांविधिक अंकेक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या अनुपूरक जोड़ने का कारण बन सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 जुलाई, 2016

प्रपत्र सं. एमआर–3
सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी {प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक} नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्य
मॉयल लिमिटेड
(एल99999एमएच196जेडजीओआय012398)
मॉयल भवन, 1ए–काटोल रोड,
नागपुर 440 013

मॉयल लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा उत्तम निगमित परम्पराओं के अनुपालन और लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवीय लेखा–परीक्षा की गई है। सचिवीय लेखापरीक्षा एक ऐसी पद्धति से की गई जो निगमित आचरण / संवैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए उचित आधार उपलब्ध कराती है और इस पर हमारी राय दर्शाती है ।

कंपनी ने कंपनी द्वारा रखे गए बही–खातों, कागजातों, मिनट बुक, भरे गए प्रपत्रों और विवरणियों और अन्य अभिलेखों के सत्यापन तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारी, अभिकर्ता और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते है कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास पर्याप्त और उचित मण्डल प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र मौजूद है, जो इसके आगे की गई रिपोर्टिंग के अधीन है :

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड द्वारा रखे गए बही–खातों, कागजातों, मिनट बुक, भरे गए प्रपत्रों और विवरणियों और अन्य अभिलेखों का निम्न प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियमन) और इसके अंतर्गत निर्मित नियमावली (जहॉ तक उसे लागू किया गया है)
2. प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके अंतर्गत निर्मित नियमावली (जहॉ तक उसे लागू किया गया है)
3. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत निर्धारित विनियम और बाय–लॉ,
4. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियमावली और विनियमावली, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीस प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक
5. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश निम्नप्रकार है :
   - ए. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों और टेकओवर के पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
   - बी. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसायडर ट्रेडिंग प्रतिबंध) विनियम, 1992 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसायडर ट्रेडिंग प्रतिबंध) विनियम, 2015, जहॉ तक उसे समय–समय पर लागू किया गया है;
   - सी. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी के मामले और प्रकटीकरण आवष्यकताएं) विनियम, 2009, जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं है;
   - डी. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी शेयर विकल्प योजना और कर्मचारी षेयर खरीदी योजना) दिशानिर्देश, 1999, जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं है;
   - ई. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति ऋण इश्यु और लिस्टिंग करना) विनियम, 2008, जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं है;
   - एफ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर ट्रान्सफर एजेंट के लिए पंजीयक) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम और क्लाइंट से व्यवहार के मामले में;
   - जी. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी षेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम, 2009, जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं है, तथा
   - एच. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सिक्यूरिटिज का बायबैक) विनियम, 1998, जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं है।

6. हमने आगे प्रस्तावित ऑनलाइन अनुपालन रिपोर्टिंग प्रणाली का परीक्षण किया, निम्नलिखित कानूनों के लागू प्रावधानों के अनुपालन के मामले में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड द्वारा वर्तमान में भौतिक रिपोर्टिंग और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग व्यवहार के अंतर्गत हमारे समाधान तक रखे गए है :

(i) खदान अधिनियम, 1952

(ii) खदान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957

(iii) लौह अयस्क खदान, मैंगनीज अयस्क खदान और क्रोम अयस्क खदान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976

हमने निम्न लागू उपबंधों के अनुपालन का परीक्षण भी किया :

(i) इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक, जो 1 जुलाई, 2015 से लागू किए गए है ।

(ii) नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बीएसई लिमिटेड के साथ कंपनी द्वारा किए गए लिस्टिंग अनुबंध तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (जहॉ तक उसे समय–समय पर लागू किया गया है)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त विषय के उल्लेखित अधिनियम, नियमावली, विनियमावली, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि प्रावधानों का अनुपालन निम्नलिखित आंकलन तक किया है :

1- सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्धारित आवश्यकताओं के साथ पठित लिस्टिंग अनुबंध के खण्ड 49 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (जहॉ तक उसे समय–समय पर लागू किया गया है) 27 नवम्बर, 2015 तक मण्डल की संरचना से संबंधित प्रावधानों के अलावा कंपनी के निदेशक मण्डल की विधिवत संरचना के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित षर्तों का कंपनी ने अनुपालन किया है। हालांकि, कंपनी 31 मार्च, 2016 तक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुपालन में है ।

हम आगे सूचित करते है कि इसमें उल्लेखित आंकलन के अधीन कंपनी का निदेशक मण्डल कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है। निदेशक मण्डल की संरचना में परिवर्तन जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्थान लेती है उसे अधिनियम के प्रावधानों के साथ अनुपालन किया गया है।

मण्डल की बैठक निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है तथा कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी को कम से कम सात दिनों पूर्व प्रेषित किया गया है और बैठक से पूर्व कार्यसूची के मदों पर आगे जानकारी और स्पष्टीकरण चाहने और प्राप्त करने के लिए और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक सिस्टम मौजूद है ।

मण्डल की बैठकों या मण्डल की समिति की बैठकों, जैसा भी मामला हो, रिकॉर्ड किए अनुसार मण्डल की बैठक और समिति की बैठक के सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिया जाता है ।

हम आगे रिपोर्ट करते है कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने और पर्यवेक्षण करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया उपलब्ध है ।

कृते मेहता एण्ड कंपनी

प्रोपराइटर के हस्ताक्षर

अशोक मेहता

एफसीएस नं. : 2566/सीपी नं. : 2028

स्थान : इन्दौर

तारीख : 18.05.2016

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य,
मॉयल लिमिटेड,
नागपुर

स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मॉयल लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणियों का अंकेक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2016 का तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्श के लिए लाभ–हानि का विवरण एवं नकद–प्रवाह विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांष षामिल है।

स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मण्डल जिम्मेदार है, जो कंपनी (लेखा) अधिनियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिश्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निश्पादन और नकद–प्रवाह की सही और निश्पक्ष स्थिति प्रकट करता हो। इस जिम्मेदारी में यह भी शामिल है कि समूह की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोकाधड़ी और अन्य नियमितताओं की रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन और क्रियान्वयन करना; ऐसे निर्णय और आकलन करना जो उचित और दूरदर्शी हो; और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित पर्याप्त अंतर्गत वित्तीय नियंत्रणों की रचना, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सत्यता और सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित होता हो, जो एक सही और निश्पक्ष जानकारी देता हो और भौतिकीय गड़बड़ी से मुक्त हो, फिर चाहे वह धोके से हो या त्रुटि से हो।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा–परीक्षा पर आधारित इन स्वतंत्र (स्टैंडअलोन)वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा–परीक्षा मानकों तथा मामलों को ध्यान में रखा है जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में षामिल किया गया है ।

अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार हमने अंकेक्षण किया है। उन मानकों से अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनायें और लेखा–परीक्षा यह आश्वस्त होने के लिए करें कि वित्तीय विवरण भौतिकीय गड़बड़ी से मुक्त है ।

लेखा–परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों के बारे में लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिकीय गड़बड़ी के जोखिम का निर्धारण शामिल है, फिर चाहे वह धोके से हो या त्रुटि से हो। उन जोखिम का आकलन करने में परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा–परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करने के क्रम में अंकेक्षक वित्तीय विवरणों पर कंपनी की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है। लेखा–परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता के साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए है वह स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा–परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवष्यक जानकारी निर्धारित तरीके से प्रदान करता है तथा भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2016 को कंपनी की व्यवहार स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ और नकद प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रकट करता है।

अन्य संवैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत आवष्यकता के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार सूचित लेखा परीक्षा की पद्धति का अनुपालन करने के बाद, इस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के लेखा और वित्तीय विवरण पर इसके प्रभाव पर एक विववरण हमने अनुलग्नक "ए" में संलग्न किया है ।

2. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षक की रिपोर्ट) आदेष, 2016 ("आदेश") की आवष्यकता के अनुसरण में आदेष के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहॉ तक लागू हो, एक विवरण हमने अनुलग्नक "बी" में संलग्न किया है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की आवष्यकता के अनुरूप हमारी टिप्पणियाँ –

   ए) हमने वह सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विष्वास के अनुसार हमारे लेखा–परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

   बी) हमारी राय में हमारे द्वारा इन किताबों की जाँच करने पर यह प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि की आवश्यकता के अनुसार लेखा पुस्तकें रखी गई है।

   सी) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र, लाभ–हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण लेखा–पुस्तकों के साथ मेल खाते है।

   डी) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते है।

   ई) निदेशकों से दिनांक 31 मार्च, 2016 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिए अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से दिनांक 31 मार्च, 2016 तक निदेशकों में से कोई भी अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

   एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभाव के संबंध में हमारी स्वतंत्र रिपोर्ट "अनुलग्नक सी", का संदर्भ लें, तथा

   जी) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और अंकेक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में :–

      1. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित अभियोग के प्रभाव को प्रकट किया है, वित्तीय विवरणों के नोट 1.2 का संदर्भ लें ।

      2. व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए भौतिक प्रत्याषित हानियों के लिए प्रावधान की आवश्यकता हो ।

      3. ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेषक षिक्षा और सुरक्षा निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो ।

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. : 111107डब्लू

सी. ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्रः 108665

रिपोर्ट की तारीख : 24 मई, 2016
हस्ताक्षर का **स्थान : नई दिल्ली**

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

मॉयल लिमिटेड

(वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देशों के विवरण पर हमारी रिपोर्ट की विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैरा 1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	निर्देश	प्रतिउत्तर
1	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए क्रमषः क्लीअर टायटल / लीज डीड है? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड क्षेत्र बतायें, जहाँ टायटल / लीज डीड उपलब्ध नहीं है।	हाँ, फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए कंपनी के पास क्लीअर टायटल / लीज डीड है।
2	क्या ऋण / कर्ज / ब्याज इत्यादि को माफ करने / बट्टे खाते में डालने के कोई मामले है ? यदि हॉ, तो इसके कारण और समाविष्ट राशि बतायें ।	जैसा कि हमें सूचित किया गया है और हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान भी हमें ऋण / कर्ज / ब्याज इत्यादि को माफ करने / बट्टे खाते में डालने का कोई मामला देखने में नहीं आया है । हालांकि, ग्राहकों को व्यापार शर्तों के अनुसार क्रेडिट नोट जारी किए गए है ।
3	1) तृतीय पक्षों के पास पड़ी सामग्रियों तथा सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपहार / अनुदानों के रूप में प्राप्त संपत्तियों के लिए क्या उचित रिकॉर्ड रखा गया है ।	ए) हॉ बी) सरकार / अन्य प्राधिकारियों से उपहार / अनुदानों के रूप में कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ।

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. : 111107डब्लू

सी. ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्रः 108665

रिपोर्ट की तारीख : 24 मई, 2016
हस्ताक्षर का **स्थान : नई दिल्ली**

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "बी"

मॉयल लिमिटेड

(वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 11 के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी आदेश कंपनी (अंकेक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 पर हमारी रिपोर्ट की विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैरा 2 के संदर्भ में) हमारे द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और लेखा–परीक्षा के सामान्य तरीके में हमारे द्वारा बही–खातों और अभिलेखों की जाँच के अनुसार और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते है कि :

1. ए) कंपनी ने अपने अभिलेखों को व्यवस्थित रखा जिसमें स्थायी संपत्तियों की स्थिति एवं उसके मात्रात्मक विवरण सहित पूरा ब्योरा दर्शाया गया है।
   बी) जैसा कि हमें बताया गया है, वर्श के अंत में प्रबंधन ने स्थायी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया तथा ऐसे सत्यापन में कोई भौतिकीय गड़बड़ी नहीं पायी गई। हमारी राय में कंपनी के आकार तथा संपत्तियों के प्रकार को देखते हुए वर्ष के अंत में स्थायी संपत्तियों का सत्यापन उचित रहा।
   सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर अचल संपत्तियों की टायटल डीड कंपनी के नाम में धारित है।
2. कंपनी के पास अपनी वस्तुसूची के भौतिकीय सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है। वर्ष के दौरान वस्तुसूची का सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिकीय विसंगतियॉ ध्यान में नहीं आयी।
3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऐसी किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी अथवा अन्य किसी पार्टी से ऋण, सुरक्षित व असुरक्षित रूप में न तो लिया है या दिया है, जिसका ब्योरा रखना कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियमन) की धारा 189 के अंतर्गत आता है।
4. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋणों और निवेशों के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है ।
5. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों और अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत किसी जमा को स्वीकार नहीं किया है ।
6. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रख–रखाव को निर्धारित किया है और प्रथम दृष्टया निर्धारित लागत अभिलेख रखे गये हैं। हालांकि लागत अभिलेख सही या संपूर्ण है अथवा नहीं इसे निर्धारित करने के नजरिए से हमने इसका विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।
7. (ए) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा–पुस्तकों की जांच के आधार पर कंपनी आम तौर पर वर्ष के दौरान अविवादित वैधानिक देय जैसे व्यवसाय कर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य वैधानिक देय को उचित प्राधिकारियों को चुकाने के मामले में नियमित रही है।
   (बी) व्यवसाय कर, आय कर, प्रवेश कर और बिक्री कर की बकाया राशि जिसे कंपनी द्वारा निर्धारण देय से संबंधित विभिन्न विवादों के कारण जमा नहीं किया गया, वह निम्नानुसार है :

अधिनियम का नाम	मांग की गई राशि (रू. लाख में)	विरोध के अंतर्गत भुगतान राशि (रू. लाख में)	राशि जिस अवधि से संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है
व्यवसाय कर 1975	2.27 7.70	1.13 1.93	2006–07 2007–08	बिक्री कर अपील (महा.)
आयकर अधिनियम, 1961	253.00 127.26 451.79 60.01 45.01	253.00 127.26 451.79 60.01 45.01	2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11	आयकर अपीलीय अधिकरण
	205.10 116.99 310.23 45.61	205.10 116.99 310.23 0.00*	2009–10 2011–12 2012–13 2013–14	आयकर आयुक्त (अपील)

म. प्र. प्रवेश कर अधिनियम, 1975	13.68 6.28	6.7 6.28	2008–09 2012–13	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलीय मंडल, भोपाल
	2.86	0.72	2013–14	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलीय मंडल, जबलपुर
म.रा. वैट अधिनियम, 2002	13.68 4.22	0.00 0.00	2009–10 2010–11	बिक्री कर अपीलीय (म.रा.)
म. प्र. वैट अधिनियम, 2002	2.28 3.68 9.15	0.65 1.47 6.66	2010–11 2011–12 2012–13	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल, भोपाल
म.रा. सीएसटी अधिनियम, 1956	11.32	0.00	2010–11	बिक्री कर अपीलीय (म.रा.)
म.प्र. सीएसटी अधिनियम, 1956	6.10	1.53	2013–14	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलीय मंडल, जबलपुर

* 28.04.2013 को भुगतान की गई राषि

8. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकारी या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है । तद्नुसार, आदेश के पैरा 3 (viii) लागू नहीं होते है।

9. वर्श के दौरान कंपनी ने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या अगले पब्लिक ऑफर (ऋण साधनों सहित) और आवधिक ऋणों के माध्यम से कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया है । तद्नुसार, आदेश के पैरा 3 (ix) लागू नहीं होते है।

10. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई भौतिकीय धोकाधड़ी का मामला हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान देखा या ध्यान में नहीं आया है ।

11. हमें दी गई जानकारी एवं स्पश्टीकरण के अनुसार कंपनी को अधिनियम के षेड्यूल v के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान से छूठ प्राप्त है ।

12. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है । तद्नुसार, आदेश के पैरा 3 (xii) लागू नहीं होते है।

13. हमें दी गई जानकारी एवं स्पश्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जॉच के आधार पर कंपनी के संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार जहॉ लागू हो वहॉ अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है तथा प्रयोज्य लेखांकन मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए है ।

14. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जॉच के आधार पर कंपनी ने शेयरों या पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी नियोजन नहीं किया है ।

15. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जॉच के आधार पर कंपनी ने उनसे जुड़े किसी निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी संव्यवहार नहीं किया है । तद्नुसार, आदेश के पैरा 3 (xv) लागू नहीं होते है।

16. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आयए के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. : 111107डब्लू

सी. ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्रः 108665

रिपोर्ट की तारीख : 24 मई, 2016
हस्ताक्षर का **स्थान** : नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "सी"

मॉयल लिमिटेड

(वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3)(i) के अनुसार और हमारी रिपोर्ट की विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैरा 3(एफ) के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियमन) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने मॉयल लिमिटेड ("कंपनी") की 31 मार्च, 2016 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र (स्टैण्डअलोन) वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के साथ किया है।

वित्तीय आंतरिक नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शी नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों का विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोकाधड़ी पता लगाना और रोकथाम करना, लेखा अभिलेखों की सत्यता और संपूर्णता, तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथासमय तैयार करने सहित इसके कार्यकलापों का यथासमय और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना, कार्यान्वयन और प्रबंधन शामिल है, जो प्रभावी रूप से संचालित हो।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा–परीक्षा पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है। इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा–परीक्षा के मानकों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी नोट (मार्गदर्शी नोट) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुसार हमने हमारा अंकेक्षण किया है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू है, और दोनों इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए है। उन मानकों से अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनायें और लेखा–परीक्षा यह आष्वस्त होने के लिए करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया गया और प्रबंधन किया गया और ऐसे नियंत्रण सभी भौतिकीय मायनों में प्रभावी रूप से संचालित है ।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और इसके प्रभावी संचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निश्पादन करना षामिल है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर सहमति प्राप्त करना, भौतिकीय कमजोरी होने के जोखिम का निर्धारण करना, निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रचना और प्रभावी संचालन का परीक्षण और मूल्यांकन करना षामिल है । चयनित प्रक्रिया अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिकीय गड़बड़ी के जोखिम का निर्धारण शामिल है, फिर चाहे वह धोके से हो या त्रुटि से हो।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा–परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए बनायी गई एक प्रक्रिया है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियॉ और प्रक्रियाएं शामिल है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में, जो कंपनी की संपत्तियों के संव्यवहारों और प्रबंधनों का उपयुक्त विवरण सही और निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करते हो, (2) उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराने के संबंध में कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरण बनाने की अनुमति के लिए अपेक्षित संव्यवहारों को अभिलेखित किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसरण में ही किया जा रहा है, तथा (3) कंपनी की संपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या प्रबंधन का यथासमय पता लगाने या रोकथाम के संबंध में उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराने कि लिए, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिकीय प्रभाव डाल सकते है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा के कारण सॉठ–गॉठ या अनुचित प्रबंधन से नियंत्रणों का उल्लंघन, गलती या धोकाधड़ी से भौतिकीय गलतबयानी हो सकती है, और पता नहीं चली हो । इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्रदर्शन इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव का कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर भ्रष्ट हो सकता है ।

राय

हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को सभी भौतिकीय मायनों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है और इन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों का विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदण्डों के आधार पर प्रभावी रूप से संचालित हो रहा था ।

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. : 111107डब्लू

सी. ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्र: 108665

रिपोर्ट की तारीख : 24 मई, 2016
हस्ताक्षर का **स्थान : नई दिल्ली**

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
1. इक्विटी और देयताएँ					
(1) अंशधारकों की निधि					
(ए) शेयर पूंजी	2.1	16800.00		16800.00	
(बी) आरक्षित निधि तथा अधिशेष	2.2	328537.00		321370.17	
			345337.00		338170.17
(2) गैर–चालू देयताएँ					
(ए) दीर्घकालिक उधार राषियाँ		0.00		0.00	
(बी) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	1.2(12)	1047.32		1100.64	
(सी) दीर्घकालिक प्रावधान	3.1	861.81		786.05	
(डी) अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	3.2	96.91		240.48	
			2006.04		2127.17
(3) चालु देयताएँ					
(ए) अल्पकालिक उधार राशियाँ		0.00		0.00	
(बी) व्यापार देय	4.1	339.28		351.39	
(सी) अन्य चालु देयताएँ	5.1	17653.81		15393.85	
(डी) अल्पकालिक प्रावधान	5.2	7463.97		8752.72	
			25457.06		24497.96
	कुल		372800.10		364795.30
2. परिसंपत्ति					
(1) गैर–चालु परिसंपत्ति					
(ए) अचल संपत्ति					
(1) वास्तविक संपत्ति	6.1	30344.10		28527.69	
(2) अवास्तविक संपत्ति	6.1	745.32		863.38	
(3) पूंजी चालु–कार्य	6.1	6762.97		5255.04	
(4) विकासशील अवास्तविक संपत्ति	6.1	1276.73		35.15	
(बी) गैर–चालु निवेश	7.1	21.29		21.29	
(सी) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	1.2(12)	0.00		0.00	
(डी) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	8.1	4514.39		6144.96	
(ई) अन्य गैर–चालु संपत्ति	8.2	2152.88		2233.49	
			45817.68		43081.00
(2) चालु परिसंपत्ति					
(ए) चालु निवेश		0.00		0.00	
(बी) वस्तुसूची	9.1	16298.91		14422.45	
(सी) व्यापार प्राप्तियाँ	9.2	14204.64		10724.02	
(डी) नकद और नकदी समकक्ष	9.3	285009.92		282989.09	
(ई) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	10.1	1650.75		2174.33	
(एफ) अन्य चालु संपत्ति	10.2	9818.20		11404.41	
			326982.42		321714.30
	कुल		372800.10		364795.30

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियॉ जो लेखा 1.1 और 1.2 का भाग है। हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी	**नीरज पाण्डेय**	**नितीन पी. काजरेकर**
सनदी लेखाकार	**कंपनी सचिव**	**उप महाप्रबंधक (वित्त)**
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर : 111107डब्लू		
सी. ए. अमरजीत सिंह संधु	**मुकुंद पी. चौधरी**	**जी. पी. कुंदरगी**
भागीदार	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**
सदस्यता क्रः 108665		
दिनांक : 24 मई, 2016		
स्थान : नई दिल्ली		

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा विवरण

रूपये लाख में

	विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्ष 2015–16 के लिए		वर्ष 2014–15 के लिए	
1.	प्रचालन से राजस्व (उत्पाद शुल्क का शुद्ध)	11.1	62873.77		82325.15	
2.	अन्य आय	11.2	25215.59		31660.59	
	कुल राजस्व			88089.36		113985.74
3.	व्यय :					
	सामग्री उपभोग की लागत	12.1	1733.97		2407.10	
	तैयार माल, चालु–कार्य और व्यापारगत माल की वस्तुसूची में परिवर्तन	13.1	-3473.61		-9481.47	
	कर्मचारी लाभ खर्च	14.1	30123.07		26277.26	
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	6.1	5246.68		4508.14	
	अन्य खर्च	14.2	26201.97		26345.89	
	उप जोड़		59832.08		50056.92	
	घटाएं : आंतर ईकाई हस्तांतरण		852.33		1128.38	
	कुल खर्च			58979.75		48928.54
4.	असाधारण और असामान्य वस्तुएं और कर पूर्व लाभ			29109.61		65057.20
5.	असाधारण वस्तुएं			2084.02		0.00
6.	असामान्य वस्तुएं और कर पूर्व लाभ			27025.59		65057.20
7.	असामान्य वस्तुएं			0.00		0.00
8.	कर पूर्व लाभ			27025.59		65057.20
9.	कर व्यय					
	(ए) चालु कर		9780.67		19383.39	
	(बी) आस्थगित कर		-53.33		2872.76	
				9727.34		22256.15
10.	अवधि के लिए कर के पश्चात लाभ			17298.25		42801.05
11.	प्रति इक्विटी शेयर आय :					
	1. मूल			10.30		25.48
	2. डायल्यूटेड			10.30		25.48

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियॉ जो लेखा 1.1 और 1.2 का भाग है। हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर : 111107डब्लू

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

नितीन पी. काजरेकर
उप महाप्रबंधक (वित्त)

सी. ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्रः 108665

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

दिनांक : 24 मई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

रूपये लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए		वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए	
ए. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
कर और लाभांश से पूर्व शुद्ध लाभ		27025.59		65057.20
समायोजन –				
(ए) सावधि जमा पर ब्याज	-24324.96		-27550.72	
(बी) मूल्यह्रास	5246.68		4508.14	
(सी) स्थायी संपत्तियों से कटौती	88.99		66.03	
		-18989.29		-22976.55
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ		8036.30		42080.65
समायोजन –				
(ए) वस्तुसूची	-1876.46		-9511.53	
(बी) विविध देनदार	-3480.62		593.52	
(सी) अन्य चालु / गैर–चालु संपत्तियाँ (अल्पावधि और दीर्घावधि)	1582.00		176.25	
(डी) ऋण और अग्रिम (अल्पावधि और दीर्घावधि)	2239.00		-2269.17	
(ई) देयताएं और प्रावधान (अल्पावधि और दीर्घावधि)	891.28		-8924.69	
		-644.80		-19935.62
प्रचालनों से उत्पन्न नकद		7391.50		22145.03
वर्श के दौरान कराधान के लिए प्रावधान		-9780.67		-19383.39
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद		-2389.17		2761.64
बी. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
(ए) सावधि जमा पर ब्याज	24324.96		27550.72	
(बी) अचल संपत्ति की खरीदी	-9783.53		-9471.53	
(सी) निवेष की खरीदी/बिक्री	0.00		0.00	
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकद		14541.43		1807.19
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
(ए) लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		-10131.42		-17135.16
डी नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़त/(–)घटत		2020.84		3705.67
ई प्रारंभिक नकद और नकद समतुल्य		282989.08		279283.41
अंतिम नकद और नकद समतुल्य		285009.92		282989.08
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़त/(–)घटत		2020.84		3705.67
टिप्पणी : नकद और नकद समकक्ष में विशेष लाभांश खातों में जमाशेष, वारन्ट के लंबित नकदीकरण, जो कंपनी के पास उसके उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है ।		120.73		**111.07**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियाँ जो लेखा 1.1 और 1.2 का भाग है। हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर : 111107डब्लू
सी. ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्र: 108665
दिनांक : 24 मई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

नितीन पी. काजरेकर
उप महाप्रबंधक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

टिप्पणी संख्या 1.1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. स्थायी परिसंपत्ति का लेखांकन

ए) स्थायी परिसंपत्ति का मूल्यांकन

स्थायी परिसंपत्ति मूल लागत पर कम संचित मूल्यह्रास पर रखी जाती है।

बी) मूल्यह्रास और परिशोधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्धारित किए अनुसार, समय–समय पर किए गए संषोधनों के अनुसार (1) विंड टरबाइन जनरेटर के मामले में स्ट्रेट लाइन प्रणाली तथा (2) अन्य सभी परिसंपत्तियों पर रिटर्न डाऊन वैल्यु प्रणाली के आधार पर, विभिन्न परिसंपत्तियों के उपयोग की अवधि पर आधारित, मूल्यह्रास की गणना की जाती है । जब कोई परिसंपत्ति पहली बार उस माह के दौरान किसी दिन उपयोग में लायी जाती है, तो पूरे माह के लिए मूल्यह्रास की गणना की जाती है।

पट्टाधारी भूमि की लागत, वन भूमि के षुद्ध वर्तमान मूल्यों को शामिल करते हुए पट्टे की कालावधि पर परिशोधित की जाती है।

नई खदानों या मौजूदा खदानों में किए जा रहे भूमिगत विकास पर खर्च से स्थायी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं (तकनीकी निर्धारण पर आधारित), जो उत्पादन प्रारंभ होने वाले वर्श में पूँजीकृत है, उसे दस वर्श की कालावधि पर परिषोधित किया जाता है।

सी) परिसंपत्ति पर हानि बट्टा खाता

गिराई गई/हटाई गई सभी परिसंपत्तियों का स्क्रैप मूल्य षून्य मानकर बट्टे खाते में डाला जाता है। यदि जब ऐसी स्क्रैप परिसंपत्तियों का आंशिक या पूरी तौर पर निपटान किया जाता है तब इस प्रकार से वसूल हुई राशि उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में जमा की जाती है।

डी) निर्माणकार्य अवधि के दौरान खर्च

विशिष्ट प्रकल्पों को पूर्ण तथा प्रतिस्थापित किए जाने की तारीख तक निर्माण अवधि के दौरान उस प्रकल्प पर किए जाने वाले सभी खर्च जो प्रत्यक्ष पहचाने गए है, संबंधित प्रकल्प के नाम से डाले जाते है।

ई) निर्माणकार्य अवधि के दौरान ब्याज

निर्माणकाल में आरंभ होने से समाप्त होने तक विशिष्ट परिसंपत्ति से संबंधित ऋण (ऋण पर अन्य संबंधित वित्तीय लागत का समावेश करते हुए) का ब्याज पूंजीकृत किया जाता है।

एफ) संपत्ति की हानि

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को निर्धारण करती है कि क्या ऐसे कोई संकेत है कि संपत्ति में हानि हो सकती है। यदि ऐसे कोई संकेत होते है तो कंपनी संपत्तियों की वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। यदि ऐसी वसूली योग्य राशि इसकी वास्तविक राशि से कम होती है तो वास्तविक राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक कम किया जाता है। इस कमी को हानि के रूप में माना जाता है और लाभ–हानि खाते में दिखाया जाता है। यदि ऐसे कोई संकेत होते है कि पहले निर्धारण की गई हानि अब नहीं है तो वसूली योग्य राषि को पुर्ननिर्धारित किया जाता है और संपत्ति को वसूली योग्य राशि में परिलक्षित किया जाता है।

2. निवेश

शेयरों में दीर्घकालिन निवेश को लागत में डाला जाता है। यदि अस्थायी प्रकृति के न हो तो मूल्य में घटत का प्रावधान किया जाता है।

3. बंद भंडार का मूल्यांकन

वस्तुसूची का निम्न आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

ए) तैयार माल

1. सभी ग्रेड के मैंगनीज अयस्क (फाइन्स, हच डस्ट एवं एचआईएमएस रिजेक्ट छोड़कर) :– खदानों पर लागत के आधार पर जिसमें खदान परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें जो कम है, शामिल है।
2. मैंगनीज अयस्क फाइन्स, हच डस्ट एवं एचआईएमएस रिजेक्ट्स :– जिगिंग/प्रोसेसिंग, परिवहन इत्यादि पर प्रतिटन खर्च के आधार पर तकनीकी अनुमान या शुद्ध बिक्री योग्य मूल्य पर, इसमें जो भी कम है, आबंटन किया जाता है।

3. बंदरगाहों पर मैंगनीज अयस्क :– बंदरगाहों पर उतराई पष्चात प्राप्त लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इसमें से जो भी कम है। उतराई लागत में परिवहन किराया, उतराई खर्च, नमूना परीक्षण का खर्च आदि का समावेश होता है।

भौतिक भंडार एवं पुस्तकीय भंडार के अंतर का समायोजन तब तक नहीं किया जाता, जब तक खदानों में स्थित भंडार का कुल पुस्तकीय भंडार से तुलना करने पर अधिक पाया नहीं जाता। जब भी वास्तविक तौर पर अयस्क भेजा जाता है और रेलवे/जहाजों में माल भरने के बाद प्रत्येक पारेषण के अनुसार आने वाली अधिकता या कमी निर्धारित की जाती है तब उसका उस वर्ष के कंपनी की पुस्तकों में लेखाकृत किया जाता है।

4. इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय ऑक्साइड (ईएमडी) (उत्पादन के विविध चरणों में 31 मार्च के अनुसार प्रक्रियागत भंडार के साथ जिसकी निश्चिती ईएमडी की पूर्ण निर्मित यूनिटों के प्रतिषत से संबंधित तकनीकी प्राक्कलनों द्वारा की जाती है) :– संयंत्र का मूल्यह्रास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो का समावेष करते हुए चालु वर्ष की उत्पादन लागत।

5. ए) तकनीकी मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित केक रूप में शामिल करते हुए फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज का 31 मार्च को निर्धारण तकनीकी मूल्यांकन द्वारा किया जाता है :– चालु वर्ष की उत्पादन लागत जिसमें संयंत्र का मूल्यह्रास (स्लैग का वसूली योग्य मूल्य कम करके) अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें से जो भी कम हो।

बी) प्रक्रियागत भंडार :– प्रक्रिया से गुजरने वाले फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज की मात्रा को तोला नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता और इसलिए उसका कोई भी मूल्य नियत नहीं किया जाता है।

सी) स्लैग का भंडार :– स्लैग यह फेरो मैंगनीज की उत्पादन प्रक्रिया में निर्मित अशुद्ध द्रव्यों का एक पिघला हुआ पिंड होता है उसे स्क्रैप माना जाता है तथा वसूली योग्य कीमत पर मूल्य आंका जाता है।

बी) भंडार सामग्री वस्तुसूची (सामग्री, कलपूर्जे, टिम्बर, विस्फोटक, ईंधन एवं लुब्रीकेन्ट्स और कच्चा माल) :– भारित औसत पद्धति पर लागत निर्धारित की जाती है।

1. सभी भंडार सामग्री, स्पेअर्स आदि का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्श के अंत में किया जाता है। प्रत्यक्ष भंडार एवं पुस्तकीय भंडार के अंतर की जाँच की जाती है तथा लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन किया जाता है।

2. फेरो मैंगनीज संयंत्र के मामले में, संयंत्र में उपलब्ध मैंगनीज अयस्क छोड़कर कच्चे माल के भंडार का मूल्य भारित औसत पद्धति के लागत पर किया जाता है। संयंत्र में विद्यमान मैंगनीज अयस्क के भंडार का मूल्य चालु वर्ष की उत्पादन कीमत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें जो कम हो तथा परिवहन खर्च तथा अन्य खर्च, यदि कोई हो, तो उसे मिलाकर मूल्यांकित किया जाता है। प्लांट में उपलब्ध अयस्क का खुला एवं बंद भंडार को "स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल" के शीर्षक में वर्गीकृत किया जाता है।

4. बिक्री

रेलवे रसीद/लॉरी रसीद/डिलिवरी चालान के आधार पर माल की रवानगी के पष्चात बिक्री इनवॉइज तथा राजस्व को लेखा पुस्तकों में मान्य किया जाता है तथा लेखा पुस्तकों में राजस्व स्वीकार किया जाता है।

ए) मैंगनीज अयस्क की बिक्री

1. लॅबारेटरी विष्लेशण रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुणवत्ता में अंतर के लिए पूरक बिलों को प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष में नियत तारीख तक प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टो को प्रेशण के वर्ष में विचार किया जाता है। तदनुसार पूरक बिल प्रस्तुत किए जाते है और उसी वर्श हिसाब में रखे जाते है। नियत तारीख के बाद प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टों के संबंध में इसे आगामी वर्ष में शामिल किया जाता है।

2. बिक्री में रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड और नैशनल मिनरल एक्सप्लोरेषन ट्रस्ट अंशदान शामिल रहता है।

बी) ईएमडी/फैरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज/स्लैग की बिक्री

ईएमडी, फेरो मैंगनीज तथा स्लैग की बिक्री में इस पर लागू उत्पाद शुल्क एवं षिक्षा उपकर का समावेश है।

सी) मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को विद्युत की बिक्री

विद्युत बिक्री समझौते में मंजूर किए गए शुल्क दर के आधार पर ग्रिड में डाली गई उर्जा के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता है।

5. अन्य आय

ए) विविध देनदारों से ब्याज के रूप में आय भारत के इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक–9 के निर्देश अनुरूप निम्नानुसार माने जाते है :

1. जहाँ देनदारों से वसूली की बैंक द्वारा क्रेडिट पत्र से पुश्टि की जाती है और जहाँ उसकी वसूली सुनिश्चित होती है वहाँ उपार्जन आधार पर स्वीकृति की जाती है।

   चालु वित्तीय वर्ष के बाहर ऋण टर्म के लिए ग्राहक को ब्याज बिल जिस वर्ष से संबंधित हो उस वर्ष के लिए मान्य किया जाता है।

2. जहाँ देनदारों से वसूली बैंक के मार्फत क्रेडिट पत्र द्वारा पुश्टि नहीं की गई हो, जहाँ वसूली मूल्य अनिश्चित हो, वहाँ प्रबंधन के अनुभव के आधार पर जब कभी वास्तविक वसूली मूल्य प्राप्त होता है उसे आय के तौर पर माना जाता है।

बी) जमा राशियाँ एवं पेशगियों पर प्राप्त ब्याज आय, उपार्जन आधार पर मान्य की जाती है।

सी) बदले गए घिसे हुए पार्ट/स्क्रैप पूंजीगत सामग्री के संबंध में ज्ञापन अभिलेख रखे जाते है। जब उसका निपटारा किया जाता है तब वह आय, उस वर्ष में विविध प्राप्तियों के लेखे में डाली जाती है।

6. कैप्टिव खपत

मैंगनीज अयस्क

ईएमडी/फेरो मैंगनीज के उत्पादन हेतु कच्चे माल के तौर पर निर्गमित किया गया मैंगनीज अयस्क, फाइन्स/एचआईएमएस रिजेक्ट्स का मूल्य चालु वर्ष के उत्पादन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले तरीके से फाइन्स/एचआईएमएस रिजेक्ट का मूल्यांकन प्रति टन पर मूल्यांकित किया जाता है। अयस्क की खपत औसत लागत के आधार पर हिसाब में ली जाती है। निर्गमित अयस्क का मूल्य, अयस्क उत्खनन/प्रचालन खर्च से कम किया जाता है तथा "विनिर्माण खर्च" के मद में कच्चे माल की खपत के तौर पर मान्य किया जाता है।

विद्युत

पवन उर्जा संयंत्र यूनिट से निर्माण की गई बिजली तथा खदान/संयंत्र में उपयोग की गई इस बिजली को निर्माण लागत के आधार पर संबंधित ईकाई को प्रभारित किया जाता है।

7. बिक्रीकर, आयकर आदि

ए) बिक्रीकर, आयकर आदि के संबंध में जिस वर्ष में कर निर्धारण आदेश कंपनी द्वारा प्राप्त तथा स्वीकृत किया जाता है, उक्त आदेश के अनुसार देय या प्राप्त बकाया राशि को, वह आदेष किस वर्ष से संबंधित है इसे ध्यान में न लेते हुए उक्त आदेश प्राप्ति के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

बी) क्रय के आधार पर बिक्री कर में छूट का दावा किया जाता है। छूट के दावे की राशि तथा वास्तविक स्वीकृत छूट को जिस वर्ष में निर्धारण आदेश कंपनी को प्राप्त होता है और स्वीकार किया जाता है, उस वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

8. कार्मिकों के अनुलाभ

ए) कर्मचारियों के अल्पकालिक लाभ

जिस वर्ष में संबंधित सेवा दी गई है उस वर्ष के लाभ–हानि लेखा में छूट मुक्त राशि खर्च, अल्पकालिक कर्मचारी लाभ खर्च के तौर पर माना जाता है।

बी) नियोजनोत्तर लाभ

नियोजनोत्तर लाभ में भविष्य निधि, उपदान, छुट्टी नकदीकरण, पेंषन और चिकित्सा सुविधाएं जैसे लाभ शामिल है।

1. परिनिश्चित लाभ योजना

जिस वर्ष में कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई, उस वर्श के लाभ–हानि लेखा में नियोजनोत्तर एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ को खर्च के रूप में मान्य किया जाता है। देय राषि के वर्तमान मूल्य पर खर्च को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए, खर्चों को मान्य किया जाता है। नियोजनोत्तर एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ से संबंधित बीमांकित प्राप्ति एवं हानि को लाभ हानि लेखा में दर्ज किया जाता है।

चिकित्सा सुविधा जैसे अनुलाभ बीमा पॉलिसी में शामिल होते है और बीमा प्रीमियम की राषि को उस वर्ष के लाभ हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिस वर्श में उसे किया गया ।

2. परिनिश्चित अंशदान योजना

परिनिश्चित अंशदान योजना, नियोजनोत्तर लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत कंपनी अलग–अलग निधियों में तयशुदा अंशदान का भुगतान करती है। परिनिश्चित अंशदान योजना में कंपनी का योगदान संबंधित वित्त वर्ष के लाभ हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

9. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति खर्च

कंपनी व्यय की संपूर्ण राषि को उस वर्श के लाभ–हानि लेखा में दर्ज करती है जिस वर्श में उसे किया गया ।

10. कल्याण आयुक्त से प्राप्त सब्सिडी का लेखांकन

ए) श्रमिक निवास

कंपनी ने कुछ श्रमिक निवासों का निर्माण किया है/कर रही है, जिसके लिए कंपनी को कल्याण आयुक्त से सब्सिडी मिल रही है। चूंकि जिस भूमि पर इन निवास स्थानों को निर्माण किया जाता है वह भूमि कल्याण आयुक्त के सुपुर्द की जाती हैं और यह परिसंपत्ति (निर्मित निवासस्थान) कल्याण आयुक्त की ओर अभ्यर्पित की जाती है। इसलिए इसमें कंपनी द्वारा किया गया पूरा खर्च तथा प्राप्त हुई सब्सिडी भी जिस वर्ष में खर्च की जाती है/सब्सिडी प्राप्त होती है, उस वर्ष के राजस्व खाते पर दर्ज की जाती है।

बी) कल्याण परिसंपत्ति

परिसंपत्तियाँ जैसे स्कूल बस, रूग्णवाहिका, जलापूर्ति योजना आदि जो कल्याण योजना के अधीन आती है, के अर्जन का पूरा खर्च, जिस वर्ष में किया जाता है उसी वर्ष के संबंधित परिसंपत्ति लेखा में डाला जाता है। प्राप्त हुई सब्सिडी की राशि को आवक वर्ष के उसी परिसंपत्ति के शीर्षक खाते में जमा किया जाता है और बाद में मूल्यह्रास उस वर्श से परिसंपत्ति के कम किए मूल्य पर आंका जाता है।

11. कंपनी के दावे

बीमा कंपनी/रेलवे में दाखिल किए दावों की राशियों का उचित निश्चित मूल्यांकन करके उस वर्ष के दौरान दावा की गई राशियों के आधार पर लेखे में लिया जाता है और यदि कोई अंतर हो तो दावे के निर्धारण पर उसे समायोजित किया जाता है।

12. पूर्वदत्त खर्च

जहाँ 1.00 लाख रूपये से ज्यादा के प्रत्येक मामले में भुगतान हो उसे केवल पूर्वदत्त खर्च माना जाता है।

13. संदिग्ध कर्ज हेतु प्रावधान

पिछले दो वर्षों से अधिक रूके हुए फुटकर ऋणों के लिए प्रत्येक मामले की खराब तथा संदिग्ध ऋणों की अलग–अलग समीक्षा के आधार पर प्रावधान किया जाता है। निजी पार्टियों के नाम पर तीन वर्शों से अधिक अवधि तक बकाया ऋण राशियों के लिए निश्चित रूप से व्यवस्था की जाती है।

14. अनुसंधान एवं विकास खर्च

अनुसंधान एवं विकास खर्च उसी वर्ष के लाभ हानि लेखा में दर्ज किया जाता है, यद्यपि अनुसंधान एवं विकास के लिए स्थायी परिसंपत्ति पर हुआ खर्च अन्य स्थायी परिसंपत्ति खर्च के समान ही माना जाता है।

15. खान बंद का खर्च

संबंधित नियमों एवं अधिनियमों के तहत तकनीकी मूल्यांकन करके, अंतिम खान बंद करने का वित्तीय प्रभाव, उपलब्ध अयस्क भंडार के आधार पर निकाला जाता है। जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर सभी खदानों के संपूर्ण उत्पादन को ध्यान में लेने के बाद लेखों में प्रावधान किया जाता है।

16. वन भूमि को अ–वनभूमि हेतु बदलने के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्यांकन

संबंधित प्राधिकारियों से आवष्यक अनुमति प्राप्त होने पर देनदारियाँ तय की जाती है।

17. पूर्वावधि खर्च

पिछले वर्ष (वर्षों के) के मूलभूत 'कमीशन या ओमिशन' की त्रुटियों को पिछली अवधि के समायोजित खाते में डेबिट/क्रेडिट डालकर सुधारित किया जाता है।

18. तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाले महत्वपूर्ण लेनदेन के मामले

तुलन पत्र के तारीख के बाद तथा उसके अनुमोदित होने के पश्चात महत्वपूर्ण घटनाओं के उल्लेखनीय प्रभाव को या तो तुलन पत्र तथा लाभ हानि विवरण से संतुलित किया जाता है या निदेशक रिपोर्ट में विशेष तौर पर उल्लेखित किया जाता है।

टिप्पणी संख्या 1.2

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं

ए) ऋण के तौर पर अस्वीकृत कंपनी के विरूद्ध दावे –

रूपये लाख में

	दावों का विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1	वेतन एवं अन्य अनुलाभ के लिए कार्मिकों द्वारा	218.00	205.00
2	तिरोडी खदान से अयस्क की रेलिंग पर परिवहन शुल्क के भुगतान के लिए वन विभाग द्वारा	86.08	86.08
3	पंचाट अवार्ड और ठेकेदारों के दावे पर ब्याज	908.96	678.25
4	प्रवेश कर, केन्द्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर तथा कर्मचारियों का प्रोफेशनल टैक्स	83.22	75.37
5	अपील के अंतर्गत विवादित आयकर (पहले से भुगतान किया कर रू. 1569.39 (रू. 1364.29) लाख	1615.00	1569.39
6	बैंक गारंटी / क्रेडिट पत्र के अंतर्गत वित्तीय आश्वासन पर आकस्मिक देयता (बराबर राशि की सावधि जमा द्वारा प्रस्तुत)	380.31	296.30

बी) अपूर्ण संविदाओं की अनुमानित राशि पूंजीगत खातों में दर्षाई गई है तथा इसके लिए रू. 11,865.77 (रू. 8,856.26) लाख का प्रावधान नहीं किया गया था। इस प्रकार की संविदाओं के लिए अग्रिम राशि रू. 71.84 (रू. 78.99) लाख भुगतान किया गया है।

2. कंपनी की 761.60 वर्ग मीटर भूमि को एकीकृत सड़क विकास योजना के तहत नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा अधिगृहीत किया गया है। कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने संबंधी लेखी याचिका को उच्च न्यायालय, नागपुर द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। याचिका के लंबित होने से उसके लिए पुस्तकों में कोई समायोजन नहीं किया गया।

3. (ए) वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन वर्श के अंत में किया जाता है।

(बी) मैंगनीज अयस्क साथ ही बड़े परिमाण में कच्चा माल और फेरो मैंगनीज के उत्पादन और वस्तुसूची का उत्पादन/तकनीकी विभाग द्वारा भार–परिमाण अनुपात के अनुसार निर्णय लिया जाता है और उसके अनुसार उसे हिसाब में लिया जाता है।

(सी) 0.96 (6.49) लाख रूपये मूल्य का 18.53 (145.14) एमटी मैंगनीज अयस्क का स्टॉक 31.03.2016 को फेरो मैंगनीज संयंत्र स्थल पर पड़ा है वह कच्चे माल की वस्तुसूची में शामिल है।

4. विविध देनदार तथा विविध लेनदारों के वर्श समाप्ति पर बकाया राशि के पुष्टीकरण पत्र पार्टियों को भेजे गए है। 31.03.2016 को रू. 14583.28 लाख के कुल बकाया में से रू. 2419.64 लाख के शेष का समाधान हो गया है ।

पुश्टिकरण प्राप्त होने के संबंध में कंपनी अधिशेष की संवीक्षा और समाधान की प्रक्रिया के अंतर्गत है।

5. कार्मिकों को ऋण के संबंध में प्रलेखन कुछ मामलों में लंबित है और असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

6. अप्रचलित भंडार सामग्री/स्पेअरों का निपटान करने के बाद होने वाली प्रत्याशित हानि हेतु किया गया 1.43 लाख रूपये (1.49 लाख रूपये) का प्रावधान पर्याप्त माना गया है।

7. कंपनी द्वारा प्राप्त ब्याज एवं किराए पर स्त्रोत पर आयकर की कटौती की राशि रू. 2440.46 (रू. 2763.59) लाख है। कुछ मामलों में कर की कटौती के प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।

8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) के संबंध में प्रकटीकरण :

क्र.सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	एमएसएमई को अदत्त रही मूल राशि उपर्युक्त पर देय ब्याज, अदत्त रहा	171.48 निरंक	156.49 निरंक
2	एमएसएमई विकास अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रदत्त ब्याज (एमएसएमईडीए) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किए गए भुगतानों सहित	निरंक	निरंक
3	भुगतान करने में विलंब के लिए देय ब्याज (भुगतान किया लेकिन नियत दिन के बाद) लेकिन एमएसएमईडीए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	निरंक	निरंक
4	प्रत्येक लेखावर्ष के अंत में संचित और अदत्त रहा ब्याज	निरंक	निरंक
5	एमएसएमईडीए की धारा 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए उत्तरवर्ती वर्ष (उस तारीख तक जब उपरोक्त के अनुसार ब्याज देय है वह वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान किया गया है) में देय रहा ब्याज	निरंक	निरंक

9. अन्य व्यय (टिप्पणी संख्या 14.2) में शामिल है :

रूपये लाख में

विवरण		31.03.2016	31.03.2015
1	यात्रा व्यय		
	(ए) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	35.08	22.41
	(बी) निदेशक	29.88	51.36
	(सी) कंपनी सचिव	2.52	2.32
2	लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक		
	(ए) लेखापरीक्षक	4.29	3.93
	(बी) कराधान मामले	1.45	1.31
	(सी) अन्य सेवाएं	3.43	3.23
	(डी) खर्चों की प्रतिपूर्ति	शून्य	शून्य
		9.17	8.47
	जनसंपर्क एवं प्रचार खर्च सहित विज्ञापन	49.33	146.80

10. **परिभाषित दायित्व** – लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाए अनुसार है :

रूपये लाख में

विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
निधिबद्ध उत्तरदायित्व का प्रारंभिक एवं बंद शेष का समाधान, जैसा कि एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा मूल्यांकित किया गया है।				
वर्ष के प्रारंभ में	11844.89	12091.43	3892.91	4108.77
चालु सेवा लागत	650.59	590.69	332.10	286.40
ब्याज लागत	947.59	967.31	311.43	328.70
बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	1292.18	-760.21	-115.05	-533.92
प्रदत्त लाभ	-2042.30	-1044.33	-318.73	-297.04
वर्ष के अंत में	12692.95	11844.89	4102.66	3892.91
योजना संपत्ति के संगत मूल्य का प्रारंभिक एवं बंद शेष का समाधान				
वर्ष के प्रारंभ में	12257.98	11902.07	5072.37	4928.20
योजना संपत्ति की अपेक्षित वापसी	1041.93	1089.04	431.15	450.93

बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	-178.59	121.84	-13.00	-9.72
नियोक्ता का अंशदान	0.00	189.36	0.00	0.00
प्रदत्त अनुलाभ	-2042.30	-1044.33	-318.73	-297.04
वर्ष के अंत में				
संपत्ति का संगत मूल्य तथा निधि बद्ध उत्तरदायित्व का समाधान				
वर्ष के अंत में योजना संपत्ति का वर्तमान मूल्य	11079.02	12257.98	5171.79	5072.37
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	12692.95	11844.89	4102.66	3892.91
तुलन पत्र में मान्य देयता/(–) पूर्वदत्त व्यय	1613.93	-413.09	-1069.13	-1179.46
लाभ–हानि लेखा में मान्य खर्च				
चालु सेवा लागत	650.59	590.69	332.10	286.40
ब्याज लागत	947.59	967.31	311.43	328.70
योजना संपत्ति की अपेक्षित वापसी	-1041.93	-1089.04	-431.15	-450.93
बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	1470.77	-882.05	-102.05	-524.20
लाभ–हानि लेखा में मान्य कुल खर्च	2027.02	-413.09	110.33	-360.03
बीमांकिक पूर्वानुमान	(1994-96)	(1994-96)	(1994-96)	(1994-96)
मृत्युदर तालिका (जीवन बीमा)	अंतिम	अंतिम	अंतिम	अंतिम
छूट दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
योजना संपत्ति पर अपेक्षित वापसी (प्रति वर्ष)	8.50%	9.15%	8.50%	9.15%
वेतनवृद्धि दर (प्रति वर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

11. **संबंधित पार्टियों के साथ व्यवहार** – लेखांकन मानक – 18 / कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ व्यवहार का प्रकटीकरण नीचे दर्षाया गया है :–

(1) संबंधित पार्टियों की सूची एवं संबंध

(ए) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक — पदनाम

1. श्री जी. पी. कुंदरगी — अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
2. श्री एम. पी. चौधरी — निदेशक (वित्त)
3. श्री ए. के. झा (31.10.2015 तक) — निदेशक (उत्पादन एवं आयोजना)
4. श्री टी. के. पटनायक — निदेशक (वाणिज्य)
5. श्री नीरज पाण्डेय — कंपनी सचिव

(बी) संयुक्त उद्यम कंपनी

1. सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड
2. रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड

(2) संबंधित पार्टी के साथ वर्श के दौरान संव्यवहार उपर्युक्त (i)(ए) में उल्लेखित :

रूपये लाख में

	विवरण	2015–16	2014–15
1	प्रबंधकीय मेहनताना		
2	(ए) वेतन एवं भत्ते	111.81	148.54
	(बी) भविश्य निधि में अंषदान	9.85	8.88
	(सी) परिलब्धियों का वास्तविक/अनुमानित मूल्य	4.32	4.95
	(डी) कुल	125.98	162.37
	यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति	67.48	76.09

12. आस्थगित कर संपत्ति/देयता – लेखांकन मानक – 22 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाया गया है :

क्र.	विवरण	2015–16/31 मार्च, 2016	2014–15/31 मार्च, 2015
1	आस्थगित कर देयता मूल्यह्रास से संबंधित	1291.31	1407.81
2	आस्थगित कर परिसंपत्ति आयकर अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकृत	243.99	307.17
3	शुद्ध आस्थगित कर देयता/(–) परिसंपत्ति	1047.32	1100.64
4 ए	लाभ–हानि लेखा के लिए आस्थगित कर : देयता में वृद्धि/(–) कमी	–53.33	2872.76
4 बी	संव्यवहार प्रावधानों के कारण आस्थगित कर देयता में कमी पर अलग से विचार किया गया है।	0.00	117.90

13. संयुक्त उद्यम – लेखांकन मानक –27 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाए अनुसार है :

(ए) संयुक्त उद्यम कंपनियों से संबंधित विवरण

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	विनिगमन का विवरण		मालकियत का प्रारंभिक अनुपात	पूंजी के लिए अंशदान (रूपये लाख में)
	देश	तारीख		
सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.	भारत	31.07.2008	50 प्रतिशत	10.00
रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.	भारत	29.07.2009	50 प्रतिशत	10.00

(बी) वित्तीय विवरण

रूपये लाख में

विवरण	स्थिति	
	31.03.2016 (अ–अंकेक्षित)	31.03.2015 (अंकेक्षित)
संयुक्त उद्यम कंपनी लेखा के अनुसार कंपनी के ब्याज की कुल राशि –		
(1) सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.		
अंश पूंजी	10.00	10.00
आरक्षित और अधिशेष	-157.99	-137.21
दीर्घकालिक देयताएं	400.00	400.00
चालु देयताएं	0.85	1.38
स्थायी संपत्ति (शुद्ध) तथा कार्यशील पूंजी	155.92	174.15
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	0.01	0.01
चालु संपत्ति	96.93	100.01
आय	4.70	7.89
व्यय	25.59	26.81
आकस्मिक देयताएं और पूंजीगत प्रतिबद्धता	26.40	9.00
(2) रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.		
अंश पूंजी	10.00	10.00
आरक्षित और अधिशेष	-0.31	-0.31
गैर चालु देयताएं	89.82	89.82
चालु देयताएं	0.49	0.39
स्थायी संपत्ति (शुद्ध) तथा कार्यशील पूंजी	81.46	81.94
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	1.92	1.86
चालु संपत्ति	16.62	16.10
आय	Nil	Nil
व्यय	Nil	Nil
आकास्मिक देयताएं और पूंजीगत प्रतिबद्धता	411.95	411.95

14. प्रावधान – लेखांकन मानक – 29 के अनुसार विवरणों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

रूपये लाख में

प्रावधान का विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2015	प्रावधान	पुनरांकित/प्रयुक्त प्रावधान	बंद शेष 31.03.2016
अंतिम खदान बंदी का खर्च	786.05 (703.23)	75.77 (82.82)	— —	861.82 (786.05)
अषोध्य और संदिग्ध ऋण और अग्रिम	67.91 (62.42)	0.00 (7.00)	(0.00) (1.51)	67.91 (67.91)

अंतिम खदान बंदी खर्च के प्रावधान के संबंध में अंतिम खदान बंदी के समय नकद निर्गम अपेक्षित है।

15. वर्ष के दौरान पूंजीगत माल का आयात रू. निरंक (रू. निरंक) लाख

16. प्रवास के लिए विदेषी मुद्रा में खर्च रू. 20.97 (रू. 5.57) लाख और विविध खर्च – रू. 12.53 लाख (रू.27.83 लाख)

17. कर्मचारी अनुलाभ व्यय के खाते में रू. 2441.09 लाख की राशि के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

18. वर्ष के दौरान टर्नओवर में कमी और लाभों पर परिणामी प्रभाव मुख्यतः अंतर्राश्ट्रीय बाजार से मैंगनीज अयस्क के अधिक आपूर्ति के कारण है, जिसकी वजह से बिक्री कीमतों पर दबाव आने के साथ–साथ नकदी खरीददारों की कमी हुई ।

तैयार माल के स्टॉक के मूल्यांकन के लिए लेखांकन नीति के अनुसार असाधारण सामग्री रू. 2084.02 (षून्य) लाख तैयार माल वस्तुसूची में शुद्ध बिक्रीयोग्य से कम लागत पर मूल्य की कमी को दर्षाती है ।

19. लाभ–हानि विवरण की अतिरिक्त जानकारी

(ए) उत्पादन, बिक्री, प्रारंभिक और अंतिम स्कंध –

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा (एमटी)	रूपये लाख में	मात्रा (एमटी)	रूपये लाख में
ए) उत्पादन/निर्मिति–				
मैंगनीज अयस्क	1032275	..	1139156	..
ईएमडी	612	..	950	..
फेरो मैंगनीज	6519	..	10045	..
फेरो मैंगनीज स्लैग	9203	..	13358	..
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	36370789	..	32808711	..
(बी) बिक्री				
मैंगनीज अयस्क	967267	57179.01	910443	74954.60
ईएमडी	714	519.60	655	541.59
फेरो मैंगनीज	7922	3636.34	8587	4954.22
फेरो मैंगनीज स्लैग	13285	627.16	13913	1068.59
एमपीईडीसीएल को बिजली (केडब्लूएच)	27247140	911.66	23992560	806.15
(सी) प्रारंभिक स्कंध				
मैंगनीज अयस्क	248360	10937.69	48358	2062.60
ईएमडी	396	346.80	101	90.69
फेरो मैंगनीज	4001	1636.45	2543	846.51
फेरो मैंगनीज स्लैग	5247	316.62	5802	500.74
(डी) अंतिम स्कंध				
मैंगनीज अयस्क	294713	13045.98	248360	10937.69
ईएमडी	294	21.98	396	346.80
फेरो मैंगनीज	2598	1026.20	4001	1636.45
फेरो मैंगनीज स्लैग	1165	81.51	5247	316.62

टिप्पणी : उत्पादन के लिए जारी किए गए मैंगनीज अयस्क के समायोजन के पश्चात अंतिम स्कंध –				
ईएमडी	2405		3702	
फेरो मैंगनीज	16250		25009	
कैप्टिव खपत के लिए उपयोग की गई बिजली सहित पवन उर्जा मिलों से बिजली की निर्मिति (केडब्लूएच)	9123649		8816151	

(बी) अनुज्ञप्तित और संस्थापित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता –

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा (एमटी)	उपयोग की गई क्षमता	मात्रा (एमटी)	उपयोग की गई क्षमता
ए) अनुज्ञप्तित एवं संस्थापित क्षमता				
ईएमडी	1000	—	1000	—
फेरो मैंगनीज	10000	—	10000	—
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	40000000	—	40000000	—
बी) उत्पादन एवं क्षमता उपयोग				
ईएमडी	612	61%	950	95%
फेरो मैंगनीज	6519	65%	10045	100%
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	36370789	91%	32808711	82%

20. पिछले वर्ष के तत्सम आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए है तथा जहां आवष्यक हो, तुलनीय करने के लिए फिर से संगठीत किए गए है।

31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
टिप्पणी 2.1 – शेयर पूंजी				
अधिकृत				
इक्विटी शेयर : संख्या	250000000		250000000	
अंकित मूल्य रू. में		10.00		10.00
राशि 25000.00		25000.00		25000.00
निर्गमित, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त				
इक्विटी शेयर : संख्या	168000000		168000000	
अंकित मूल्य रू. में		0.00		10.00
कुल राशि		16800.00		16800.00
एक इक्विटी शेयर के लिए एक मतदान अधिकार और शेयर होल्डिंग के बराबर लाभांश अनुपात अधिकार के साथ रू. 10/– सममूल्य के इक्विटी शेयरों के रूप में कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर है।				
समाधान विवरण				
प्रारंभ में शेयरों की संख्या	168000000		168000000	
जोड़े : वर्ष के दौरान निर्गमित षेयर	0		0	
अंत में शेयरों की संख्या	168000000		168000000	

प्रत्येक शेयरधारक की शेयर होल्डिंग का विवरण जिसके पास 5 प्रतिशत से अधिक के शेयर है।

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
भारत सरकार	120235680	71.57	120235680	71.57

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
टिप्पणी 2.2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष				
सामान्य आरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	320378.79		295378.79	
(+) लाभ–हानि लेखा से स्थानांतरित	7500.00		25000.00	
		327878.79		320378.79
सीएसआर (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) आरक्षित निधि				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	18.00		34.00	
(+) लाभ–हानि लेखा से स्थानांतरित	0.00		18.00	
(-) लाभ–हानि लेखा को स्थानांतरित	18.00		34.00	
		0.00		18.00
लाभ–हानि लेखा में अधिशेष				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	973.38		520.45	
घटायें : लेन–देन प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास	0.00		228.96	
जोड़े : लाभ–हानि विवरण से कर पश्चात लाभ	17298.25		42801.05	
जोड़े : सीएसआर (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) आरक्षित निधि से स्थानांतरण	18.00		34.00	
	18289.63		43126.54	
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि				

घटाएं : विनियोजन –				
सीएसआर (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) आरक्षित निधि	0.00		18.00	
अंतरिम लाभांश 30 प्रतिशत (50 प्रतिषत) की दर से	5040.00		8400.00	
प्रस्तावित अंतिम लाभांश 20 प्रतिषत (35 प्रतिशत) की दर से	3360.00		5880.00	
अंतरिम लाभांश पर कर जिसमें अधिभार और उपकर शामिल है।	1047.40		1679.51	
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	684.02		1175.65	
अंतिम लाभांश पर कर जिसमें अधिभार और उपकर शामिल है।	7500.00		25000.00	
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	17631.42		42153.16	
बकाया अग्रेनीत		658.21		973.38
कुल		328537.00		321370.17

रूपये लाख में

विवरण		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
टिप्पणी 3.1 – दीर्घकालिक प्रावधान					
(ए) अंतिम खदान बंदी खर्च के लिए प्रावधान					
	कुल		861.81		786.05
टिप्पणी 3.2 – दीर्घकालिक देयता					
(ए) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य से सुरक्षा जमा					
	कुल		96.91		240.48
टिप्पणी 4.1 – व्यापार देय					
(ए) एमएसएमई का कुल बकाया शेष				95.05	
(बी) इतर का कुल बकाया शेष		298.16		256.34	
	कुल		339.28		351.39
टिप्पणी 5.1 – अन्य चालु देयता					
(ए) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य से सुरक्षा जमा			2796.33		2416.43
(बी) ग्राहकों से जमा शेष			1146.90		671.12
(सी) खर्च के लिए देयताएं			6951.79		7055.48
(डी) बिना दावे के लाभांष वारंट के लंबित नकदीकरण			120.73		111.07
(ई) पूंजीगत खर्च के लिए देयताएं			3568.82		2781.76
(एफ) अन्य देयताएं			3069.24		2357.99
	कुल		17653.81		15393.85
टिप्पणी 5.2 – अल्पकालिक प्रावधान					
(ए) इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश			3360.00		5880.00
(बी) प्रस्तावित लाभांश पर कर के लिए प्रावधान			684.02		1175.65
(सी) नहीं ली गई छुट्टी के लिए प्रावधान–					
तुलनपत्र की तारीख को देयता		4102.65		3892.91	
(–) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधि		5171.78		5072.36	
	*	-1069.13	0.00	-1179.45	0.00
(डी) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	*		1613.94	-413.08	0.00
(ई) पेंशन निधि के लिए प्रावधान			1806.01		1697.07
	कुल		7463.97		8752.72
	कुल		25457.06		24497.96

*एलआईसी/अन्य बीमादारों के पास देयता से अधिक निधि को पूर्वदत्त खर्चों के अंतर्गत रखा गया है (टिप्पणी 10.1 (बी) (vi) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम)

31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

6.1 – स्थायी संपत्ति

रूपये लाख में

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	सकल खण्ड				मूल्यह्रास खण्ड					शुद्ध खण्ड	
		31.03.2015 को	परिवर्धन	कटौती	31.03.2016 को	31.03.2015 को	वर्ष के लिए	कटौती	प्रतिधारित उत्पन्न मे समायोजित	31.03.2016 को	31.03.2016 को	31.03.2015 को
ए	**मूर्त संपत्ति**											
1	फ्री–होल्ड भूमि	1119.98	107.45	0.02	1227.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1227.41	1119.98
2	इमारत	14070.01	2517.72	20.15	16567.58	4039.76	1036.17	13.91	0.00	5062.02	11505.56	10030.25
3	संयंत्र और मशीनरी	41573.85	4212.66	858.61	44927.90	24759.48	3873.82	782.36	0.00	27850.94	17076.96	16814.37
4	फर्नीचर और फिक्स्चर	408.53	8.62	2.94	414.21	269.21	49.55	2.77	0.00	315.99	98.22	139.32
5	कार्यालय उपकरण	522.42	20.78	5.56	537.64	432.39	46.00	4.89	0.00	473.50	64.14	90.03
6	वाहन	1016.03	166.79	30.90	1151.92	682.29	123.08	25.26	0.00	780.11	371.81	333.74
		58710.82	7034.02	918.18	64826.66	30183.13	5128.62	829.19	0.00	34482.56	30344.10	28527.69
बी	**अमूर्त संपत्ति**											
1	पट्टाधृत भूमि	2361.24	0.00	0.00	2361.24	1497.86	118.06	0.00	0.00	1615.92	745.32	863.38
		61072.06	7034.02	918.18	67187.90	31680.99	5246.68	829.19	0.00	36098.48	31089.42	29391.07
सी	**प्रगतिशील पूंजी**										6762.97	5255.04
डी	**विकास के अंतर्गत अमूर्त संपत्ति**										1276.73	35.15
	कुल स्थायी संपत्ति										39129.12	34681.26
ई	**गत वर्ष**	51007.46	11078.60	1014.00	61072.06	27773.95	4508.14	947.97	346.87	31680.99	29391.07	23233.51

1. इमारत में भूमि भी शामिल है, जहाँ भूमि के लिए अलग से विचार नहीं किया जाता है।
2. अवधि के लिए मूल्यह्रास में इन पर मूल्यह्रास भी शामिल है –

	2015.2016	2014.2015
(ए) विनिर्माण इकाइयों की परिसंपत्ति	68.99	73.58
(बी) उर्जा निर्माण इकाइयों की परिसंपत्ति	174.68	174.68

3. तुलन पत्र की तारीख को कोई हानि नहीं है।

31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
टिप्पणी 7.1 – गैर–चालु निवेश (अनकोटेड) लागत पर				
खदानों में सहकारी स्टोर/सोसायटी के पूर्णतः प्रदत्त शेयर				
(ए) सहकारी स्टोर (अपंजीकृत) के रू. 5/– प्रत्येक के 500(500) शेयर	0.03		0.03	
(बी) सहकारी सोसायटी के रू. 25/– प्रत्येक के 1612(1612) शेयर	0.40		0.40	
(सी) सहकारी सोसायटी के रू. 10/– प्रत्येक के 8556 (8556) शेयर	0.86		0.86	
		1.29		1.29
संयुक्त उपक्रम में निवेश (प्रारंभिक सदस्यता) :				
(ए) सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड में पूर्णतः प्रदत्त रू. 10/– प्रत्येक के 100000 (100000) इक्विटी शेयर	10.00		10.00	
(बी) रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड में पूर्णतः प्रदत्त रू. 10/– प्रत्येक के 100000(100000) इक्विटी शेयर	10.00	20.00	10.00	20.00
कुल		21.29		21.29
टिप्पणी 8.1 – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम				
(ए) सुरक्षित				
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		112.15		86.74
(बी) असुरक्षित				
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		9.08		6.87
(सी) आयकर का अग्रिम भुगतान (शुद्ध)		3993.16		5651.35
(डी) संयुक्त उद्यम कंपनी को अग्रिम				
सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा.लि. को अग्रिम		400.00		400.00
कुल		4514.39		6144.96
टिप्पणी 8.2 – अन्य गैर–चालु परिसंपत्ति				
(ए) स्थायी और अन्य जमा पर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं		1.10		0.00
(बी) कर्मचारियों को ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं		38.31		35.18
(सी) रेलवे, बिजली बोर्ड और अन्य के पास जमा (असुरक्षित)		634.97		712.67
(डी) पूंजीगत सामग्री की खरीदी के लिए अग्रिम		1478.50		1485.64
कुल		2152.88		2233.49
टिप्पणी 9.1 – वस्तुसूची (प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणित)				
(ए) कच्चा माल		88.62		56.81
(बी) प्रक्रियागत कार्य		4.06		5.17
(सी) तैयार माल		14533.25		13232.39
(डी) पारगमन में स्टोर		0.00		3.15
(ई) स्टोर और स्पेअर्स	1674.41		1126.42	
(–) अप्रचलित स्टोर और स्पेअर्स के लिए प्रावधान	1.43		1.49	
		1672.98		1124.93
कुल		16298.91		14422.45

31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
टिप्पणी 9.2 – व्यापार प्राप्तियाँ (असुरक्षित)				
(1) अच्छा माना गया				
छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	67.50		18.89	
अन्य ऋण	14137.14		10705.13	
		14204.64		10724.02
(2) संदिग्ध माना गया				
छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		39.36		39.36
(–) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		39.36		39.36
कुल		14204.64		10724.02
टिप्पणी 9.3 – नकद और नकद समकक्ष				
(1) हाथ में रोकड़		8.34		13.53
(2) बैंकों में जमा				
सावधि जमा में		282350.00		280990.00
सावधि जमा में (बैंक गारंटी/एलसी के विरूद्ध मार्जिन मनी के रूप में)		380.31		296.30
विषेश लाभांष खातों में वारंटों का नकदीकरण लंबित		120.73		111.07
चालु खाते में		2150.54		1578.19
कुल		285009.92		282989.09
सावधि जमाओं में 12 माह के बाद परिपक्व होने वाला जमा शामिल है	44.93		0.18	
टिप्पणी 10.1 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम				
(ए) सुरक्षित				
(1) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	74.91			59.25
(बी) असुरक्षित				
(1) कर्मचारियों को अग्रिम		190.74		194.52
(2) स्टोर, स्पेअर्स और मषीनरी की खरीद के लिए अग्रिम	67.11		82.06	
(–) संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	11.75		11.75	
		55.36		
(3) ठेकेदारों और अन्य को अग्रिम	74.04		72.29	
(–) संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	16.28		16.28	
उपर्युक्त में निम्न षामिल है :		57.76		56.01
अधिकारियों को अग्रिम	0.00		0.00	
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेषक को अग्रिम	0.00		0.00	
रिनमॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी	33.21		33.21	
(4) प्राप्य दावे	0.53		0.53	
(–) संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	0.53		0.53	
		0.00		0.00

(5) पूर्वदत्त खर्च	1271.98	1794.24
कुल	1650.75	2174.33
टिप्पणी 10.2 – अन्य चालु परिसंपत्तियाँ		
(1) सावधि और अन्य जमाओं पर अर्जित ब्याज	8276.64	10632.84
(2) फुटकर प्राप्य	1541.56	771.57
कुल	9818.20	11404.41

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण पर टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए		वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए	
टिप्पणी 11.1 – प्रचालन से राजस्व				
(ए) खनन उत्पादों की बिक्री		57179.01		74954.60
(बी) विनिर्मित उत्पादों की बिक्री		5369.33		7355.21
(सी) बिजली की बिक्री		911.66		806.15
		63460.00		83115.96
(–) विनिर्मित उत्पादों पर उत्पाद षुल्क		586.23		82325.15
कुल		62873.77		82325.15
टिप्पणी 11.2 – अन्य आय				
1. अन्य आय				
(ए) प्राप्त ब्याज				
(1) सावधि जमा पर	24324.96		27550.72	
(2) अन्य	81.39		426.27	
		24406.35		27976.99
(बी) कर्मचारियों से वसूली		10.95		10.69
(सी) स्क्रैप की बिक्री		34.92		142.61
(डी) बिक्री–कर सेटऑफ/रिफंड		203.21		240.30
(ई) विविध आय		560.11		847.16
2. रिटर्न बैक प्रावधान				
(ए) अप्रचलित स्टोर की बिक्री पर प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधान		0.05		1.75
(बी) प्रावधान जो अब आवष्यक नहीं है		0.00		2441.09
कुल		25215.59		31660.59

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण पर टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए		वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए	
टिप्पणी 12.1 – कच्चे माल की खपत की लागत				
इलेक्ट्रोलायटिक मैंगनीज डाय–ऑक्साइड प्लांट				
(ए) मैंगनीज अयस्क	13.61		20.77	
(बी) सलफ्युरिक एसिड	16.73		21.88	
(सी) सोडियम कार्बोनेट	2.67		2.00	
(डी) अन्य	3.13		4.57	
		36.14		49.22
फेरो मैंगनीज प्लांट				
(ए) मैंगनीज अयस्क	962.84		1260.08	
(बी) कोक	458.11		710.00	
(सी) कार्बन पेस्ट	32.94		33.48	
(डी) अन्य	243.94		354.32	
		1697.83		2357.88
कुल		1733.97		2407.10
टिप्पणी 13.1 – तैयार माल, प्रक्रियागत कार्य और व्यापारगत भंडार की वस्तुसूची में परिवर्तन				
(ए) खनन उत्पाद				
अंतिम स्कंध	15129.94		10937.69	
(–) प्रारंभिक स्कंध	10937.69		2062.60	
		4192.25		8875.09
(बी) विनिर्मित उत्पाद				
अंतिम स्कंध	1491.40		2299.87	
(–) प्रारंभिक स्कंध	2299.87		1615.68	
		-808.47		684.19
ए		3383.78		9559.28
घटाएं :				
विनिर्मित उत्पादों के स्कंध पर उत्पाद शुल्क				
अंतिम स्कंध पर	165.71		255.54	
(–) प्रारंभिक स्कंध पर	255.54		177.73	
बी		-89.83		77.81
शुद्ध बढ़त/–घटत (ए–बी)		3473.61		9481.47
टिप्पणी 14.1 – कर्मचारी अनुलाभ खर्च				
वेतन, मजदूरी और बोनस		21808.15		21628.27
भविश्य निधि और अन्य निधि में अंषदान		6645.73		3212.40
कल्याण खर्च		1669.19		1436.59
कुल		30123.07		26277.26

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण पर टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए		वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए	
टिप्पणी 14.2 – अन्य खर्च				
अन्य विनिर्माण और प्रषासनिक खर्च, बिक्री खर्च और बट्टे खाते में डालना				
(1) ठेकेदारों के माध्यम से परिवहन, रेलिंग और अन्य कार्य		6708.17		6951.35
(2) स्टोर और स्पेअर्स की खपत		5104.26		5587.96
(3) बिजली और ईंधन		3839.98		4076.60
(4) इमारतों की मरम्मत और रखरखाव	387.59		379.56	
(5) संयंत्र और मषीनरी की मरम्मत और रखरखाव	1092.04		1124.16	
(6) अन्य की मरम्मत और रखरखाव	157.78		151.40	
		1637.41		1655.12
(7) किराया		41.08		31.31
(8) दर और कर		234.80		212.62
(9) बीमा		199.40		225.05
(10) लेखा–परीक्षकों का पारिश्रमिक		9.17		8.47
(11) निदेषकों की बैठक फीस		11.40		12.36
(12) विज्ञापन		119.37		252.05
(13) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास पर खर्च		1447.39		1357.57
(14) विविध खर्च		1663.70		1593.11
(15) रॉयल्टी और उपकर	3689.58		3389.33	
(16) बिक्री पर नकद छूट	213.32		160.81	
(17) आंषिक मालभाड़ा प्रतिपूर्ति	348.67		0.00	
(18) ई–ऑक्षन पर सेवा षुल्क	23.41		61.22	
(19) नमूनाकरण खर्च	6.18		11.61	
		4281.16		3622.97
(20) खदानों पर अन्वेशी ड्रिलिंग	261.05			600.14
(21) ब्लास्टिंग/रॉक यांत्रिकी/स्टोप डिजाइन अध्ययन, इत्यादि पर खर्च	471.56		155.28	
		732.61		600.14
(22) फेंकी गई आस्तियों को बट्टे खाते में डालना	88.99		66.04	
(23) स्टोर्स और स्पेअर्स की कमी को बट्टे खाते में डालना	7.31		4.86	
(24) संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	0.00		5.49	
(25) अंतिम खदान बंद खर्च के लिए प्रावधान	75.77		82.82	
		172.07		159.21
कुल		26201.97		26345.89

*जिला खनिज निधि और राश्ट्रीय खनिज खनन न्यास अंषदान सहित

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर : 111107डब्लू
सी. ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्रः 108665
दिनांक : 24 मई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

नितीन पी. काजरेकर
उप महाप्रबंधक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

व्यापार खण्ड विषयक जानकारी

लेखांकन मानक–17 के अनुसार कंपनी ने खण्ड रिपोर्टिंग पर कंपनी ने तीन व्यापार खण्डों, अर्थात् खनन, विनिर्माण और बिजली उत्पादन को मान्य किया है।

रूपये लाख में

क्र.	विवरण	खनन		विनिर्माण		बिजली निर्माण		विलोपन		समेकित	
		2015–2016	2014–2015	2015–2016	2014–2015	2015–2016	2014–2015	2015–2016	2014–2015	2015–2016	2014–2015
1.	**राजस्व**										
	(ए) बाहरी बिक्री (सकल)	57179.01	74954.60	5369.33	7355.21	911.66	806.15	0.00	0.00	63460.00	83115.96
	(बी) आंतर खण्ड बिक्री	852.33	1128.38	0.00	0.00	606.37	547.91	-1458.70	-1676.29	0.00	0.00
	(सी) कुल राजस्व	58031.34	76082.98	5369.33	7355.21	1518.03	1354.06	-1458.70	-1676.29	63460.00	83115.96
2	**परिणाम**										
	(ए) खण्ड परिणाम	889.01	30706.89	-260.51	1660.53	1181.50	1029.19	0.00	0.00	1810.00	33396.61
	(बी) अन्य आय (राइट बॅक सहित)	25215.59	31660.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25215.59	31660.59
	(सी) कुल खण्ड परिणाम	26104.60	62367.48	-260.51	1660.53	1181.50	1029.19	0.00	0.00	27025.59	65057.20
	(डी) कर पूर्व लाभ									27025.59	65057.20
	(ई) आयकर हेतु प्रावधान									9780.67	19383.39
	(एफ) आस्थगित कर देयताएं/संपत्ति									-53.33	2872.76
	(जी) कर पश्चात लाभ									17298.25	42801.05

क्र.	विवरण	खनन		विनिर्माण		बिजली निर्माण		अ–आबंटित		समेकित	
		2015–2016	2014–2015	2015–2016	2014–2015	2015–2016	2014–2015	2015–2016	2014–2015	2015–2016	2014–2015
	अन्य जानकारी:										
	(ए) खण्ड परिसंपत्ति	63784.80	53788.75	2683.29	2999.24	3059.38	3193.15	303272.64	304814.16	372800.11	364795.30
	(बी) खण्ड देयताएं	10567.84	9271.59	195.39	329.55	389.57	382.14	16310.31	16641.85	27463.11	26625.13
	(सी) पूंजीगत खर्च	7808.37	8897.75	218.10	48.34	0.00	0.00	1757.06	525.46	9783.53	9471.55
	(डी) समाप्त वर्ष के लिए मूल्य ह्रास	5003.01	4259.88	68.99	73.58	174.68	174.68	0.00	0.00	5246.68	4508.14

नोट : उत्पन्न बिजली के लिए बिजली बिलों में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा दिए गए क्रेडिट की राशि से खपत के यूनिटों का बिजली शुल्क समेकित किया गया है तथा खण्ड राजस्व तक पहुंचने के लिए इसे बिजली निर्माण यूनिट के आंतर खण्ड राजस्व के रूप में मान्य किया है।

#अ–आबंटित पूंजीगत व्यय, निगमित संपत्ति तथा निगमित देयताएं शामिल है।

सामाजिक सुख–सुविधाओं का विवरण – वर्ष 2015–16 के लिए व्यय एवं आय

रूपये लाख में

क्र.	विवरण	चालु वर्ष				योग	
		वसाहत	शिक्षा	चिकित्सा*	कल्याण#	2015–16 के लिए	2014–15 के लिए
1	वेतन एवं मजदूरी	89.99	69.48	91.32	542.28	793.07	773.45
2	भविष्य निधि में अंषदान	10.91	8.39	10.85	65.03	95.18	92.81
3	भंडार सामग्री खपत	8.98	39.81	7.84	41.96	98.59	108.04
4	बिजली	155.07	0.00	9.89	69.10	234.06	232.78
5	औषधि एवं इंजेक्शन	0.00	0.00	145.80	0.00	145.80	113.69
6	विविध व्यय	3.19	67.50	195.21	231.04	496.94	452.88
7	ठेकेदार–इमारत/अन्य मरम्मत	376.37	1.26	2.50	86.70	466.83	436.87
	उप जोड़ ए	644.51	186.44	463.41	1036.11	2330.47	2210.52
8	मूल्यह्रास	452.31	48.06	13.12	15.94	529.43	578.33
9	ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप जोड़ बी	452.31	48.06	13.12	15.94	529.43	578.33
10	कुल व्यय (ए+बी) उप जोड़ सी	1096.82	234.50	476.53	1052.05	2859.90	2788.85
	घटाएं:						
	बिजली से आय	5.72	0.00	0.00	0.00	5.72	5.63
	शाला बस से प्राप्ति	0.00	1.84	0.00	0.00	1.84	2.63
	क्रीडा/चिकित्सा/अन्य हेतु कल्याण आयुक्त से प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00
	उप जोड़ डी	5.72	1.84	0.00	0.19	7.75	8.26
11	शुद्ध व्यय (सी–डी)	**1091.10**	**232.66**	**476.53**	**1051.86**	**2852.15**	**2780.59**

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य,
मॉयल लिमिटेड,
नागपुर

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मॉयल लिमिटेड (मूल कंपनी के रूप में संदर्भित) और इसके संयुक्त उपक्रम (संयुक्त उपक्रम के रूप में संदर्भित), जिसे सामुहिक रूप से "समूह" संदर्भित किया जाता है, के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2016 का समेकित तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ–हानि का समेकित विवरण एवं समेकित नकद–प्रवाह विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (इसके बाद समेकित वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित)।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की आवष्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी मूल कंपनी के निदेशक मण्डल की है, जो कंपनी (लेखा) अधिनियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य–निष्पादन और समेकित नकद–प्रवाह की सही और निश्पक्ष स्थिति प्रकट करता हो। समूह में समाविश्ट कंपनियों के संबंधित निदेषक मण्डल की जिम्मेदारी है कि समूह की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोकाधड़ी और अन्य नियमितताओं की रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन और क्रियान्वयन करना; ऐसे निर्णय और आकलन करना जो उचित और दूरदर्शी हो; और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित पर्याप्त अंतर्गत वित्तीय नियंत्रणों की रचना, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सत्यता और सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित होता हो, जो एक सही और निष्पक्ष जानकारी देता हो और भौतिकीय गड़बड़ी से मुक्त हो, फिर चाहे वह धोके से हो या त्रुटि से हो, जो उपरोक्त मूल कंपनी के निदेषकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने प्रयोजन से इस्तेमाल किया जाता रहा है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा–परीक्षा पर आधारित इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है। लेखा–परीक्षा संचालित करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा–परीक्षा मानकों और मुद्दों को ध्यान में रखा है, जिसे अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार अंकेक्षण किया है। उन मानकों से अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनायें और लेखा–परीक्षा यह आष्वस्त होने के लिए करें कि समेकित वित्तीय विवरण भौतिकीय गड़बड़ी से मुक्त है ।

लेखा–परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों के बारे में लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों की भौतिकीय गड़बड़ी के जोखिम का निर्धारण शामिल है, फिर चाहे वह धोके से हो या त्रुटि से हो। उन जोखिम का आकलन करने में अंकेक्षकों ने मूल कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अंतर्गत वित्तीय विवरणों का विचार किया है, जो अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने के लिए सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाते है, जो परिस्थितियों के अनुकूल है लेकिन यह राय व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं है कि क्या मूल कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त अंतर्गत वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और वह नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हो रहे है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और मूल कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ–साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए है और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए है, निम्नलिखित अन्य मामले पैराग्राफ के उप–पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के अनुसार, वह समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा–परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पश्टीकरण के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणियाँ अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी निर्धारित तरीके से प्रदान करती है तथा आम तौर पर भारत में मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2016 को कंपनी की समेकित व्यवहार स्थिति के मामले में; और वर्श समाप्ति की उस तिथि पर उनके समेकित लाभ और समेकित नकद–प्रवाह के मामले में सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रकट करती है।

संयुक्त उद्यम कंपनी – सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड के स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा उपलब्ध कराये गये मुद्दों के प्रभाव को उपर्युक्त संयुक्त उद्यम कंपनी के प्रबंधन द्वारा उचित तरीके से स्पश्ट किया गया है जो **"अनुलग्नक ए"** के रूप में इसके साथ संलग्न किया गया है।

अन्य मुद्दे

हमने संयुक्त रूप से नियंत्रित इन 2 कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च, 2016 को रू. 1505.76 लाख की कुल परिसंपत्तियों को दर्शा रहे है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों को अन्य अंकेक्षकों के द्वारा अंकेक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक राषियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, इन संयुक्त नियंत्रित कंपनियों में शामिल किया गया है और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक उपरोक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी का संबध है, पूरी तरह अन्य अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मुद्दों के संबंध में हमने किए गए कार्य और अन्य अंकेक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए वित्तीय विवरणों पर अपना विश्वास रखा है।

अन्य संवैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवष्यकता के अनुरूप हमारी टिप्पणियाँ –

   ए) हमने वह सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए है जो हमारी सर्वोत्तम ज्ञान एवं विष्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवष्यक थे।

   बी) हमारी राय में इन बही खातों की हमारी जाँच और संयुक्त उद्यम कंपनियों के अंकेक्षकों की रिपोर्टों से यह प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा उपर्युक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने में विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों को रखा गया है।

   सी) इस प्रतिवेदन से संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ–हानि लेखा विवरण और समेकित नकद प्रवाह विवरण मूल कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से रखे गये लेखा–बहियों के साथ और संयुक्त उद्यम कंपनी के अंकेक्षकों की रिपोर्ट के साथ मेल खाते है।

   डी) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते है।

   ई) मूल कंपनी के निदेषकों से दिनांक 31 मार्च, 2016 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर और मूल कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिए अनुसार और भारत में निगमित संयुक्त नियंत्रित कंपनियों के संवैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्टों, अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से दिनांक 31 मार्च, 2016 तक वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान नियुक्त भारत में निगमित संयुक्त नियंत्रित कंपनियों और मूल कंपनी के निदेशकों में से कोई भी अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

   एफ) मूल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और भारत में निगमित संयुक्त नियंत्रित कंपनियों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभाव के संबंध में हमारी स्वतंत्र रिपोर्ट **"अनुलग्नक बी"**, का संदर्भ लें, तथा

   जी) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और अंकेक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में :–

      1. समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव को प्रकट किया है (वित्तीय विवरणों के नोट 1.2 का संदर्भ लें)
      2. व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए भौतिक प्रत्याषित हानियों के लिए प्रावधान की आवश्यकता हो ।
      3. ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो।

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. : 111107डब्लू

सी. ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्रः 108665

रिपोर्ट की तारीख : 27 जून, 2016
हस्ताक्षर का स्थान : **भोपाल**

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

(वर्ष 2015–16 के लिए हमारी रिपोर्ट के राय पैराग्राफ में संदर्भ के अनुसार)

क्र.सं.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणी
1	संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रायवेट लिमिटेड के निगमन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) दोनों पक्षों की समान भागीदारी के साथ दिनांक 11.02.2008 को संयुक्त उद्यम अनुबंध किया गया । कंपनी ने फेरो अलॉय संयंत्र की परियोजना के संबंध में व्यावहारिकता अध्ययन, कारोबार योजना, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन तैयार करने के लिए समय–समय पर विभिन्न परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है, जिसके लिए संयुक्त उद्यम हुआ और संयुक्त उद्यम कंपनी बनायी गई । संयुक्त उद्यम की तारीख अर्थात् 11.02.2008 से अब तक कोई भौतिकीय कार्य शुरू नहीं किया गया है और भौतिकीय कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन द्वारा कोई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये ऐसा नहीं दिखाई देता है। कंपनी को गत वर्श रू. 2.74 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2016 को रू. 3.16 करोड़ की संचित हानि है । हालांकि प्रारंभिक अनुमानित कारोबार योजना के अनुसार 31 मार्च, 2014 को कंपनी का संचित लाभ 293.63 करोड़ था जैसा हमारी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया है । **यह एक लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के रूप में कंपनी को शुरू रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रश्नचिह्न खड़ा करता है । उपर्युक्त आधार की उपयुक्तता अन्य बातों के साथ–साथ परियोजना का समयानुसार पूर्ण होना सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की योग्यता पर निर्भर करती है जिसके लिए इसे शुरू किया गया है । विलंब कंपनी के लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है ।**	संयुक्त उद्यम भागीदार मुख्यतः किफायती दरों पर बिजली के स्रोतों के लिए विभिन्न विकल्पों को खोज रहे है । चूंकि प्रचालनों के समापन या मात्रा कम करने के कोई संकेत नहीं है, प्रोजेक्ट षुरू करने में विलंब, निदेषक मण्डल की राय में, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है।
2	परियोजना भूमि के लिए दीर्घावधि लीज डीड के संबंध में, दिनांक 25.08.2009 को एक लीज डीड निष्पादित किया गया । इस संबंध में हमने निम्नलिखित आकलनों को पाया है : ए) भिलाई के खासादिह गांव में स्थित खसरा क्र. 458(भाग) में 104 एकड़ भूमि और भिलाई बांडाराड गांव में स्थित खसरा क्र. 554 (भाग) में 108 हाऊसिंग यूनिटों के 6 ब्लॉकों सहित 4.59 एकड़ भूमि 33 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर दी गई है । हालांकि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 107 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना चाहिए । लेकिन यह अब तक नहीं हुआ है । हमें यह भी सूचित किया गया है कि भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, हांलाकि कुछ इमारतों को सीमा सुरक्षा बल(एसएसबी) को अस्थायी तौर पर आबंटित किया गया है । बी) लीज डीड के अनुसार लीज के लिए प्रतिफल एकमुश्त प्रीमियम भुगतान होता है । खण्ड 4.3 में यह उल्लेख है कि पट्टाधारी अर्थात् संयुक्त उद्यम कंपनी ने 12 करोड़ का एकमुश्त अप्रतिदेय भूमि प्रीमियम का भुगतान करना चाहिए । प्रतिफल अर्थात् रू. 12 करोड़ पट्टादाता को संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि प्रबंधन ने उत्तर दिया है कि दोनों संयुक्त उद्यम भागीदार केन्द्रीय पीएसयू है और समान प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन संचालित होते है । पक्षों के बीच समझ के अनुसार लीज डीड पंजीकृत हो जाने के बाद राशि का भुगतान किया जाना है । आगे, खण्ड 3.2.3 में उल्लेख है कि डीड के प्रावधानों के अनुसार पट्टाधारी 7 अप्रैल को या इससे पूर्व वार्शिक भुगतान करेगा । हालांकि प्रबंधन इसका अनुपालन करने में विफल रहा है । भुगतान 1 अगस्त, 2015 को किया गया । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी भूमि के भुगतान के लिए सेल की देयता के लिए 47,200 की राशि को बट्टे खाते में डाला है । हालांकि, केपनी ने इसके लिए बकाया पुष्टि को दर्शाया है । सी) प्रबंधन ने हमें टायटल सर्च रिपोर्ट उपलब्ध कराया है । टायटल सर्च रिपोर्ट के अनुसार जो कि राजस्व अभिलेखों पर आधारित है, पट्टा धारित भूमि अब भी पट्टादाता अर्थात् भिलाई स्टील प्लांट के नाम से है । भूमि का उपयोग भी केवल औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नहीं है । हमने विशिष्ट तौर इस मुद्दे पर प्रबंधन के पक्ष के बारे में पूछा । कंपनी के प्रबंधन ने वचन दिया है कि पट्टाधारित परियोजना भूमि के कब्जे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राजस्व प्राधिकारियों की उपस्थिति में आवश्यक डिमार्केषन प्रक्रिया पूरी करवायी जाएगी और इसके बाद लीज डीड का पंजीकरण, प्रीमियम का भुगतान और भूमि के उपयोग में परिवर्तन किया जाएगा । हालांकि प्रबंधन ने हमें उत्तर दिया है कि राजस्व प्राधिकारियों की उपस्थिति में भूमि के डिमार्केशन का मामला नंदिनी के इस्टेट विभाग तक ले जाया गया है । उन्होंने उत्तर दिया है कि यह संभव नहीं होगा क्योंकि राजस्व प्राधिकारियों के भूमि अभिलेखों में कंपनी का नाम दर्शाया नहीं है । डी) भूमि प्रीमियम के मूल्यांकन के लिए आधार उपलब्ध कराया गया है । कंपनी के प्रबंधन ने आगे हमें आश्वस्त किया है कि भिलाई स्टील प्लांट / सेल के बहीखातों में उल्लेखित भूमि को संपत्ति के रूप में नहीं दर्शाया गया है ।	प्रत्येक मुद्दों पर कंपनी के पक्ष को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में शामिल किया गया है । आवश्यक औपचारिकताओं पर कार्य जारी है और निर्धारित अवधि में पूर्ण हो जाएगा ।

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. : 111107डब्लू

सी. ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्रः 108665

रिपोर्ट की तारीख : 27 जून, 2016
हस्ताक्षर का स्थान : **भोपाल**

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "बी"

मॉयल लिमिटेड

(वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3)(i) के अनुसार और हमारी रिपोर्ट की विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैरा 3(एफ) के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने मॉयल लिमिटेड ("मूल कंपनी") की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ हमने मूल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण किया है और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के स्वतंत्र अंकेक्षकों की उसी तारीख की रिपोर्ट पर विश्वास रखा है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

मूल कंपनी और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के संबंधित निदेशक मण्डल इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शी नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों का विचार करके मूल कंपनी और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के अंतर्गत आवष्यकता के अनुसार कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोकाधड़ी का पता लगाना और रोकथाम करना, लेखा अभिलेखों की सत्यता और संपूर्णता, तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथासमय तैयार करने सहित इसके कार्यकलापों का यथासमय और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना, कार्यान्वयन और प्रबंधन शामिल है, जो प्रभावी रूप से संचालित हो।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा–परीक्षा पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है। इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा–परीक्षा के मानकों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी नोट (मार्गदर्शी नोट) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित के अनुसार हमने हमारा अंकेक्षण किया है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षा पर लागू है, और दोनों इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए है। उन मानकों से अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनायें और लेखा–परीक्षा यह आष्वस्त होने के लिए करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया गया और प्रबंधन किया गया और ऐसे नियंत्रण सभी भौतिकीय मायनों में प्रभावी रूप से संचालित है ।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और इसके प्रभावी संचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना षामिल है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर सहमति प्राप्त करना, भौतिकीय कमजोरी होने के जोखिम का निर्धारण करना, निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रचना और प्रभावी संचालन का परीक्षण और मूल्यांकन करना षामिल है । चयनित प्रक्रिया अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिकीय गड़बड़ी के जोखिम का निर्धारण शामिल है, फिर चाहे वह धोके से हो या त्रुटि से हो।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए है वह मूल कंपनी और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के मामले में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा–परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए बनायी गई एक प्रक्रिया है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियॉं और प्रक्रिया शामिल है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में, जो कंपनी की संपत्तियों के संव्यवहारों और प्रबंधनों का उपयुक्त विवरण सही और निश्पक्ष रूप से प्रदर्षित करते हो, (2) उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराने के संबंध में कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरण बनाने की अनुमति के लिए अपेक्षित संव्यवहारों को अभिलेखित किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेषकों के प्राधिकरण के अनुसरण में ही किया जा रहा है, तथा (3) कंपनी की संपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या प्रबंधन का यथासमय पता लगाने या रोकथाम के संबंध में उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराने कि लिए, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिकीय प्रभाव डाल सकते है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा के कारण सॉठ–गॉठ या अनुचित प्रबंधन से नियंत्रणों का उल्लंघन, गलती या धोकाधड़ी से भौतिकीय गलतबयानी हो सकती है, और पता नहीं चली हो । इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्रदर्शन इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर भ्रष्ट हो सकता है ।

राय

हमारी राय में, समूह का 31 मार्च, 2016 को सभी भौतिकीय मायनों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में उल्लेखित आंतरिक निंयत्रण के आवश्यक घटकों का विचार करते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदण्डों के आधार पर प्रभावी रूप से संचालित हो रहा था।

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. : 111107डब्लू

सी. ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्र: 108665

रिपोर्ट की तारीख : 27 जून, 2016
हस्ताक्षर का स्थान : **भोपाल**

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
1. इक्विटी और देयताएँ					
(1) अंशधारकों की निधि					
(ए) शेयर पूंजी	2.1	16800.00		16800.00	
(बी) आरक्षित निधि तथा अधिशेष	2.2	328378.72		321232.76	
			345178.72		338032.76
(2) गैर–चालू देयताएँ					
(ए) दीर्घकालिक उधार राशियाँ		0.00		0.00	
(बी) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)		1047.32		1100.64	
(सी) दीर्घकालिक प्रावधान	3.1	861.81		786.05	
(डी) अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	3.2	170.12		313.69	
			2079.25		2200.38
(3) चालु देयताएँ					
(ए) अल्पकालिक उधार राशियाँ		0.00		0.00	
(बी) व्यापार देय	4.1	339.28		351.39	
(सी) अन्य चालु देयताएँ	5.1	18255.15		15995.71	
(डी) अल्पकालिक प्रावधान	5.2	7463.97		8752.72	
			26058.40		25099.82
	कुल		**373316.37**		**365332.96**
2. परिसंपत्ति					
(1) गैर–चालु परिसंपत्ति					
(ए) अचल संपत्ति					
(1) वास्तविक संपत्ति	6.1	30352.62		28536.63	
(2) अवास्तविक संपत्ति	6.1	1224.11		1360.35	
(3) पूंजी चालु–कार्य	6.1	6913.07		5405.43	
(4) विकासशील अवास्तविक संपत्ति	6.1	1276.73		35.15	
(बी) गैर–चालु निवेश	7.1	1.29		1.29	
(सी) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	1.2(12)	0.00		0.00	
(डी) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	8.1	4314.39		5944.96	
(ई) अन्य गैर–चालु संपत्ति	8.2	2154.80		2235.35	
			46237.00		43519.16
(2) चालु परिसंपत्ति					
(ए) चालु निवेश		0.00		0.00	
(बी) वस्तुसूची	9.1	16298.91		14422.45	
(सी) व्यापार प्राप्तियाँ	9.2	14204.64		10724.02	
(डी) नकद और नकदी समकक्ष	9.3	285119.21		283099.81	
(ई) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	10.1	1636.33		2159.91	
(एफ) अन्य चालु संपत्ति	10.2	9820.29		11407.62	
			327079.37		321813.80
	कुल		**373316.37**		**365332.96**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियॉ जो लेखा 1.1 और 1.2 का भाग है, हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर : 111107डब्लू
सी. ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्रः 108665
दिनांक : 27 जून, 2016
स्थान : भोपाल

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

नितीन पी. काजरेकर
उप महाप्रबंधक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का समेकित विवरण

रूपये लाख में

	विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्ष 2015–16 के लिए		वर्ष 2014–15 के लिए	
1.	प्रचालन से राजस्व (उत्पाद शुल्क का शुद्ध)	11.1	62873.77		82325.15	
2.	अन्य आय	11.2	25220.29		31668.48	
	कुल राजस्व			88094.06		113993.63
3.	व्यय :					
	सामग्री उपभोग की लागत	12.1	1733.97		2407.10	
	तैयार माल, चालु–कार्य और व्यापारगत माल की वस्तुसूची में परिवर्तन	13.1	-3473.61		-9481.47	
	कर्मचारी लाभ खर्च	14.1	30123.07		26277.26	
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	6.1	5264.99		4527.30	
	अन्य खर्च	14.2	26209.22		26353.54	
	उप जोड़		59857.64		50083.73	
	घटाएं : आंतर ईकाई हस्तांतरण		852.33		1128.38	
	कुल खर्च			59005.31		48955.35
4.	असाधारण और असामान्य वस्तुओं और कर पूर्व लाभ			29088.75		65038.28
5.	असाधारण वस्तुएं			2084.02		0.00
6.	असामान्य वस्तुओं और कर पूर्व लाभ			27004.73		65038.28
7.	असामान्य वस्तुएं			0.00		0.00
8.	कर पूर्व लाभ			27004.73		65038.28
9.	कर व्यय					
	(ए) चालु कर		9780.67		19383.39	
	(बी) आस्थगित कर		-53.33		2872.76	
				9727.34		22256.15
10.	अवधि के लिए कर पश्चात लाभ			17277.39		42782.13
11.	प्रति इक्विटी शेयर आय :					
	1. मूल		10.28			25.47
	2. डायल्यूटेड		10.28			25.47

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियाँ जो लेखा 1.1 और 1.2 का भाग है

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर : 111107डब्लू
सी. ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्र: 108665
दिनांक : 27 जून, 2016
स्थान : भोपाल

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

नितीन पी. काजरेकर
उप महाप्रबंधक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

रूपये लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए		वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए	
ए प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
कर और लाभांष से पूर्व शुद्ध लाभ		27004.73		65038.28
समायोजन –				
(ए) सावधि जमा पर ब्याज	-24329.12		-27558.22	
(बी) मूल्यह्रास	5264.99		4527.30	
(सी) स्थायी संपत्तियों से कटौती	88.99		66.03	
		-18975.14		-22964.89
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ		8029.59		42073.39
समायोजन –				
(ए) वस्तुसूची	-1876.46		-9511.52	
(बी) विविध देनदार	-3480.62		593.54	
(सी) अन्य चालु / गैर–चालु संपत्तियाँ (अल्पावधि और दीर्घावधि)	1587.33		171.03	
(डी) ऋण और अग्रिम (अल्पावधि और दीर्घावधि)	2234.71		-2264.27	
(ई) देयताएं और प्रावधान (अल्पावधि और दीर्घावधि)	890.78		-8925.03	
		-644.27		-19936.25
प्रचालनों से उत्पन्न नकद		7385.31		22137.14
वर्ष के दौरान कराधान के लिए प्रावधान		-9780.67		-19383.39
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद		-2395.36		2753.75
बी निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
(ए) सावधि जमा पर ब्याज	24329.12		27558.22	
(बी) अचल संपत्ति की खरीदी	-9782.95		-9484.49	
(सी) निवेश की खरीदी/बिक्री	0.00		0.00	
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकद		14546.17		18073.73
सी वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
(ए) लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		-10131.42		-17135.16
डी नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़त/(–)घटत		2019.39		3692.32
ई प्रारंभिक नकद और नकद समतुल्य		283099.81		279407.49
अंतिम नकद और नकद समतुल्य		285119.21		283099.81
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़त/(–)घटत		2019.39		3692.32
टिप्पणी : नकद और नकद समकक्ष में विषेश लाभांष खातों में जमाशेष, वारन्ट के लंबित नकदीकरण, जो कंपनी के पास उसके उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है ।		120.73		111.07

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर : 111107डब्लू
सी. ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्रः 108665
दिनांक : 27 जून, 2016
स्थान : भोपाल

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

नितीन पी. काजरेकर
उप महाप्रबंधक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

समेकित वित्तीय विवरण

टिप्पणी संख्या 1.1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. स्थायी परिसंपत्ति का लेखांकन

ए) स्थायी परिसंपत्ति का मूल्यांकन

स्थायी परिसंपत्ति मूल लागत पर कम संचित मूल्यह्रास पर रखी जाती है। भूमि के विकास पर खर्च जिसमें लीजहोल्ड भूमि भी शामिल है, भूमि की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। लागत में परीक्षण संचालन सहित सभी पहचान योग्य खर्च राजस्व का षुद्ध षामिल है।

बी) मूल्यह्रास और परिशोधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्धारित किए अनुसार, समय–समय पर किए गए संषोधनों के अनुसार (1) विंड टरबाइन जनरेटर के मामले में स्ट्रेट लाइन प्रणाली तथा (2) अन्य सभी परिसंपत्तियों पर रिटर्न डाऊन वैल्यु प्रणाली के आधार पर, विभिन्न परिसंपत्तियों के उपयोग की अवधि पर आधारित, मूल्यह्रास की गणना की जाती है । जब कोई परिसंपत्ति पहली बार उस माह के दौरान किसी दिन उपयोग में लायी जाती है, तो पूरे माह के लिए मूल्यह्रास की गणना की जाती है।

पट्टाधारी भूमि की लागत, वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्यों को षामिल करते हुए पट्टे की कालावधि पर परिशोधित की जाती है।

नई खदानों या मौजूदा खदानों में किए जा रहे भूमिगत विकास पर खर्च से स्थायी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं (तकनीकी निर्धारण पर आधारित), जो उत्पादन प्रारंभ होने वाले वर्ष में पूँजीकृत है, उसे दस वर्ष की कालावधि पर परिशोधित किया जाता है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची–II में निर्धारित संपत्ति के उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन पद्धति से मूल्यह्रास गणना की जाती है, जो मॉयल लिमिटेड की नीति की अपेक्षानुरूप नहीं है (नोट नं. 1.2 (ए) 1 में विवरण दिया गया है) ।

सी) परिसंपत्ति पर हानि बट्टा खाता

गिराई गई/हटाई गई सभी परिसंपत्तियों का स्क्रैप मूल्य षून्य मानकर बट्टे खाते में डाला जाता है। यदि और जब ऐसी स्क्रैप परिसंपत्तियों का आंशिक या पूरी तौर पर निपटान किया जाता है, तब बिक्री के रूप में वर्ष के दौरान वसूल हुई राशियों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में जमा किया जाता है।

डी) निर्माणकार्य अवधि के दौरान खर्च

विषिश्ट प्रकल्पों को पूर्ण तथा प्रतिस्थापित किए जाने की तारीख तक निर्माण अवधि के दौरान उस प्रकल्प पर किए जाने वाले सभी खर्च जो प्रत्यक्ष पहचाने गए है, संबंधित प्रकल्प के नाम डाले जाते है।

ई) निर्माणकार्य अवधि के दौरान ब्याज

निर्माणकाल में आरंभ होने से समाप्त होने तक विशिष्ट परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण (ऋण पर अन्य संबंधित वित्तीय लागत का समावेश करते हुए) पर ब्याज पूंजीकृत किया जाता है।

एफ) संपत्ति की हानि

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को निर्धारण करती है कि क्या ऐसे कोई संकेत है कि संपत्ति में हानि हो सकती है। यदि ऐसे कोई संकेत होते है तो कंपनी संपत्तियों की वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। यदि ऐसी वसूली योग्य राशि इसकी वास्तविक राशि से कम होती है तो वास्तविक राषि को उसकी वसूली योग्य राषि तक कम किया जाता है। इस कमी को हानि के रूप में माना जाता है और लाभ–हानि खाते में दिखाया जाता है। यदि ऐसे कोई संकेत होते है कि पहले निर्धारण की गई हानि अब नहीं है तो वसूली योग्य राशि को पुर्ननिर्धारित किया जाता है और संपत्ति को वसूली योग्य राशि में परिलक्षित किया जाता है।

2. निवेश

शेयरों में दीर्घकालिन निवेष को लागत में डाला जाता है। यदि अस्थायी प्रकृति के न हो तो मूल्य में घटत का प्रावधान किया जाता है।

3. बंद भंडार का मूल्यांकन

वस्तुसूची का निम्न आधार पर मूल्यांकन किया जाता है:–

ए) तैयार माल

1. सभी ग्रेड के मैंगनीज अयस्क (फाइन्स, हच डस्ट एवं एचआईएमएस रिजेक्ट छोड़कर) :– खदानों पर लागत के आधार पर जिसमें खदान परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें जो कम है, शामिल है।
2. मैंगनीज अयस्क फाइन्स, हचडस्ट एवं एचआईएमएस रिजेक्ट्स :– जिगिंग/प्रोसेसिंग, परिवहन इत्यादि पर प्रतिटन खर्च के आधार पर तकनीकी अनुमान या षुद्ध बिक्री योग्य मूल्य पर, इसमें जो भी कम है, आबंटन किया जाता है।
3. बंदरगाहों पर मैंगनीज अयस्क :– बंदरगाहों पर उतराई पश्चात प्राप्त लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इसमें से जो भी कम है। उतराई लागत में परिवहन किराया, उतराई खर्च, नमूना परीक्षण का खर्च आदि का समावेश होता है।

   प्रत्यक्ष भंडार एवं पुस्तकीय भंडार के अंतर का समायोजन तब तक नहीं किया जाता, जब तक खदानों में स्थित भंडार का कुल पुस्तकीय भंडार से तुलना करने पर अधिक पाया नहीं जाता। जब भी वास्तविक तौर पर अयस्क भेजा जाता है और रेलवे/जहाजों में माल भरने के बाद प्रत्येक पारेषण के अनुसार आने वाली अधिकता या कमी निर्धारित की जाती है तब उसका उस वर्ष के कंपनी के पुस्तकों में लेखाकृत किया जाता है।
4. इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय ऑक्साइड (ईएमडी) (उत्पादन के विविध चरणों में 31 मार्च के अनुसार प्रक्रियागत भंडार के साथ जिसकी निश्चिती ईएमडी की पूर्ण निर्मित यूनिटों के प्रतिशत से संबंधित तकनीकी प्राक्कलनों द्वारा की जाती है) :– संयंत्र का मूल्यह्रास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो का समावेष करते हुए चालु वर्ष की उत्पादन लागत पर।
5. ए) तकनीकी मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित केक रूप में शामिल करते हुए फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज का 31 मार्च को निर्धारण तकनीकी मूल्यांकन द्वारा किया जाता है :– चालु वर्ष की उत्पादन लागत जिसमें फेरो मैंगनीज संयंत्र का मूल्यह्रास (स्लैग का वसूली योग्य मूल्य कम करके) अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें से जो भी कम हो।

   बी) प्रक्रियागत भंडार :– प्रक्रिया से गुजरने वाले फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज की मात्रा को तोला नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता और इसलिए उसका कोई भी मूल्य नियत नहीं किया जाता है।

   सी) स्लैग का भंडार : स्लैग यह फेरो मैंगनीज की उत्पादन प्रक्रिया में निर्मित अशुद्ध द्रव्यों का एक पिघला हुआ पिंड होता है उसे स्क्रैप माना जाता है तथा वसूली योग्य कीमत पर मूल्य आंका जाता है।

बी) भंडार सामग्री वस्तुसूची (सामग्री, कलपूर्जे, टिम्बर, विस्फोटक, ईंधन एवं लुब्रीकेन्ट्स और कच्चा माल) :– भारित औसत पद्धति पर लागत निर्धारित की जाती है।

1. सभी भंडार सामग्री, स्पेअर्स आदि का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है। प्रत्यक्ष भंडार एवं पुस्तकीय भंडार के अंतर की जाँच की जाती है तथा लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन किया जाता है।
2. फेरो मैंगनीज संयंत्र के मामले में, संयंत्र में उपलब्ध मैंगनीज अयस्क छोड़कर कच्चे माल के भंडार का मूल्य भारित औसत पद्धति के लागत पर किया जाता है। संयंत्र में विद्यमान मैंगनीज अयस्क के भंडार का मूल्य चालु वर्ष की उत्पादन कीमत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें जो कम हो तथा परिवहन खर्च तथा अन्य खर्च, यदि कोई हो, तो उसे मिलाकर मूल्यांकित किया जाता है। प्लांट में उपलब्ध अयस्क का खुला एवं बंद भंडार को "स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल" के शीर्षक में वर्गीकृत किया जाता है।

4. बिक्री

रेलवे रसीद/लॉरी रसीद/डिलिवरी चालान के आधार पर माल की रवानगी के पष्चात बिक्री इनवॉइज तथा राजस्व को लेखा पुस्तकों में मान्य किया जाता है तथा लेखा पुस्तकों में राजस्व स्वीकार किया जाता है।

ए) मैंगनीज अयस्क की बिक्री

1. लॅबारेटरी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुणवत्ता में अंतर के लिए पूरक बिलों को प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्श में नियत तारीख तक प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टो को प्रेशण के वर्श में विचार किया जाता है। तदनुसार पूरक बिल प्रस्तुत किए जाते है और उसी वर्ष हिसाब में रखे जाते है। नियत तारीख के बाद प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टो के संबंध में इसे आगामी वर्ष में शामिल किया जाता है।
2. बिक्री में रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड और नैषनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट अंषदान शामिल रहता है।

बी) ईएमडी/फैरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज/स्लैग की बिक्री

ईएमडी, फेरो मैंगनीज तथा स्लैग की बिक्री में इस पर लागू उत्पाद शुल्क एवं शिक्षा उपकर का समावेष है।

सी) मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को विद्युत की बिक्री

विद्युत बिक्री समझौते में मंजूर किए गए शुल्क दर के आधार पर ग्रिड में डाली गई उर्जा के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता है।

5. अन्य आय

ए) विविध देनदारों से ब्याज आय इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक–9 के निर्देश अनुरूप निम्नानुसार माने जाते है :

1. जहाँ देनदारों से वसूली की बैंक द्वारा क्रेडिट पत्र से पुष्टि की जाती है और जहाँ उसकी वसूली सुनिश्चित होती है वहाँ उपार्जन आधार पर स्वीकृति की जाती है।

   चालु वित्तीय वर्ष के बाहर ऋण टर्म के लिए ग्राहक को ब्याज बिल जिस वर्ष से संबंधित हो उस वर्श के लिए मान्य किया जाता है।

2. जहाँ देनदारों से वसूली बैंक के मार्फत क्रेडिट पत्र द्वारा पुश्टि नहीं की गई हो, जहाँ वसूली मूल्य अनिश्चित हो, वहाँ प्रबंधन के अनुभव के आधार पर जब कभी वास्तविक वसूली मूल्य प्राप्त होता है उसे आय के तौर पर माना जाता है।

बी) जमा राशियाँ एवं पेषगियों पर प्राप्त ब्याज आय, उपार्जन आधार पर मान्य की जाती है।

सी) बदले गए घिसे हुए पार्ट/स्क्रैप पूंजीगत सामग्री के संबंध में ज्ञापन अभिलेख रखे जाते है। जब उसका निपटारा किया जाता है तब वह आय, उस वर्श में विविध प्राप्तियों के लेखे में डाली जाती है।

6. कैप्टिव खपत

मैंगनीज अयस्क

ईएमडी/फेरो मैंगनीज के उत्पादन हेतु कच्चे माल के तौर पर निर्गमित किया गया मैंगनीज अयस्क, फाइन्स/एचआईएमएस रिजेक्ट्स का मूल्य चालु वर्ष के उत्पादन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले तरीके से फाइन्स/एचआईएमएस रिजेक्ट का मूल्यांकन प्रति टन पर मूल्यांकित किया जाता है। अयस्क की खपत औसत लागत के आधार पर हिसाब में ली जाती है। निर्गमित अयस्क का मूल्य, अयस्क उत्खनन/प्रचालन खर्च से कम किया जाता है तथा "विनिर्माण खर्च" के मद में कच्चे माल की खपत के तौर पर मान्य किया जाता है।

विद्युत

पवन उर्जा संयंत्र यूनिट से निर्माण की गई बिजली तथा खदान/संयंत्र में उपयोग की गई इस बिजली को निर्माण लागत के आधार पर संबंधित ईकाई को प्रभारित किया जाता है।

7. बिक्रीकर, आयकर आदि

ए) बिक्रीकर, आयकर आदि के संबंध में जिस वर्ष में कर निर्धारण आदेश कंपनी द्वारा प्राप्त तथा स्वीकृत किया जाता है, उक्त आदेश के अनुसार देय या प्राप्त बकाया राशि को, वह आदेष किस वर्ष से संबंधित है इसे ध्यान में न लेते हुए उक्त आदेश प्राप्ति के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

बी) क्रय के आधार पर बिक्री कर में छूट का दावा किया जाता है। छूट के दावे की राशि तथा वास्तविक स्वीकृत छूट को जिस वर्ष में निर्धारण आदेश कंपनी को प्राप्त होता है और स्वीकार किया जाता है, उस वर्श में हिसाब में लिया जाता है।

8. कार्मिकों के अनुलाभ

ए) कर्मचारियों के अल्पकालिक लाभ

जिस वर्ष में संबंधित सेवा दी गई है उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में छूट मुक्त राशि खर्च, अल्पकालिक कर्मचारी लाभ खर्च के तौर पर माना जाता है।

बी) नियोजनोत्तर लाभ

नियोजनोत्तर लाभ में भविश्य निधि, उपदान, छुट्टी नकदीकरण, पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं जैसे लाभ शामिल है।

1. परिनिश्चित लाभ योजना

जिस वर्ष में कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई, उस वर्ष के लाभ–हानि लेखा में नियोजनोत्तर एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ को खर्च के रूप में मान्य किया जाता है। देय राशि के वर्तमान मूल्य पर खर्च को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए, खर्चों को मान्य किया जाता है। नियोजनोत्तर एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ से संबंधित बीमांकित प्राप्ति एवं हानि को लाभ हानि लेखा में दर्ज किया जाता है।

चिकित्सा सुविधा जैसे अनुलाभ बीमा पॉलिसी में शामिल होते है और बीमा प्रीमियम की राशि को उस वर्ष के लाभ हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिस वर्ष में उसे किया गया ।

2. परिनिश्चित अंशदान योजना

परिनिश्चित अंशदान योजना, नियोजनोत्तर लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत कंपनी अलग–अलग निधियों में तयशुदा अंशदान का भुगतान करती है। परिनिश्चित अंशदान योजना में कंपनी का योगदान संबंधित वित्त वर्ष के लाभ हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

9. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति खर्च

कंपनी व्यय की संपूर्ण राषि को उस वर्श के लाभ–हानि लेखा में दर्ज करती है जिस वर्ष में उसे किया गया ।

10. कल्याण आयुक्त से प्राप्त सब्सिडी का लेखांकन

ए) श्रमिक निवास

कंपनी ने कुछ श्रमिक निवासों का निर्माण किया है/कर रही है, जिसके लिए कंपनी को कल्याण आयुक्त से सब्सिडी मिल रही है। चूंकि जिस भूमि पर इन निवास स्थानों को निर्माण किया जाता है वह भूमि कल्याण आयुक्त के सुपुर्द की जाती हैं और यह परिसंपत्ति (निर्मित निवासस्थान) कल्याण आयुक्त की ओर अभ्यर्पित की जाती है। इसलिए इसमें कंपनी द्वारा किया गया पूरा खर्च तथा प्राप्त हुई सब्सिडी भी जिस वर्श में खर्च की जाती है/सब्सिडी प्राप्त होती है, उस वर्ष के राजस्व खाते पर दर्ज की जाती है।

बी) कल्याण परिसंपत्ति

परिसंपत्तियाँ जैसे स्कूल बस, रूग्णवाहिका, जलापूर्ति योजना आदि जो कल्याण योजना के अधीन आती है, के अर्जन का पूरा खर्च, जिस वर्ष में किया जाता है उसी वर्ष के संबंधित परिसंपत्ति लेखा में डाला जाता है। प्राप्त हुई सब्सिडी की राशि को आवक वर्ष के उसी परिसंपत्ति के शीर्षक खाते में जमा किया जाता है और बाद में मूल्यह्रास उस वर्ष से परिसंपत्ति के कम किए मूल्य पर आंका जाता है।

11. कंपनी के दावे

बीमा कंपनी/रेलवे में दाखिल किए दावों की राषियों का उचित निष्चित मूल्यांकन करके उस वर्श के दौरान दावा की गई राशियों के आधार पर लेखे में लिया जाता है और यदि कोई अंतर हो तो दावे के निर्धारण पर उसे समायोजित किया जाता है।

12. पूर्वदत्त खर्च

जहाँ 1.00 लाख रूपये से ज्यादा के प्रत्येक मामले में भुगतान हो उसे केवल पूर्वदत्त खर्च माना जाता है।

13. संदिग्ध कर्ज हेतु प्रावधान

पिछले दो वर्षों से अधिक रूके हुए फुटकर ऋणों के लिए प्रत्येक मामले की खराब तथा संदिग्ध ऋणों की अलग–अलग समीक्षा के आधार पर प्रावधान किया जाता है। निजी पार्टियों के नाम पर तीन वर्शों से अधिक अवधि तक बकाया ऋण राशियों के लिए निष्चित रूप से व्यवस्था की जाती है।

14. अनुसंधान एवं विकास खर्च

अनुसंधान एवं विकास खर्च उसी वर्ष के लाभ हानि लेखा में दर्ज किया जाता है, यद्यपि अनुसंधान एवं विकास के लिए स्थायी परिसंपत्ति पर हुआ खर्च अन्य स्थायी परिसंपत्ति खर्च के समान ही माना जाता है।

15. खान बंद का खर्च

संबंधित नियमों एवं अधिनियमों के तहत तकनीकी मूल्यांकन करके, अंतिम खान बंद करने का वित्तीय प्रभाव, उपलब्ध अयस्क भंडार के आधार पर निकाला जाता है। जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर सभी खदानों के संपूर्ण उत्पादन को ध्यान में लेने के बाद लेखों में प्रावधान किया जाता है।

16. वन भूमि को अ–वनभूमि हेतु बदलने के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्यांकन

संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने पर देनदारियाँ तय की जाती है।

17. पूर्वावधि खर्च

पिछले वर्ष (वर्षों के) के मूलभूत 'कमीशन या ओमिशन' की त्रुटियों को पिछली अवधि के समायोजित खाते में डेबिट/क्रेडिट डालकर सुधारित किया जाता है।

18. तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाले महत्वपूर्ण लेनदेन के मामले

तुलन पत्र के तारीख के बाद तथा उसके अनुमोदित होने के पश्चात महत्वपूर्ण घटनाओं के उल्लेखनीय प्रभाव को या तो तुलन पत्र तथा लाभ हानि विवरण से संतुलित किया जाता है या निदेशक रिपोर्ट में विशेष तौर पर उल्लेखित किया जाता है।

19. खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग कंपनी की लेखांकन नीतियों के समान है । खण्ड की संचालित गतिविधियों के साथ उनके संबंध के आधार पर खण्डों के राजस्व एवं व्ययों की पहचान कर ली गई है । राजस्व, व्ययों, संपत्तियों और देयताओं जो समुचित आधार पर खण्ड में विनियोज्य नहीं है, "अ–आबंटित राजस्व/व्यय/संपत्ति/देयता" के अंतर्गत शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण

टिप्पणी संख्या 1.2 (ए)

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियाँ

1. मॉयल लिमिटेड (इसके पष्चात कंपनी या मूल कंपनी के रूप में संदर्भित) से संबंधित समेकित वित्तीय विवरण और संयुक्त रूप से नियंत्रित दो कंपनियों में उनके हितों का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	कंपनी का नाम और निगमन का देश	31.03.2016 को शेयर होल्डिंग का अनुपात (%)	31.03.2015 को शेयर होल्डिंग का अनुपात(%)
1	रिनमॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड भारत	50%	50%
2	सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड भारत	50%	50%

इन संयुक्त उद्यम कंपनियों को इसके पष्चात जेवी के रूप में संदर्भाकित किया जाएगा । जेवी के वित्तीय विवरण समेकित है और 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है । लेखांकन और समेकन का आधार नीचे दिया गया है ।

समेकन के सिद्धांत :

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक–21 तथा संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक–27 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक–21 के अनुसार आंतर–समुह अधिशेष और आंतर–समुह संव्यवहारों और अप्राप्त लाभ या हानि का निरसन करने के पश्चात संपत्ति, देयता, आय और व्यय के मदों का पुस्तकीय मूल्य एकसाथ जोड़कर मूल कंपनी और इसके जेवी के वित्तीय विवरणों को एक क्रमवार आधारित आनुपातिक समेकन पद्धति अपनाते हुए संयुक्त किया गया है।

वित्तीय विवरणों को बनाने में वही लेखांकन नीति का पालन किया जाता है केवल मूल्यहास के मामले को छोड़कर, जहॉ जेवी के मामलों में सभी संपत्ति पर मूल्यहास स्ट्रेट लाइन पद्धति से (मूल कंपनी में पालन किए जाने वाले रिटर्न डाउन वैल्यु के विरूद्ध) लगाया जाता है। हालांकि, इसका असर मामूली होता है, जैसा कि नीचे वर्णित है :

क्र.सं.	विवरण	राशि (जेवी) रू. लाख में	कुल (समेकित) रू. लाख में	अनुपात	अभ्युक्ति
रिनमॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड (जेवी)					
1	स्थायी संपत्ति (शुद्ध)	7.87	39766.53	0.02%	डब्लूडीवी प्रणाली के स्थान पर एसएलएम प्रणाली
2	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	0.29	5264.99	0.01%	
सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड (जेवी)					
1	स्थायी संपत्ति (शुद्ध)	479.44	39766.53	1.21%	डब्लूडीवी प्रणाली के स्थान पर एसएलएम प्रणाली

समेकित वित्तीय विवरण

टिप्पणी संख्या 1.2 (बी)

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं

ए) ऋण के तौर पर अस्वीकृत कंपनी के विरूद्ध दावे –

रूपये लाख में

	दावों का विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1	वेतन एवं अन्य अनुलाभ के लिए कार्मिकों द्वारा	218.00	205.00
2	तिरोडी खदान से अयस्क की रेलिंग पर परिवहन शुल्क के भुगतान के लिए वन विभाग द्वारा	86.08	86.08
3	आर्बिट्रेशन अवार्ड पर ब्याज	908.96	678.25
4	प्रवेष कर, केन्द्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर तथा कर्मचारियों का प्रोफेशनल टैक्स	83.22	75.37
5	अपील के अंतर्गत विवादित आयकर (पहले से भुगतान किया कर रू. 1569.39 (रू. 1364.29) लाख	1615.00	1569.39
6	बैंक गारंटी / क्रेडिट पत्र के अंतर्गत वित्तीय आश्वासन पर आकस्मिक देयता (बराबर राशि की सावधि जमा द्वारा प्रस्तुत)	380.31	296.30

बी) अपूर्ण संविदाओं की अनुमानित राशि पूंजीगत खातों में दर्शाई गई है तथा इसके लिए रू. 12,084.45 (रू. 9,074.94) लाख का प्रावधान नहीं किया गया था। इस प्रकार की संविदाओं के लिए अग्रिम राशि रू. 71.84 (रू. 78.99) लाख भुगतान किया गया है।

2. (ए) कंपनी की 761.60 वर्ग मीटर भूमि को एकीकृत सड़क विकास योजना के तहत नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा अधिगृहीत किया गया है। कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने संबंधी लेखी याचिका को उच्च न्यायालय, नागपुर द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। याचिका के लंबित होने से उसके लिए पुस्तकों में कोई समायोजन नहीं किया गया।

(बी) भूमि में कंपनी द्वारा पट्टे पर ली गई 108.59 एकड़ भूमि शामिल है जिसके संबंध में लीज डीड का पंजीकरण लंबित है।

3. (ए) वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन वर्ष के अंत में किया जाता है।

(बी) संयंत्र के बारे में अधिकांश कच्चा माल एवं तैयार माल की वस्तुसूची का उत्पादन/तकनीकी विभाग द्वारा भार–परिमाण अनुपात के अनुसार निर्णय लिया जाता है और उसके अनुसार उसे हिसाब में लिया जाता है।

(सी) 0.96 (6.49) लाख रूपये मूल्य का 18.53 (145.14) एमटी मैंगनीज अयस्क का स्टॉक 31.03.2016 को फेरो मैंगनीज संयंत्र स्थल पर पड़ा है वह कच्चे माल की वस्तुसूची में शामिल है।

4. विविध देनदार तथा विविध लेनदारों के वर्ष समाप्ति पर बकाया राशि के पुश्टीकरण पत्र पार्टियों को भेजे गए है। 31.03.2016 को रू. 14583.28 लाख के कुल बकाया में से रू. 2419.64 लाख के शेष का समाधान हो गया है ।

पुष्टिकरण प्राप्त होने के संबंध में कंपनी अधिशेष की संवीक्षा और समाधान की प्रक्रिया के अंतर्गत है।

5. कार्मिकों को ऋण के संबंध में प्रलेखन कुछ मामलों में लंबित है और असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

6. अप्रचलित भंडार सामग्री/स्पेअरों का निपटान करने के बाद होने वाली प्रत्याशित हानि हेतु किया गया 1.43 लाख रूपये (1.49 लाख रूपये) का प्रावधान पर्याप्त माना गया है।

7. कंपनी द्वारा प्राप्त ब्याज एवं किराए पर स्त्रोत पर आयकर की कटौती की राशि रू. 2440.46 (रू. 2763.59) लाख है। कुछ मामलों में कर की कटौती के प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।

8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) के संबंध में प्रकटीकरण :

क्र.सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	एमएसएमई को अदत्त रही मूल राशि उपर्युक्त पर देय ब्याज, अदत्त रहा	171.48 निरंक	156.49 निरंक
2	एमएसएमई विकास अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रदत्त ब्याज (एमएसएमईडीए) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किए गए भुगतानों सहित	निरंक	निरंक
3	भुगतान करने में विलंब के लिए देय ब्याज (भुगतान किया लेकिन नियत दिन के बाद) लेकिन एमएसएमईडीए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	निरंक	निरंक
4	प्रत्येक लेखावर्श के अंत में संचित और अदत्त रहा ब्याज	निरंक	निरंक
5	एमएसएमईडीए की धारा 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए उत्तरवर्ती वर्ष में देय रहा ब्याज	निरंक	निरंक

9. अन्य व्यय (टिप्पणी संख्या 14.2) में शामिल है :

रूपये लाख में

विवरण		31.03.2016	31.03.2015
1	यात्रा व्यय		
	(ए) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेषक	35.08	22.41
	(बी) निदेषक	29.88	51.36
	(सी) कंपनी सचिव	2.52	2.32
2	लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक		
	(ए) लेखापरीक्षक	4.44	4.07
	(बी) कराधान मामले	1.45	1.31
	(सी) अन्य सेवाएं	3.43	3.23
	(डी) खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.00	0.03
		9.32	8.64
	जनसंपर्क एवं प्रचार खर्च सहित विज्ञापन	49.33	146.80

10. परिभाषित दायित्व – लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाए अनुसार है :

रू. लाख में

विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
निधिबद्ध उत्तरदायित्व का प्रारंभिक एवं बंद शेष का समाधान, जैसा कि एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा मूल्यांकित किया गया है।				
वर्ष के प्रारंभ में	11844.89	12091.43	3892.91	4108.77
चालु सेवा लागत	650.59	590.69	332.10	286.40
ब्याज लागत	947.59	967.31	311.43	328.70
बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	1292.80	-760.21	-115.05	-533.92
प्रदत्त लाभ	-2042.30	-1044.33	-318.73	-297.04
वर्ष के अंत में	12692.95	11844.89	4102.66	3892.91
योजना संपत्ति के संगत मूल्य का प्रारंभिक एवं बंद शेष का समाधान				
वर्ष के प्रारंभ में	12257.98	11902.07	5072.37	4928.20
योजना संपत्ति की अपेक्षित वापसी	1041.93	1089.04	431.15	450.93
बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	-178.59	121.84	-13.00	-9.72
नियोक्ता का अंशदान	0.00	189.36	0.00	0.00
प्रदत्त अनुलाभ	-2042.30	-1044.33	-318.73	-297.04
वर्ष के अंत में	11079.02	12257.98	5171.79	5072.37
संपत्ति का संगत मूल्य तथा निधि बद्ध उत्तरदायित्व का समाधान				
वर्ष के अंत में योजना संपत्ति का वर्तमान मूल्य	11079.02	12257.98	5171.79	5072.37
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	12692.95	11844.89	4102.66	3892.91
तुलन पत्र में मान्य देयता/(–) पूर्वदत्त व्यय	1613.93	-413.09	-1069.13	-1179.46
लाभ–हानि लेखा में मान्य खर्च				
चालु सेवा लागत	650.59	590.69	332.10	286.40
ब्याज लागत	947.59	967.31	311.43	328.70
योजना संपत्ति की अपेक्षित वापसी	-1041.93	-1089.04	-431.15	-450.93
बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	1470.77	-882.05	-102.05	-524.20
लाभ–हानि लेखा में मान्य कुल खर्च	2027.02	-413.09	110.33	-360.03
बीमांकिक पूर्वानुमान	1994-96 अंतिम	1994-96 अंतिम	1994-96 अंतिम	1994-96 अंतिम
मृत्युदर तालिका (जीवन बीमा)				
छूट दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
योजना संपत्ति पर अपेक्षित वापसी (प्रति वर्ष)	8.50%	9.15%	8.50%	9.15%
वेतनवृद्धि दर (प्रति वर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

11. **संबंधित पार्टियों के साथ व्यवहार** – लेखांकन मानक – 18 / कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ

व्यवहार का प्रकटीकरण नीचे दर्शाया गया है :–

(1) संबंधित पार्टियों की सूची एवं संबंध

(ए)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	पदनाम
1.	श्री जी. पी. कुंदरगी	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम. पी. चौधरी	निदेशक (वित्त)
3.	श्री ए. के. झा (31.10.2015 तक)	निदेशक (उत्पादन एवं आयोजना)
4.	श्री टी. के. पटनायक (02.02.2015 से)	निदेशक (वाणिज्य)
5.	श्री नीरज पाण्डेय	कंपनी सचिव
(बी)	संयुक्त उद्यम कंपनी	
1.	सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड	
2.	रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड	

(2) संबंधित पार्टी के साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार उपर्युक्त (i)(ए) में उल्लेखित

रूपये लाख में

	विवरण	2015–16	2014–15
1	प्रबंधकीय मेहनताना		
	(ए) वेतन एवं भत्ते	111.81	148.54
	(बी) भविष्य निधि में अंशदान	9.85	8.88
	(सी) परिलब्धियों का वास्तविक/अनुमानित मूल्य	4.32	4.95
	(डी) कुल	125.98	162.37
2	यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति	67.48	76.09

12. आस्थगित कर संपत्ति/देयता – लेखांकन मानक – 22 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाया गया है :

क्र.	विवरण	2015–16/ 31 मार्च, 2016	2014–15/ 31 मार्च, 2015
1	आस्थगित कर देयता मूल्यह्रास से संबंधित	1291.31	1407.81
2	आस्थगित कर परिसंपत्ति आयकर अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकृत	243.99	307.17
3	शुद्ध आस्थगित कर देयता/(–) परिसंपत्ति	1047.32	1100.64
4 ए	लाभ–हानि लेखा के लिए आस्थगित कर : देयता में वृद्धि/(–) कमी	753.33	2872.76
4 बी	संव्यवहार प्रावधानों के कारण आस्थगित कर देयता में कमी पर अलग से विचार किया गया है।	0.00	117.90

13. प्रावधान – लेखांकन मानक – 29 के अनुसार विवरणों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है : रूपये लाख में

प्रावधान का विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2015	प्रावधान	पुनरांकित/प्रयुक्त प्रावधान	बंद शेष 31.03.2016
अंतिम खदान बंदी का खर्च	786.05 (703.23)	75.77 (82.82)	—	861.82 (786.05)
अशोध्य और संदिग्ध ऋण और अग्रिम	67.91 (62.42)	0.00 (7.00)	(0.00) (1.51)	67.91 (67.91)

अंतिम खदान बंदी खर्च के प्रावधान के संबंध में अंतिम खदान बंदी के समय नकद निर्गम अपेक्षित है।

14. वर्ष के दौरान पूंजीगत माल का आयात रू. निरंक (रू. निरंक) लाख

15. प्रवास के लिए विदेशी मुद्रा में खर्च रू. 20.97 (रू. 5.57) लाख और विविध खर्च – रू. 12.53 लाख (रू.27.83 लाख)

16. कर्मचारी अनुलाभ व्यय के खाते में रू. 2441.09 लाख की राशि के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

17. तैयार माल के स्टॉक के मूल्यांकन के लिए लेखांकन नीति के अनुसार असाधारण सामग्री रू. 2084.02 (शून्य) लाख तैयार माल वस्तुसूची में शुद्ध बिक्रीयोग्य से कम लागत पर मूल्य की कमी को दर्शाती है ।

18. **लाभ–हानि विवरण की अतिरिक्त जानकारी**

(ए) उत्पादन, बिक्री, प्रारंभिक और अंतिम स्कंध –

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा (एमटी)	रूपये लाख में	मात्रा (एमटी)	रूपये लाख में
ए) उत्पादन/निर्मिति–				
मैंगनीज अयस्क	1032275	–	1139156	--
ईएमडी	612	–	950	--
फेरो मैंगनीज	6519	–	10045	--
फेरो मैंगनीज स्लैग	9203	–	13358	--
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	36370789	–	32808711	--
(बी) बिक्री				
मैंगनीज अयस्क	967267	57179.01	910443	74954.60
ईएमडी	714	519.60	655	541.59
फेरो मैंगनीज	7922	3636.34	8587	4954.22
फेरो मैंगनीज स्लैग	13285	627.16	13913	1068.59
एमपीईडीसीएल को बिजली (केडब्लूएच)	27247140	911.66	23992560	806.15
(सी) प्रारंभिक स्कंध				
मैंगनीज अयस्क	248360	10937.69	48358	2062.60
ईएमडी	396	346.80	101	90.69
फेरो मैंगनीज	4001	1636.45	2543	846.51
फेरो मैंगनीज स्लैग	5247	316.62	5802	500.74
(डी) अंतिम स्कंध				
मैंगनीज अयस्क	294713	13045.98	248360	10937.69
ईएमडी	294	217.98	396	346.80
फेरो मैंगनीज	2598	1026.20	4001	1636.45
फेरो मैंगनीज स्लैग	1165	81.51	5247	316.62
टिप्पणी : उत्पादन के लिए जारी किए गए मैंगनीज अयस्क के समायोजन के पष्चात अंतिम स्कंध –				
ईएमडी	2405		3702	
फेरो मैंगनीज	16250		25009	
कैप्टिव खपत के लिए उपयोग की गई बिजली सहित पवन उर्जा मिलों से बिजली की निर्मिति (केडब्लूएच)	9123649		8816151	

(बी) अनुज्ञप्तित और संस्थापित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता –

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा (एमटी)	उपयोग की गई क्षमता	मात्रा (एमटी)	उपयोग की गई क्षमता
ए) अनुज्ञप्तित एवं संस्थापित क्षमता				
ईएमडी	1000	—	1000	—
फेरो मैंगनीज	10000	—	10000	—
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	40000000	—	40000000	—
बी) उत्पादन एवं क्षमता उपयोग				
ईएमडी	612	61%	950	95%
फेरो मैंगनीज	6519	65%	10045	100%
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	36370789	91%	32808711	82%

19. संयुक्त उद्यम के रूप में समेकित उपक्रमों की अतिरिक्त जानकारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।।। के अंतर्गत आवश्यक है:

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	शुद्ध परिसंपत्ति अर्थात् कुल परिसंपत्ति में से कुल देयता घटाकर		लाभ या (हानि) में हिस्सा	
		समेकित शुद्ध परिसंपत्ति का प्रतिशत	राशि (रू. लाख में)	समेकित लाभ या (हानि) का प्रतिशत	राशि (रू. लाख में)
	मूल कंपनी				
1	मॉयल लिमिटेड	100.05	345337	100.12	17298.25
	संयुक्त उद्यम (आनुपातिक समेकन के आधार पर)				
1	सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	-0.05	-147.97	-0.12	-20.87
2	रिनमॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	0.00	9.69	–	–

20. मॉयल के संयुक्त उद्यमों का नाम और लेखों के समेकन की स्थिति दर्शाता विवरण :

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	क्या लेखा समेकित है	क्या सीएण्डएजी के अधिकार–क्षेत्र में है
	मूल कंपनी		
1	मॉयल लिमिटेड	हॉ	हॉ
	संयुक्त उद्यम		
1	सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	हॉ	हॉ
2	रिनमॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	हॉ	हॉ

21. पिछले वर्ष के तत्सम आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए है तथा जहां आवश्यक हो, तुलनीय करने के लिए फिर से संगठीत किए गए है।

31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र पर समेकित टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
टिप्पणी 2.1 – शेयर पूंजी				
अधिकृत				
इक्विटी शेयर : संख्या	250000000		250000000	
अंकित मूल्य रू. में		10.00		10.00
राशि		25000.00		25000.00
निर्गमित, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त				
इक्विटी शेयर : संख्या	168000000		168000000	
अंकित मूल्य रू. में		10.00		10.00
कुल राशि		16800.00		16800.00
एक इक्विटी शेयर के लिए एक मतदान अधिकार और शेयर होल्डिंग के बराबर लाभांश अनुपात अधिकार के साथ रू. 10/– सममूल्य के इक्विटी शेयरों के रूप में कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर है।				
समाधान विवरण				
प्रारंभ में शेयरों की संख्या	168000000		168000000	
जोड़े : वर्ष के दौरान निर्गमित शेयर	0		0	
अंत में शेयरों की संख्या	168000000		168000000	
प्रत्येक शेयरधारक की शेयर होल्डिंग का विवरण जिसके पास 5 प्रतिशत से अधिक के शेयर है।				
शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
भारत सरकार	120235680	71.57	120235680	71.57

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
टिप्पणी 2.2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष				
सामान्य आरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	320378.79		295378.79	
(+) लाभ–हानि लेखा से स्थानांतरित	7500.00		25000.00	
		327878.79		320378.79
सीएसआर (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) आरक्षित निधि				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	18.00		34.00	
(+) लाभ–हानि लेखा से स्थानांतरित	00.00		18.00	
(-) लाभ–हानि लेखा को स्थानांतरित	18.00		34.00	
		0.00		18.00
लाभ–हानि लेखा में अधिशेष				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	835.97		401.96	
घटायें : लेन–देन प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास	0.00		228.96	
जोड़े : लाभ–हानि लेखा विवरण से कर पश्चात लाभ	17277.39		42782.13	
जोड़े : सीएसआर (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) आरक्षित निधि से स्थानांतरण	18.00		34.00	
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	18131.35		42989.13	

घटाएं : विनियोजन –				
सीएसआर (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) आरक्षित निधि	0.00		18.00	
अंतरिम लाभांश 30 प्रतिशत (50 प्रतिषत) की दर से	5040.00		8400.00	
प्रस्तावित अंतिम लाभांष 20 प्रतिषत (35 प्रतिशत) की दर से	3360.00		5880.00	
अंतरिम लाभांष पर कर जिसमें अधिभार और उपकर शामिल है।	1047.40		1679.51	
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	684.02		1175.65	
अंतिम लाभांश पर कर जिसमें अधिभार और उपकर शामिल है।				
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	7500.00		25000.00	
	17631.42		42153.16	
बकाया अग्रेनीत		499.93		835.97
कुल		328378.72		321232.76

31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र पर समेकित टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
टिप्पणी 3.1 – दीर्घकालिक प्रावधान					
(ए) अंतिम खदान बंदी खर्च के लिए प्रावधान	कुल		861.81		786.05
टिप्पणी 3.2 – दीर्घकालिक देयता					
(ए) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य से सुरक्षा जमा	कुल		170.12		313.69
टिप्पणी 4.1 – व्यापार देय					
(ए) एमएसएमई का कुल बकाया शेष		41.12		95.05	
(बी) इतर का कुल बकाया शेष		298.16		256.34	
	कुल		339.28		351.39
टिप्पणी 5.1 – अन्य चालु देयता					
(ए) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य से सुरक्षा जमा			2796.48		2416.58
(बी) ग्राहकों से जमा शेष			1146.90		671.12
(सी) खर्च के लिए देयताएं			6952.98		7056.95
(डी) बिना दावे के लाभांश वारंट के लंबित नकदीकरण			120.73		111.07
(ई) पूंजीगत खर्च के लिए देयताएं			4168.82		3382.00
(एफ) अन्य देयताएं			3069.24		2357.99
	कुल		18255.15		15995.71
टिप्पणी 5.2 – अल्पकालिक प्रावधान					
(ए) इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश			3360.00		5880.00
(बी) प्रस्तावित लाभांश पर कर के लिए प्रावधान			684.02		1175.65
(सी) नहीं ली गई छुट्टी के लिए प्रावधान–					
तुलनपत्र की तारीख को देयता		4102.65		3892.91	
(–) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधि		5171.78		5072.36	
	*	-1069.13	0.00	-1179.45	0.00
(डी) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	*		1613.94	-413.08	0.00
(ई) पेंशन निधि के लिए प्रावधान			1806.01		1697.07
	कुल		7463.97		8752.72
	कुल		26058.40		25099.82

* एलआईसी/अन्य बीमादारों के पास देयता से अधिक निधि को पूर्वदत्त खर्चों के अंतर्गत रखा गया है (टिप्पणी 10.1 (बी) (vi) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम)

31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र पर समेकित टिप्पणी

रूपये लाख में

6.1 – स्थायी संपत्ति

क्र .सं.	परिसंपत्तियों का विवरण		सकल खण्ड				मूल्यह्रास खण्ड					शुद्ध खण्ड	
			31.03.2015 को	परिवर्धन	कटौती	31.03.2016 को	31.03.2015 को	वर्ष के लिए	कटौती	प्रतिधारित उत्पन्न मे समायोजित	31.03.2016 को	31.03.2016 को	31.03.2015 को
ए	**मूर्त संपत्ति**												
1	फ्री–होल्ड भूमि		1119.98	107.45	0.02	1227.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1227.41	1119.98
2	इमारत		14077.74	2517.72	20.15	16575.31	4040.09	1036.30	13.91	0.00	5062.48	11512.83	10037.65
3	संयंत्र और मशीनरी		41575.93	4212.66	858.61	44929.98	24761.47	3873.82	782.36	0.00	27852.93	17077.06	16814.47
4	फर्नीचर और फिक्स्चर		410.81	8.62	2.94	416.49	270.22	49.79	2.77	0.00	317.24	99.25	140.59
5	कार्यालय उपकरण		523.73	20.78	5.56	538.95	433.52	46.06	4.89	0.00	474.69	64.26	90.21
6	वाहन		1016.03	166.79	30.90	1151.92	682.29	123.08	25.26	0.00	780.11	371.81	333.74
			58724.21	7034.02	918.18	64840.05	30187.58	5129.04	829.19	0.00	34487.43	30352.62	28536.63
बी	**अमूर्त संपत्ति**												
1	पट्टाधृत भूमि		2961.24	0.00	0.00	2961.24	1600.89	136.24	0.00	0.00	1737.13	1224.11	1360.35
		*	61685.45	7034.02	918.18	67801.29	31788.47	5264.99	829.19	0.00	36224.56	31576.73	29897.56
सी	**प्रगतिशील पूंजी**											6913.07	5405.43
डी	**विकास के अंतर्गत अमूर्त संपत्ति**											1276.73	35.15
	कुल स्थायी संपत्ति											39766.53	35338.14
ई	**गत वर्ष**	*	51620.85	11078.60	1014.00	61685.45	27861.69	4527.30	947.97	346.87	31787.89	29897.56	23759.16

*रिनमॉयल का मूल्यह्रास कम कर दिया गया है और सीडब्लूआईपी में जोड़ दिया गया है।

1. इमारत में भूमि भी शामिल है, जहाँ भूमि के लिए अलग से विचार नहीं किया जाता है।
2. अवधि के लिए मूल्यह्रास में इन पर मूल्यह्रास भी शामिल है –

	2015–16 के लिए	2014–15 के लिए
(ए) विनिर्माण इकाइयों की परिसंपत्ति	68.99	73.58
(बी) उर्जा निर्माण इकाइयों की परिसंपत्ति	174.68	174.68

3. तुलन पत्र की तारीख को कोई हानि नहीं है।

31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र पर समेकित टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
टिप्पणी 7.1 – गैर–चालु निवेश (अनकोटेड) लागत पर					
खदानों में सहकारी स्टोर/सोसायटी के पूर्णतः प्रदत्त शेयर					
(ए) सहकारी स्टोर (अपंजीकृत) के रू. 5/– प्रत्येक के 500(500) शेयर		0.03		0.03	
(बी) सहकारी सोसायटी के रू. 25/– प्रत्येक के 1612(1612) शेयर		0.40		0.40	
(सी) सहकारी सोसायटी के रू. 10/– प्रत्येक के 8556 (8556) शेयर		0.86		0.86	
			1.29		1.29
	कुल		1.29		1.29
टिप्पणी 8.1 – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम					
(ए) सुरक्षित					
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम			112.15		86.74
(बी) असुरक्षित					
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम			9.08		6.87
(सी) आयकर का अग्रिम भुगतान (शुद्ध)			3993.16		5651.35
(डी) संयुक्त उद्यम कंपनी को अग्रिम					
सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा.लि. को अग्रिम			200.00		200.00
	कुल		4314.39		5944.96
टिप्पणी 8.2 – अन्य गैर–चालु परिसंपत्ति					
(ए) स्थायी और अन्य जमा पर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं					
(बी) कर्मचारियों को ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं					
(सी) रेलवे, बिजली बोर्ड और अन्य के पास जमा (असुरक्षित)					
(डी) पूंजीगत सामग्री की खरीदी के लिए अग्रिम					
	कुल				
टिप्पणी 9.1 – वस्तुसूची (प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणित)					
(ए) कच्चा माल			88.62		56.81
(बी) प्रक्रियागत कार्य			4.06		5.17
(सी) तैयार माल			14533.25		13232.39
(डी) पारगमन में स्टोर			0.00		3.15
(ई) स्टोर और स्पेअर्स		1674.41		1126.42	
(–) अप्रचलित स्टोर और स्पेअर्स के लिए प्रावधान		1.43		1.49	
			1672.98		1124.93
	कुल		16298.91		14422.45

31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र पर समेकित टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
टिप्पणी 9.2 – व्यापार प्राप्तियाँ (असुरक्षित)					
(1) अच्छा माना गया					
छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		67.50		18.89	
अन्य ऋण		14137.14		10705.13	
			14204.64		10724.02
(2) संदिग्ध माना गया					
छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण			39.36		39.36
			14244.00		10763.38
(–) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			39.36		39.36
	कुल		14204.64		10724.02

टिप्पणी 9.3 – नकद और नकद समकक्ष				
(1) हाथ में रोकड़		8.35		13.54
(2) बैंकों में जमा				
सावधि जमा में		282447.22		281052.24
सावधि जमा में (बैंक गारंटी/एलसी के विरूद्ध मार्जिन मनी के रूप में)		380.31		296.30
विषेश लाभांष खातों में वारंटों का नकदीकरण लंबित		120.73		111.07
चालु खाते में		2162.60		1626.67
कुल		285119.21		283099.81
सावधि जमाओं में 12 माह के बाद परिपक्व होने वाला जमा शामिल है	127.55		48.95	
टिप्पणी 10.1 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम				
(ए) सुरक्षित				
(1) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		74.91		59.25
(बी) असुरक्षित				
(1) कर्मचारियों को अग्रिम		190.74		194.52
(2) स्टोर, स्पेअर्स और मशीनरी की खरीद के लिए अग्रिम	67.11		82.06	
(–) संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	11.75		11.75	
		55.36		70.31
(3) ठेकेदारों और अन्य को अग्रिम	59.62		57.87	
(–) संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	16.28		16.28	
		43.34		41.59
उपर्युक्त में निम्न शामिल है :				
अधिकारियों को अग्रिम	0.00		0.00	
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक को अग्रिम	0.00		0.00	
रिनमॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी	16.61		16.61	
(4) प्राप्य दावे	0.53		0.53	
(–) संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	0.53		0.53	
		0.00		0.00
(5) पूर्वदत्त खर्च		1271.98		1794.24
कुल		1636.33		2159.91
टिप्पणी 10.2 – अन्य चालु परिसंपत्तियाँ				
(1) सावधि और अन्य जमाओं पर अर्जित ब्याज		8277.53		10633.72
(2) फुटकर प्राप्य		1542.75		773.90
कुल		9820.29		11407.62

31 मार्च, 2016 को को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि के विवरण पर समेकित टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए		वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए	
टिप्पणी 11.1 – प्रचालन से राजस्व				
(ए) खनन उत्पादों की बिक्री		57179.01		74954.60
(बी) विनिर्मित उत्पादों की बिक्री		5369.33		7355.21
(सी) बिजली की बिक्री		911.66		806.15
		63460.00		83115.96
(–) विनिर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क		586.23		790.81
कुल		62873.77		82325.15
टिप्पणी 11.2 – अन्य आय				
1. अन्य आय				
(ए) प्राप्त ब्याज	24329.12		27558.22	
(1) सावधि जमा पर	81.39		426.27	
(2) अन्य		24410.51		27984.49
(बी) कर्मचारियों से वसूली		10.95		10.69
(सी) स्क्रैप की बिक्री		34.92		142.61
(डी) बिक्री–कर सेटऑफ/रिफंड		203.21		240.30
(ई) विविध आय		560.11		847.16
2. रिटर्न बैक प्रावधान				
(ए) अप्रचलित स्टोर की बिक्री पर प्रत्याषित हानि के लिए प्रावधान		0.05		1.75
(बी) प्रावधान जो अब आवश्यक नहीं है		0.54		2441.48
कुल		25220.29		31668.48

31 मार्च, 2016 को को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि के विवरण पर समेकित टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए		वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए	
टिप्पणी 12.1 – कच्चे माल की खपत की लागत				
इलेक्ट्रोलायटिक मैंगनीज डाय–ऑक्साइड प्लांट				
(ए) मैंगनीज अयस्क	13.61		20.77	
(बी) सलफ्युरिक एसिड	16.73		21.88	
(सी) सोडियम कार्बोनेट	2.67		2.00	
(डी) अन्य	3.13		4.57	
		36.14		49.22
फेरो मैंगनीज प्लांट				
(ए) मैंगनीज अयस्क	962.84		1260.08	
(बी) कोक	458.11		710.00	
(सी) कार्बन पेस्ट	32.94		33.48	
(डी) अन्य	243.94		354.32	
		1697.83		2357.88
कुल		1733.97		2407.10

टिप्पणी 13.1 – तैयार माल, प्रक्रियागत कार्य और व्यापारगत भंडार की वस्तुसूची में परिवर्तन					
(ए) खनन उत्पाद					
अंतिम स्कंध		15129.94		10937.69	
(–) प्रारंभिक स्कंध		10937.69		2062.60	
			4192.25		8875.09
(बी) विनिर्मित उत्पाद					
अंतिम स्कंध		1491.40		2299.87	
(–) प्रारंभिक स्कंध		2299.87		1615.68	
			-808.47		684.19
	ए		3383.78		9559.28
घटाएं :					
विनिर्मित उत्पादों के स्कंध पर उत्पाद शुल्क					
अंतिम स्कंध पर		165.71		255.54	
(–) प्रारंभिक स्कंध पर		255.54		177.73	
	बी		-89.83		77.81
शुद्ध बढ़त/–घटत (ए–बी)	कुल		3473.61		9481.47
टिप्पणी 14.1 – कर्मचारी अनुलाभ खर्च					
वेतन, मजदूरी और बोनस			21808.15		21628.27
भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान			6645.73		3212.40
कल्याण खर्च			1669.19		1436.59
	कुल		30123.07		26277.26

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि के विवरण पर समेकित टिप्पणी

रूपये लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए		वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए	
टिप्पणी 14.2 – अन्य खर्च				
अन्य विनिर्माण और प्रशासनिक खर्च, बिक्री खर्च और बट्टे खाते में डालना				
(1) ठेकेदारों के माध्यम से परिवहन, रेलिंग और अन्य कार्य		6708.17		6951.35
(2) स्टोर और स्पेअर्स की खपत		5104.26		5587.96
(3) बिजली और ईंधन		3839.98		4076.60
(4) इमारतों की मरम्मत और रखरखाव	387.59		379.56	
(5) संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव	1092.04		1124.16	
(6) अन्य की मरम्मत और रखरखाव	157.78		151.40	
		1637.41		1655.12
(7) किराया		47.92		38.05
(8) दर और कर		234.80		212.62
(9) बीमा		199.40		225.05
(10) लेखा–परीक्षकों का पारिश्रमिक		9.32		8.64
(11) निदेशकों की बैठक फीस		11.40		12.36
(12) विज्ञापन		119.37		252.05
(13) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास पर खर्च		1447.39		1357.57
(14) विविध खर्च		1663.97		1593.85
(15) रॉयल्टी और उपकर	3689.58		3389.33	
(16) बिक्री पर नकद छूट	213.32		160.81	
(17) आंषिक मालभाड़ा प्रतिपूर्ति	348.67		0.00	
(18) ई–ऑक्शन पर सेवा षुल्क	23.41		61.22	
(19) नमूनाकरण खर्च	6.18		11.61	
		4281.16		3622.97
(20) खदानों पर अन्वेशी ड्रिलिंग	261.05		444.86	
(21) ब्लास्टिंग/रॉक यांत्रिकी/स्टोप डिजाइन अध्ययन, इत्यादि पर खर्च	471.56		155.28	
		732.61		600.14
(22) फेंकी गई आस्तियों को बट्टे खाते में डालना	88.99		66.04	
(23) स्टोर्स और स्पेअर्स की कमी को बट्टे खाते में डालना	7.31		4.86	
(24) संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	0.00		5.49	
(25) अंतिम खदान बंद खर्च के लिए प्रावधान	75.77		82.82	
		172.07		159.21
कुल		26209.22		26353.54
*डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड और नैषनल मिनरल एक्सप्लोरेषन ट्रस्ट अंशदान सहित				

टिप्पणी सं. 1.1 से 14.2 वित्तीय विवरण का अभिन्न भाग है

कृते मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर : 111107डब्लू
सी. ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्रः 108665
दिनांक : 27 जून, 2016
स्थान : भोपाल

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

नितीन पी. काजरेकर
उप महाप्रबंधक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

टिप्पणी

टिप्पणी

माननीय इस्पात मंत्री श्री चौधरी बिरेन्दर सिंह का स्वागत करते हुए
मॉयल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक श्री जी पी कुंदरगी

भूतपूर्व इस्पात मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को अंतरिम लाभांश का चेक प्रस्तुत
करते हुए मॉयल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री विष्णु देव साई माननीय इस्पात एवं खदान मंत्री,
भारत सरकार मॉयल भवन को भेंट देते हुए

मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CIN : L99999MH1962GOI012398

PAN : AAACM8952A

मॉयल भवन ,1- ए काटोल रोड, नागपुर – 440 013

ईमेल: compliance@moil.nic.in   टेलीफोन: 07122591661

www.moil.nic.in